छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

षष्ठम् विधान सभा **अष्टम् सत्र**

मंगलवार, दिनांक 17 मार्च, 2026

(फाल्गुन 26, शक सम्वत् 1947)

[अंक 12]

Web copy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 17 मार्च, 2026

(फाल्गुन 26, शक संवत् 1947)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत् हुई.

{सभापति महोदय (श्री धरमलाल कौशिक) पीठासीन हुए}

<u>तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर</u>

<u>धमतरी व कांकेर जिले में अवैध प्लाटिंग</u>

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

1. (*क्र. 746) श्रीमती अंबिका मरकाम : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 में 31 जनवरी, 2026 तक धमतरी में व कांकेर जिले में अवैध प्लाटिंग और कॉलोनियों की कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं? कुल कितने खसरों की शिकायत प्राप्त हुई है, उसमें से कितने खसरों की जांच हो चुकी है? अगर जांच नहीं हुई है तो किस स्तर पर लंबित है और क्यों लंबित है? (ख) जिले में अवैध प्लाटिंग एवं अवैध कालोनियों पर कार्रवाई करने हेतु सक्षम अधिकारी कौन है एवं उनके द्वारा अभी तक क्या कार्रवाई की गई है? कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तो कब से प्रक्रियाधीन है और किस अधिकारी के पास प्रक्रियाधीन है? (ग) अवैध प्लाटिंग और अवैध कॉलोनी के लिए कौन-कौन से अधिकारी-कर्मचारी जिम्मेदार हैं? क्या इनके विरूद्व कोई शिकायत प्राप्त हुई है? अगर हां, तो क्या कार्रवाई की गई है? (घ) क्या कोई रेरा से स्वीकृत कॉलोनी में बाह्य एवं आंतरिक निर्माण बिना पूर्ण किए नगर पालिका या नगर निगम द्वारा ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट दे दिया गया है? अगर हां, तो किस आधार पर दिया गया? ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट देने वाले अधिकारी पर क्या कार्रवाई हुई है?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) प्रश्नावधि में धमतरी जिले में अवैध प्लाटिंग की कुल 03 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जो 03 खसरों से संबंधित हैं। जिसमें से 02 खसरों की जांच अनुविभागीय अधिकारी (रा.) द्वारा किया गया है तथा 01 खसरें की जांच नगर पालिका निगम धमतरी के अधिकारी द्वारा किया गया है। जिला उत्तर बस्तर कांकेर में अवैध प्लाटिंग एवं अवैध कॉलोनी के संबंध में कुल 05 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जो 175 खसरों से संबंधित हैं। इनमें से 08 खसरों की जांच हो चुकी है तथा 167 खसरों की जांच प्रक्रियाधीन है। जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) अवैध प्लाटिंग एवं अवैध कॉलोनी पर कार्यवाही करने हेतु नगरीय क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम,

1961 अंतर्गत मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्तें) नियम, 2013 अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सक्षम प्राधिकारी है। जिला धमतरी में वित्तीय वर्ष 2024-25 में 10 प्रकरणों तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक 39 प्रकरणों पर कार्यवाही करते हुए निर्मित अवैध मुरूम रोड हटाया गया एवं मार्ग विच्छेन किया गया, तथा कुछ स्थानों पर अवैध प्लाटिंग हेतु गाड़े गये खुटों एवं बाउंड्रीवाल को हटाया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है। जिला कांकेर में कुल 14 खसरों के क्रय विक्रय पर रोक लगाई गई है। (ग) जिला धमतरी में अवैध प्लाटिंग एवं अवैध कॉलोनी के लिये जिम्मेदार अधिकारी एवं कर्मचारी की जानकारी निरंक है। जिला कांकेर की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स अनुसार है। (घ) जिला धमतरी एवं जिला कांकेर में रेरा से स्वीकृत कॉलोनी में बाह्य एवं आतंरिक निर्माण बिना पूर्ण किये नगर पालिका या नगर निगम द्वारा ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है।

श्रीमती अंबिका मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, मेरा यह प्रश्न एक बहुत बड़ी समस्या से संबंधित है। जिले एवं राज्य के सभी नगरीय निकाय इस समस्या से जूझ रहे हैं, किंतु इस पर रोक नहीं लग रही है। यह समस्या अवैध कॉलोनी की है। माननीय सभापति महोदय, कांकेर जिले के कांकेर अनुभाग के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र में आने वाले विभिन्न ग्रामों के एक-एक खसरों में सौ-सौ से अधिक टुकड़ों की जानकारी माननीय मंत्री जी के माध्यम से मुझे दी गई है। जिसमें ग्राम ठेलकाबोड़ में खसरा नंबर 166 में 103 टुकड़े, खसरा नंबर 119 में 71 टुकड़े। ग्राम गोविंदपुर में खसरा नंबर 46 में 124 टुकड़े, खसरा नंबर 108 में 110 टुकड़े। ग्राम मनकेसरी में खसरा नंबर 104 में 134 टुकड़े। इस प्रकार कुल 175 खसरों में लगभग 1,500 से अधिक टुकड़े इन दो वर्षों में हो गये हैं। क्या यह तथ्य विभागीय अधिकारियों की जानकारी में नहीं था? जबकि इस संबंध में लगातार शिकायतें प्राप्त हुई हैं तो इन शिकायतों पर क्या कार्रवाई हुई है? कार्रवाई नहीं किये जाने का क्या कारण है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? माननीय मंत्री जी मुझे यह बताने की कृपा करें।

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जिला धमतरी और जिला कांकेर में अवैध प्लाटिंग और कॉलोनी के अवैध निर्माण के संबंध में जानकारी चाही है। धमतरी जिले में हमको कुल 3 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जो 3 खसरों से संबंधित हैं और इन 3 खसरों की हमने जांच करवायी है। इनमें से 2 की एस.डी.एम. ने जांच की है और 1 की हमारे नगरपालिका धमतरी ने जांच की है। जांच करने के पश्चात् इन तीनों जगहों में जो अवैध प्लाटिंग के कारोबार थे, उनको बंद करवाया गया है और वहां के मार्ग को अवरुद्ध किया गया है। उसी तरह से उत्तर बस्तर कांकेर में अवैध प्लाटिंग और अवैध कॉलोनी निर्माण के संबंध में 5 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जो 175 खसरों से संबंधित हैं। इन 175 खसरों की भी हमने जांच करवायी है, जिसमें 8 खसरों की जांच पूर्ण हो चुकी है और 167 खसरों की जांच अभी प्रक्रियाधीन है। जैसे कि माननीय विधायिका जी अभी पूछ रही थीं कि इसमें कितने लोगों पर

कार्रवाई हुई तो वहां पर अवैध प्लाटिंग, अवैध कॉलोनी निर्माण से जुड़े हुए हमारे राजस्व विभाग के जो भी अधिकारी-कर्मचारी थे, उनमें से 3 पटवारियों का इंक्रीमेंट रोका गया है, 3 को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। इसी तरह से तहसीलदार को भी नोटिस दिया गया है, वहां पर जो उप पंजीयक है, उसको भी नोटिस दिया गया है। अवैध प्लाटिंग, अवैध कॉलोनी निर्माण को रोकने के लिए हमारा अमला पूरी तरह से काम कर रहा है। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि हमने केवल धमतरी और कांकेर जिले की चिंता नहीं की है बल्कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में जो अवैध प्लाटिंग और अवैध कॉलोनी का निर्माण हो रहा है, इनको रोकने के लिए जिला स्तर पर एक बड़ी कमेटी बनायी गयी है, जिसके अध्यक्ष जिला कलेक्टर होंगे। कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति बनेगी, जिसमें वहां के पुलिस अधीक्षक भी रहेंगे, जिला पंचायत के सी.ई.ओ. भी रहेंगे, आवास एवं पर्यावरण विभाग के अधिकारी भी रहेंगे। उनमें 5 बड़े विभागों के लोग रहेंगे। उनके मार्गदर्शन में नीचे अमला भी काम करेगा तथा एस.डी.एम. स्तर पर व तहसील स्तर पर भी काम करेंगे। जहां भी अवैध प्लाटिंग या अवैध कॉलोनी निर्माण हो रहा है, उनको वह रोकेंगे। इस तरह से धमतरी में अवैध प्लाटिंग और अवैध कॉलोनी निर्माण का जो काम चल रहा था, उसमें हमने पटवारी के ऊपर कार्रवाई की है और कुछ को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है।

श्रीमती अंबिका मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है लेकिन 1409 के माध्यम से 29.09.2025 को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कांकेर को अवैध प्लॉटिंग की शिकायत की जांच कर सूची सहित अग्रिम कार्यवाही के लिए भेजा है। जिस पर आज पर्यंत तक कार्यवाही क्यों नहीं की गई? क्या इसके लिए अनुविभागीय अधिकारी जिम्मेदार हैं? माननीय मंत्री जी, आपने जवाब में दिया है कि जितने भी पटवारी हैं, उन सब की एस.आई.आर में ड्यूटी लगी है। क्या सारे लोगों की एस.आई.आर. में ड्यूटी लगी है? आपने पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के तहत मुझे पूरी जानकारी दी है। माननीय मंत्री जी, मैं वही जानना चाहती हूं कि आपने कहा है कि आपने पटवारी को निलंबित किया है। क्या बाकी अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी? क्या अनुविभागीय अधिकारी पर कार्रवाई होगी ? अनुविभागीय अधिकारी ने समय-सीमा पर जिम्मेदारी से कार्य नहीं किया है । इसलिए मैं आपसे चाहती हूं कि इस पर तत्काल कार्यवाही हो।

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैंने जैसा बताया कि अवैध प्लॉटिंग और अवैध कॉलोनी को रोकने के लिए हमने बहुत-सी कार्यवाही की है। उसी तरह से वहां पर जो खसरा नंबर 14 है, उसकी खरीदी-बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है और हम इसमें सतत काम कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि धमतरी और कांकेर जिले में लोग जितनी तरह की अवैध प्लॉटिंग और अवैध कॉलोनी डेव्हलप कर रहे हैं, हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और हम इसमें कड़ी कार्रवाई करेंगे।

श्रीमती अंबिका मरकाम :- माननीय मंत्री जी, क्या आप आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो से इसकी जांच कराएंगे ?

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय सभापति महोदय, इसके लिए हमारे राजस्व विभाग का अमला सक्षम है। हम जांच कराएंगे और अवैध प्लॉटिंग को रोकेंगे।

श्रीमती अंबिका मरकाम :- सभापति महोदय, चूंकि इसमें हजारों लोगों की बात है। इसमें बहुत से लोग परेशान हैं। यह जो अवैध रूप से प्लॉट कटिंग हुई है, उसमें लोगों का पैसा भी फंसा हुआ है। यदि आप उनको परिवर्तित करेंगे तो उनको जमीन भी नहीं मिलेगी। माननीय मंत्री जी, इसके लिए आपको कार्य करना पड़ेगा। आप आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो से इसकी जांच कराईये और जांच करके दोषी अधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करें।

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय सभापति महोदय, माननीय विधायक ने 175 खसरों की जांच के बारे में बताया और हमने उसमें जवाब भी दिया है। इसमें हमने 8 खसरों की जांच पूर्ण कर ली है और जो 67 प्लॉटिंग कर रहे हैं, उनको भी हमने नोटिस जारी किया है और इसमें सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे। हमारा राजस्व विभाग सक्षम है और हम इसमें कार्यवाही करेंगे।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, मैं प्रश्न कर लूं ? वैसे धमतरी के दोनों विधायकों ने हाथ उठाया है।

सभापति महोदय :- मैं उनको भी समय दूंगा। पहले आप पूछ लीजिये उसके बाद वे पूछ लेंगे।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, यह प्रश्न प्रत्येक सत्र में आता है। पिछले दो-तीन सत्रों से तो ओंकार साहू जी पूछ रहे हैं और अभी अंबिका मरकाम जी ने पूछा है और अजय चंद्राकर जी भी चिंतित हैं। यह धमतरी जिले का मामला है।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं चिंतित नहीं हूं। मेरा प्रश्न था।

श्री भूपेश बघेल :- अच्छा, इनका भी प्रश्न था। माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी ने अभी बताया है कि केवल धमतरी नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में कलेक्टर की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है और एस.पी. भी उसके मेंबर होंगे। मेरा प्रश्न यह है कि अभी तक प्रदेश में कितनी अवैध कॉलोनियां बनीं और कितनों को नोटिस दिया गया है और कितनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है? कृपा करके यह बता दें। इसके अतिरिक्त पर्टिकुलर धमतरी जिले में आपने जिस पटवारी को निलंबित किया है, तो उसको निलंबित किये कितने दिन हो गए और आपने उसको आरोप पत्र दिया है कि नहीं दिया है? यदि आपने उसको नोटिस देकर निलंबित कर दिया और आरोप पत्र ही नहीं दिया होगा तो वह बहाल हो जाएगा। उसको नोटिस दिये कितने दिन हो गए, आप यह बताएं ?

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय सभापति महोदय, हम पूरे प्रदेश की अवैध प्लॉटिंग और अवैध कॉलोनी की जानकारी लेकर आपको जानकारी उपलब्ध करा देंगे। अभी तत्काल में जानकारी देना संभव नहीं है। अवैध प्लॉटिंग और अतिक्रमण को रोकने के लिए जैसे ग्राम पंचायत का एरिया है, तो प्रारंभिक जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की है और वहां पर जो तहसीलदार हैं, राजस्व के अमले हैं, उनको अधिकार

दिया गया है। इसी तरह से नगरीय निकाय में भी वहां के सी.एम.ओ. को अधिकार है। जितने जगह हमारे शासकीय विभाग हैं, चाहे हम जल संसाधन की बात करें, पी.डब्ल्यू.डी. की बात करें, सबको भू-राजस्व की धारा 248 में इनको अधिकार दिया गया है कि ये अपनी जमीन की स्वयं रक्षा करें।

श्री अजय चन्द्राकर :- वह स्वयं रक्षा करेंगे तो फिर राजस्व विभाग क्या करेगा ?

श्री टंकराम वर्मा :- हम लोग भी करते हैं। उनको अतिरिक्त अधिकार दिया गया है कि आप अपने संपत्ति की रखा खुद करिये। राजस्व विभाग तो लगा ही हुआ है। धमतरी जिले में जहां पर 3 पटवारी हैं, प्रफुल्ल कुमार बघेल, जैन कुमार कवाची और विरेन्द्र सिन्हा की तत्काल प्रभाव से एक वेतनवृद्धि को रोका गया है। और 3 पटवारी हैं जो इसी काम में प्रारंभिक रूप से उनको दोषी पाया गया है, रिजवान खान, जय नेताम, राकेश गायकवाड़, इनका दिनांक 15/12/2025 को दूसरे हल्के में स्थानांतरण किया गया है। और बाकी जो 67 लोग अवैध प्लाटिंग में लगे हुए थे, उनको नोटिस जारी किया गया है।

श्री भूपेश बघेल :- अभी तो आपने निलंबित करने की बात कही। अभी फिर वेतनवृद्धि रोकने की बात कर दी।

श्री टंकराम वर्मा :- वेतनवृद्धि रोकने की बात की है।

श्री भूपेश बघेल :- इसके पहले आपने निलंबत की बात कही है। और फिर माननीय मंत्री जी मैंने प्रश्न इसलिए पूछा कि धमतरी का प्रश्न था, हम धमतरी तक सीमित रहते। लेकिन जब आप मौखिक उत्तर दे रहे थे तो आपने सदन को ये जानकारी दी कि हमने पूरे प्रदेश भर में टास्क फोर्स का गठन कर दिया है। जब आपने प्रदेश भर में टास्क फोर्स का गठन कर दिया है, आप ही पूरा विस्तार कर दिये। धमतरी से बढ़ाकर आप पूरा प्रदेश कर दिये। आपने किया। इसलिए मैंने यह पूछा कि कितने लोगों के खिलाफ अभी तक कार्रवाई किये ? सबसे पहली बात तो यह है कि 5 डिसमिल वाली रजिस्ट्री नहीं होती तो इतना खसरा बढ़ कैसे गये ? तो यह 02 साल का मामला है और आप 5 डिसमिल वाली रजिस्ट्री खत्म कर दिये। उसके भी इतने बटांकन ये हो गया तो इसमें पटवारी भर कैसे दोषी हो सकता है ? इसमें तो पूरा अमला ही संलिप्त दिखाई दे रहा है। इसलिए माननीय सदस्य ने पूछा है कि इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करायेंगे क्या ? केवल पटवारी की वेतनवृद्धि रोकने से क्या होता है ?

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैंने जो प्रदेश स्तरीय समिति के गठन की बात कही थी तो हमारे करीब 10-12 जिले में समिति का गठन हो गया है इसी अतिक्रमण, अवैध प्लाटिंग को रोकने के लिये जिसकी सबकी सूचना अभी आ रही है। और इनकी वेतनवृद्धि रोकी गई है, निलंबन करने का गलती से मेरे से निकला होगा। इन तीनों की वेतनवृद्धि रोकी गई है।

श्री ओंकार साहू :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि आपके उत्तर ''ग'' में आया है कि जिला धमतरी में अवैध प्लाटिंग एवं अवैध कॉलोनी के

लिये जिम्मेदार अधिकारी एवं कर्मचारी की सूची निरंक है। अभी आपने अपने उत्तर में बोला है कि आपने निलंबित करने की कार्रवाई की है। आप लिखित में उत्तर निरंक दे रहे हैं। आप इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करें।

सभापति महोदय :- आप समझाने की बात कर रहे हैं न तो माननीय मंत्री जी पूरी व्याख्यानमाला कर देंगे।

श्री टंकराम वर्मा :- इसमें 3 पटवारियों की वेतनवृद्धि रोकी गई है। इसमें धमतरी और कांकेर जिला भी शामिल है। यह मिला-जुला मिश्रित प्रश्न भी है और उत्तर भी ऐसे आ रहा है।

श्री ओंकार साहू :- आप धमतरी जिला लिखे हो।

श्री टंकराम वर्मा :- धमतरी व कांकेर जिला होगा। दोनों जिला एक साथ चल रहे हैं।

श्री ओंकार साहू :- माननीय सभापति महोदय, इसमें 2024-25 में 10 प्रकरण और 2025-26 में 39 प्रकरण का उल्लेख हुआ है, लेकिन ये बहुत कम है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ये शिकायकर्ता होता कौन है ? ये किसान होता है या वहां लगा हुआ दूसरे जो खरीदी करते हैं, वह होता है। ये शिकायतकर्ता के आधार पर हुआ है। लेकिन मैंने पिछले समय प्रश्न लगाया था, माननीय मंत्री जी धमतरी जिला के प्रभारी मंत्री हैं, उनको बोला था कि साथ में चलकर भौतिक सत्यापन करेंगे, लेकिन अभी तक से माननीय मंत्री जी समय नहीं दिये हैं। मैं सदन के माध्यम से जानना चाहूंगा कि क्या माननीय मंत्री जी भौतिक सत्यापन करेंगे ?

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय सभापति महोदय, भौतिक सत्यापन करने के लिये हमारे राजस्व का अमला है। वह क्षेत्र में जायेंगे और वह भौतिक सत्यापन करेंगे और उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। और तहसीलदार को भी नोटिस दिये हैं, उप पंजीयक को भी गया है और जो इसमें पटवारी लगे हुए हैं, उनको भी नोटिस दिया गया है।

श्री ओंकार साहू :- मेरा यह कहना है कि आप ही उत्तर में लिखे हैं कि प्रकरण में निर्मित अवैध मुरूम रोड से हटाया गया है। क्या मुरूम हटाने से आपकी अवैध कॉलोनी और अवैध प्लॉटिंग रूक जायेगी ? चूंकि आपने ही पिछले समय, पिछले सत्र में यह बोला था कि मैं साथ में चलकर क्योंकि आप हमारे प्रभारी मंत्री हैं, साथ में जाकर हम लोग भौतिक सत्यापन करेंगे और आप अभी अपने वायदे से मुकर रहे हैं तो आप यह बताईये, आप इस सदन में घोषणा कीजिये कि मैं साथ में चलकर क्या आप अवैध कॉलोनी, अवैध प्लॉटिंग का भौतिक सत्यापन करेंगे ?

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय सभापति महोदय, धमतरी जिले में जो अवैध प्लॉटिंग की बात आ रही है यह स्वमेव हमारा राजस्व का जो अमला है उनके संज्ञान में आया है, धमतरी जिले का यह जो ग्रामीण क्षेत्र का है उसमें किसी ने शिकायत नहीं की है, हमारे राजस्व अमला की जानकारी में आया है

और उन्होंने अतिक्रमण को हटवाया है । उसको नोटिस भी जारी किया है और 10 जगहों के जो अवैध विकास के काम चल रहे रहे थे उसको भी हटाया गया है उसकी रोड को ब्लॉक किया गया है ।

श्री ओंकार साहू :- माननीय सभापति महोदय, मैं सदन के माध्यम से यह कहना चाहता हूं, चूंकि अभी माननीय मंत्री जी ने बोला कि शिकायत नहीं हुई है तो मैं यही जानना चाहता हूं कि शिकायतकर्ता है कौन ? जो शिकायत करेंगे तब मंत्री जी या उनका विभाग आगे बढ़ेगा । लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि धमतरी निगम क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग, अवैध कॉलोनी अभी स्थापित है क्योंकि कॉलोनी वाले परेशान हैं, वहां न तो पानी की सुविधा है, न लाईट की सुविधा है और न ही रोड की सुविधा है । जो जमीन के दलाल होते हैं वह तो अपनी जमीन बेचकर चले जाते हैं लेकिन वहां जो निवासी निवासरत रहते हैं वह परेशान हैं तो इनकी जो सुविधा है उसको कौन करेगा ? क्योंकि वहां आपका लगा हुआ...।

सभापति महोदय :- आप प्रश्न करें न ।

श्री ओंकार साहू :- जी । माननीय सभापति महोदय, मैं प्रश्न में ही आ रहा हूं कि आपका लगा हुआ ग्राम पंचायत रूद्री, करेठा, मुजगहन, भटगांव है तो यहां पर लगा हुआ जो अवैध प्लॉटिंग हो रहा है उसमें क्या आपका विभाग कार्रवाई करेगा ?

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय सभापति महोदय, धमतरी जिले में, धमतरी नगर क्षेत्र में 3 एरिया था, गोकुल नगर, जिसमें कार्रवाई हुई वहां पर सड़क बनी हुई थी, सड़क को अवरूद्ध किया गया । इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्र जो माननीय विधायक बोल रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में भी देमार है, देमार में 3 जगह है श्यामतराई है, देमार और यह करेठा, रूद्री यह 10 ऐसे स्थान हैं जहां पर अवैध रूप से यहां पर कॉलोनी बनायी जा रही थी तो यहां के दसों जगह के अवैध विकास को हटाया गया है और यह शिकायत कोई पब्लिक की ओर से नहीं आयी है बल्कि हमारे राजस्व विभाग के अमला जो है उनके संज्ञान में आया और उसी तरह से जो 39 और लोग हैं जिसमें बहुत से गांव शामिल हैं रूद्री, अर्जुनी, करेठा, श्यामतराई है । रूद्री में कई जगह है, करेठा है ।

सभापति महोदय :- श्री अजय चंद्राकर ।

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय सभापति महोदय, यह अमला वाला शब्द बार-बार आ रहा है, पूरे प्रदेश में अमला तो आपका जुमला निकला है ।

श्री टंक राम वर्मा :- पूरा काम कर रहा है भई ।

श्री दिलीप लहरिया :- हमारे यहां भी वही हो रहा है, पूरे प्रदेश में हो रहा है ।

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय सभापति महोदय, तो यह 39 जगह था उसके भी मार्ग को अवरूद्ध किया गया है, मुरूम को हटाया गया है और हमारा यह जो काम है नगर निवेश और नगरीय निकाय के, राजस्व विभाग के संयुक्त टीम ने मिल-जुलकर किया है ।

सभापति महोदय :- अंतिम प्रश्न ।

श्री ओंकार साहू :- माननीय सभापति महोदय, जैसा कि मंत्री जी जवाब दे रहे हैं कि शिकायतकर्ता उनके ही अधिकारी-कर्मचारी उनका अमला हैं तो शिकायतकर्ता स्वयं है, जांचकर्ता स्वयं हैं ।

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय सभापति महोदय, शिकायतकर्ता नहीं, उसके संज्ञान में आया है ।

श्री ओंकार साहू :- माननीय मंत्री जी, आपने ही बोला कि शिकायतकर्ता करके। लेकिन आप यह बताईये कि स्वयं संज्ञान लेने वाले अधिकारी क्या वह स्वयं अपने ऊपर कार्रवाई करवायेंगे ? माननीय मंत्री जी, आप अपने विभाग में थोड़ा सा कड़ाई कीजिये क्योंकि धमतरी की स्थिति चूंकि मैं आपको बार-बार यह बोल रहा हूं कि आप वहां के प्रभारी मंत्री हैं तो प्रभारी मंत्री के नाते आप कम से कम धमतरी की जो अवैध प्लॉटिंग है, अवैध कॉलोनी है उस पर आप ध्यान दीजिये । माननीय मंत्री जी, मेरा आपसे निवेदन है, मैं आपसे बार-बार यह निवेदन कर रहा हूं कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं कि एक पटवारी को सस्पेंड करने से, निलंबन करने से कुछ नहीं होगा । वहां बड़े-बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं, जमकर बैठे हुए हैं उन पर आप एक्शन लीजिये ।

सभापति महोदय :- श्री अजय चंद्राकर जी ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, आज के समय में विकृत शहरीकरण को तो स्वीकार ही नहीं किया जाना चाहिए । माननीय मंत्री जी, आपने कार्रवाई का जो उल्लेख किया है उसमें धमतरी, इसमें स्पष्ट लिखा है कि कोई कार्रवाई निरंक है करके । अब दूसरा आपने कार्रवाई की है पटवारी के खिलाफ या जांच की अनुशंसा की है, उनकी क्या गलती है ? उन्होंने आपके हिसाब से तो खुद अवैध प्लॉटिंग का संज्ञान लिया है । आप जैसा उत्तर दे रहे हैं, उन्होंने खुद संज्ञान लिया है और संज्ञान लेने के ऊपर ही आपने कार्रवाई कर दी । शिकायतकर्ता कोई नहीं है । आपने खुद संज्ञान लेकर, कार्यवाही की है। यह आपने बोला है। आपके जिस कर्मचारी ने अच्छा काम किया है, उसको आपने सजा दे दी। मेरा प्रश्न में आपने ही बोला है। कांकेर और धमतरी में अवैध प्लाटिंग एक स्टार्टअप है। आप अवैध प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ जो है, उसमें आपने क्या-क्या कार्यवाही की? मैंने अवैध प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ पूछा है, वहां से मुरम हटाया और दरवाजा हटाया, यह नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपने कार्यवाही में लिखा है कि एस.आई.आर. के कारण कार्यवाही नहीं हुई। यह अवैध कब्जा कब का है ? और यह एस.आई.आर. कब से कब तक चला ? मैं अवैध कब्जा नहीं, अवैध प्लाटिंग और कॉलोनियां कब की हैं ? और यह एस.आई.आर. कब से कब तक चला ?

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि धमतरी व कांकेर जिले का यह प्रश्न मिश्रित था।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैंने धमतरी व कांकेर जिले का ही..?

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय सभापति महोदय, एक मिनट। हमने जो पटवारियों के खिलाफ कार्यवाही की है, वह कांकेर जिले का है ...।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, एक मिनट। आपने ही कहा कि किसी ने कोई शिकायत नहीं की और आपने ही संज्ञान लिया।

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय सभापति महोदय, यह धमतरी जिले का है...।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, इसका मतलब यह है कि आपके कर्मचारियों ने अच्छा काम किया। मतलब आपने उसी के खिलाफ कार्यवाही की। धमतरी व कांकेर जिले की बात है?

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैं वही चीज स्पष्ट कर रहा हूँ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, जो अवैध कॉलोनियां विकसित कर रहे हैं, आपने उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की है? हम उसी प्रश्न में केन्द्रित रहते हैं।

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैं वही चीज स्पष्ट करना चाह रहा हूँ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, दूसरी बात, मैं अपना दूसरा प्रश्न दोहरा देता हूँ। वहां 2-3 सालों से अवैध कॉलोनियां बन रही हैं, उसे नहीं हटाने का कारण एस.आई.आर. को बताया है और यह एस.आई.आर. कब से कब तक चला ? यह अवैध कॉलोनियां कब की हैं ? यह बता दीजिए और आप तब तक क्या कर रहे थे ?

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैं यह स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि यह धमतरी व कांकेर दोनों जिले का एक साथ पूछा हुआ प्रश्न है। मैंने जो कार्यवाही की है, हमारे विभाग ने जो पटवारी के विरूद्ध कार्यवाही की है, वह कांकेर जिले का है। मैंने दोनों का एक साथ जवाब दिया तो यह हो सकता है कि मैंने उसको धमतरी जिला बोल दिया। धमतरी जिले में ...।

सभापति महोदय :- नहीं। वह तो आगे बढ़ गया।

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय सभापति महोदय, हमने जो कार्यवाही की है..।

सभापति महोदय :- माननीय सदस्य अवैध कॉलोनियों के संबंध में प्रश्न पूछ रहे हैं आपने उन लोगों के खिलाफ में क्या कार्यवाही की है ?

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय सभापति महोदय, हम उनके खिलाफ में कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, नहीं-नहीं। यह आपत्तिजनक है। यह प्रकरण 2-3 साल पुराना है, आप कब कार्यवाही करेंगे ? आप यह कारण बताते हैं कि एस.आई.आर. चल रहा है। आप सीधे पिन प्वाईंट उत्तर बताईये कि जो अवैध कॉलोनियां विकसित कर रहे हैं, उनके खिलाफ में क्या कार्यवाही और कब तक करेंगे ? मैं एस.आई.आर. पर ज्यादा नहीं बोलूंगा। उसमें आप क्या कार्यवाही कब तक करेंगे, कांकेर और धमतरी में भी अवैध कब्जा में कर्मचारी दोषी नहीं है। आप दोनों को क्लब मत करिये। जो अवैध कब्जा कर रहे हैं उसके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे?

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैंने धमतरी जिले में बताया, मेरे उत्तर देने में एक जिले का दूसरे जिले में मिश्रित हो गया। धमतरी जिले में हमारे विभाग के अधिकारियों के संज्ञान में आया और अतिक्रमण, अवैध प्लाटिंग को रोका गया। वहां पर हमारे कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की। कांकेर में जो अवैध प्लाटिंग, जिसमें उनको दोषी पाया गया तो वहां के जो हमारे पटवारी हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की गयी और तहसीलदार को भी नोटिस दिया गया है। जो अवैध प्लाटों की कटिंग कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ भी कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैं आखिरी बिन्दु में यही प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जिन्होंने अवैध कब्जा किया है और इस प्रश्नाधीन अवधि में वहां जो अवैध कॉलोनियां विकसित की है? आपने परिशिष्ट में जो उत्तर दिया है, उतनी कॉलोनियों को विकसित किया है, आप उनके खिलाफ क्या कार्यवाही कब तक करेंगे ? आप एक लाईन में बताईये, आप कांकेर और धमतरी, इधर-उधर की बात मत कीजिए। आपने कर्मचारियों को तो बलि का बकरा बनाया है, जिन्होंने दोनों जिले में अवैध कॉलोनियां विकसित की है, आप उनके खिलाफ क्या कार्यवाही कब तक करेंगे ?

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय सभापति महोदय, इसके नियमों में जो लिखा है। हम उसमें नियम के हिसाब से कार्यवाही करेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, अब आप परिशिष्ट पढ़ लीजिए, माननीय मंत्री जी जो उसमें नियम बता रहे हैं? इन्होंने कारण क्या बताया है कि सभी में एस.आई.आर. चल रहा है। अब इसमें गंभीरता तो दिखती है कि अवैध कॉलोनियां कब की हैं और एस.आई.आर. कितने दिन चला और एस.आई.आर. खत्म हुए कितने दिन हो गये ? अब इसमें उत्तर आया है कि हम नियमानुसार कार्यवाही करेंगे। आप इसमें बताने की स्थिति में नहीं है कि आप कब तक कार्यवाही करेंगे।

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय सभापति महोदय,इसमें समय-सीमा नहीं बता सकते है, पर हम कार्यवाही करेंगे।

सभापति महोदय :- श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी।

श्री रामकुमार यादव :- मोला लगथे कि साल दो साल लग सकथे।

सभापति महोदय :- रामकुमार, आप बैठ जाईये।

श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी :- माननीय सभापति महोदय, यह जिला कांकेर में कुल 14 खसरों के क्रय विक्रय पर रोक लगायी गयी है । इस क्रय विक्रय पर रोक कब लगायी गयी है चूंकि आपने अपने उत्तर में दिया है कि जितने टुकड़े हैं, उसकी जांच प्रगतिरत है और वह जांच कहां हुई ? इसमें आप बोलते हैं कि प्रगतिरत है और आप बोल रहे हैं कि हमने उसमें कार्यवाही की है तो आप थोड़ा सा बताईयेगा।

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय सभापति महोदय, शेष 14 खसरों में हमने रोक लगा दी है, पर बाकी खसरों में भी जांच चल रही है ।

सभापति महोदय :- ये कांकेर जिले का मामला है न ?

श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी :- जी ।

सभापति महोदय :- आप धमतरी जिले का मत बताईए ।

श्री टंक राम वर्मा :- मैं कांकेर जिले का ही प्रकरण बता रहा हूं । कांकेर के 14 खसरों में क्रय-विक्रय पर रोक लगाई गई है ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, इस प्रश्न को करीब 25 मिनट से ऊपर हो गए और मंत्री जी जवाब नहीं दे पा रहे हैं ।

सभापति महोदय :- श्रीमती सावित्री जी तो प्रश्न पूछ ही रही हैं ।

श्री भूपेश बघेल :- सीधी सी बात यह है कि यह फिर उसी प्रकार से होगा कि जब हम धमतरी जिले से संबंधित प्रश्न पूछेंगे तो वे कांकेर जिले का उत्तर देंगे । कांकेर जिले से संबंधित प्रश्न पूछेंगे तो वे धमतरी जिले का जवाब देंगे ।

सभापति महोदय :- मैंने इसलिए कहा कि अभी तक धमतरी जिले के सदस्य प्रश्न पूछ रहे थे । आपने भी धमतरी का पूछा । कांकेर के प्रश्न के लिए सावित्री जी को पहली बार अवसर मिला है तो वे कांकेर से संबंधित प्रश्न पूछ रही हैं ।

श्री भूपेश बघेल :- जब ओंकार साहू जी ने धमतरी जिले का प्रश्न पूछा तो मंत्री जी ने कहा कि इंक्रीमेंट रोके गए हैं । बाद में पता चला कि वह कांकेर से संबंधित है तो मंत्री जी यह सब गोल-मोल जवाब दे रहे हैं । मैं सबकी तरफ से मंत्री जी से एक प्रश्न पूछ लेता हूं । इसको विधान सभा की समिति से जांच कराएंगे क्या? क्योंकि यह मामला दो-तीन साल से लंबित है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, लीपापोती हो रही है और सत्ता पक्ष के भी विधायक इसमें काफी चिंतित है । आपसे निवेदन है क्योंकि आपसे तो हो नहीं पा रहा है तो विधान सभा की समिति से जांच कराएंगे क्या ?

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय सभापति महोदय, इसके लिए हमारा राजस्व विभाग सक्षम है । हम इसी से जांच कराएंगे । कार्रवाई भी हो रही है, जांच भी हो रही है ।

श्री भूपेश बघेल :- राजस्व विभाग में किससे जांच कराएंगे ?

श्री टंक राम वर्मा :- हमारे तहसीलदार हैं, एस.डी.एम. है, वे जांच कर रहे हैं । उसके हिसाब से कार्रवाई हो रही है ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, इसका सीधा मतलब ये है कि ये अवैध कालोनी को बढ़ावा देने का पूरा काम राजस्व विभाग के द्वारा हो रहा है और इस उत्तर से हम असंतुष्ट हैं और मंत्री जी इसको संरक्षण दे रहे हैं इसलिए हम बहिर्गमन करते हैं ।

समय :-

11:27 बजे

बहिर्गमन

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में

(श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में बहिर्गमन किया गया)

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर (क्रमश:)

विधानसभा क्षेत्र पत्थलगांव में धारा 170-ख अंतर्गत दर्ज प्रकरणों पर कृत कार्यवाही

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

2. (*क्र. 1367) श्रीमती गोमती साय : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** विधानसभा क्षेत्र पत्थलगांव अंतर्गत वर्ष 2022-23 से जनवरी, 2026 तक अनुसूचित जनजाति, आदिवासी भूमि के क्रय-विक्रय के कितने प्रकरण छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा 170 (ख) अंतर्गत दर्ज हैं ? **(ख)** प्रश्नांक "क" वर्षानुसार कुल प्रकरणों की संख्या ग्रामवार/तहसीलवार विवरण देवें ? कितने प्रकरणों में भूमि को मूल आदिवासी स्वामी को पुनः वापस किया गया ? कितने प्रकरण लंबित हैं तथा कितने प्रकरणों का निराकरण किया गया ? विवरण देवें? **(ग)** प्रकरणों में कितने आदिवासी भूमि पर अवैध क्रय-विक्रय अथवा कब्जा पाया गया? उक्त प्रकरणों पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? विवरण देवें ? **(घ)** धारा 170 (ख) अंतर्गत कितने प्रकरण डायवर्सन हेतु प्राप्त हुए ? कितने प्रकरणों में स्वीकृति दी गई? कितने निरस्त किये गये ? वर्षवार विवरण देवें?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) जशपुर जिले में विधानसभा क्षेत्र पत्थलगांव अन्तर्गत वर्ष 2022-23 से जनवरी 2026 तक अनुसूचित जनजाति आदिवासी भूमि के अंतरण के कुल 19 प्रकरण भू-राजस्व संहिता की धारा 170 (ख) अन्तर्गत दर्ज हैं। **(ख)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र**[1] अनुसार है। **(ग)** विधानसभा क्षेत्र पत्थलगांव में आदिवासी भूमि का अवैध क्रय-विक्रय का मामला प्रकाश में नहीं आया है। 02 प्रकरणों में अवैधानिक कब्जा होने से आदिवासी भूमिस्वामी को भूमि वापस करने का आदेश पारित किया गया है। **(घ)** संहिता की धारा 170 **(ख)** अंतर्गत आदेशित भूमियों में से 01 प्रकरण में डायवर्सन किया गया है।

श्रीमती गोमती साय :- माननीय सभापति महोदय, मेरा प्रश्न क्रमांक 1367 है। मैंने माननीय मंत्री जी से प्रश्न किया है कि विधानसभा क्षेत्र पत्थलगांव अंतर्गत वर्ष 2022-23 से जनवरी, 2026 तक

[1] परिशिष्ट "एक"

अनुसूचित जनजाति, आदिवासी भूमि के क्रय-विक्रय के कितने प्रकरण छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा 170 (ख) अंतर्गत दर्ज हैं? मंत्री जी से जानकारी दी है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं । यह आदिवासियों की जमीन की सुरक्षा का विषय है । यह बहुत ही गंभीर विषय है और धारा 170 (ख) का विषय है । यह समस्या मेरे विधान सभा क्षेत्र का ही नहीं है, बल्कि पूरे जिले का विषय है, पूरे प्रदेश का विषय है, पूरे देश का विषय है क्योंकि आदिवासियों की जमीन है । कई बार ऐसा होता है कि आदिवासियों की जमीन को दबाव से क्रय-विक्रय कर लिया जाता है, ब्लैकमेल से क्रय-विक्रय कर लिया जाता है । कई बार आदिवासी स्वेच्छा से, मजबूरी से अपनी जमीन बेचना चाहता है, वह अलग विषय है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दबाव से, ब्लेकमेल से जमीन लेने का विषय आता है । मंत्री जी ने मेरे विधान सभा क्षेत्र पत्थलगांव में भू राजस्व संहिता की धारा 170 (ख) के अंतर्गत 19 मामला बताया है, जिसमें से 11 मामलों का निराकरण हो चुका है और 8 मामला अभी लंबित है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि 11 मामलों का निराकरण मंत्री जी ने कैसे किया है और किस तरह किया है । अगर निराकरण किया है तो जो संबंधित किसानों के कितने प्रकरण में जमीन को वापिस दिलवाया है ? जो 8 मामले लंबित बचे हैं, उसको कब तक निराकरण करने का प्रयत्न करेंगे ? यह मैं आपके माध्यम से जानना चाहती हूं ।

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय सभापति महोदय, माननीय विधायक जी ने अपने विधान सभा क्षेत्र पत्थलगांव के अनुसूचित जनजाति आदिवासी भूमि के क्रय-विक्रय के संबंध में जानकारी चाही है । जशपुर जिले में विधानसभा क्षेत्र पत्थलगांव अन्तर्गत वर्ष 2022-23 से जनवरी 2026 तक अनुसूचित जनजाति आदिवासी भूमि के क्रय-विक्रय के कुल 19 प्रकरण छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा 170 (ख) अन्तर्गत दर्ज गिए गए हैं । इसमें से 9 प्रकरण सुनवाई के दौरान खारिज किया गया है कि यह धारा 170 'ख' के अन्तर्गत नहीं आता है। दो प्रकरण ऐसे हैं, जिसमें हमारे भूमिस्वामियों को, उनके वारिसान को जमीन वापस दिलाया गया है। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि पत्थलगांव के धनसाय, भोजराम वगैरह ग्राम तिलडेगा की जमीन को, जो उनके मूल वारिसान हैं, उनको वापस करने का आदेश पारित किया गया है। इनको दिनांक 10.2.2026 को कब्जा दिलाया गया है। इसी तरह से गायत्री पत्नि प्रेमचंद गुप्ता ग्राम बागबहार के वारिसान को भी भूमि वापस करने का आदेश पारित हुआ है और दिनांक 16.01.2026 को जमीन पर कब्जा दिलाया गया है।

माननीय सभापति महोदय, अभी 8 प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। इनका भी जल्द से जल्द निबटारा हो जायेगा। जैसा न्यायालय का निर्णय आयेगा उसके हिसाब से इसमें आगे भी कब्जे की कार्यवाही की जायेगी।

श्रीमती गोमती साय :- माननीय सभापति महोदय जी, मैं आपके माध्यम से फिर से जानना चाहती हूं कि क्या 9 प्रकरण है, जो आप बता रहे हैं, प्रकरण का निराकरण हो गया है और कितने भू-

स्वामियों को जमीन का कब्जा दिलाने का प्रयास किया गया है ? क्या यह सही जानकारी है या फिर नहीं है ? अगर जानकारी सही नहीं है तो आप एक बार पता कर लीजियेगा कि आप लोगों ने जितने प्रकरणों का निबटारा किया है, क्या उनको वापस जमीन मिल गया है या नहीं मिला है ? मेरी जानकारी के अनुसार आज तक किसी को जमीन वापस नहीं मिला है।

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि अभी विधान सभा सत्र के दौरान जानकारी ली है। इनमें एक को 10 फरवरी, 2026 को जमीन का कब्जा दिलाया गया है तथा एक गायत्री पत्नि प्रेमचन्द गुप्ता को दिनांक 16 जनवरी, 2026 को कब्जा दिलाया गया है। दोनों को कब्जा दिलाया गया है तथा हमने इस बात को कन्फर्म भी किया है। यदि ऐसा कुछ है तो आप बताईयेगा। हमने बात कर ली है और उनको कब्जा मिल गया है। अभी न्यायालय में 8 प्रकरण लंबित हैं, इनका भी जल्द से जल्द सुनवाई होगा और जैसा निर्णय आयेगा..।

श्री रामकुमार यादव :- मंत्री जी, थोड़ा सा जल्दी उत्तर देवा भाई, स्लो समाचार हमन नइ सुनन। प्रश्नकाल मा एक घंटा मिलथे ओहू मा स्लो कहत हा।

श्री टंकराम वर्मा :- सभापति महोदय, 9 प्रकरण ऐसे हैं, जिमसें धारा 170 ख लागू नहीं होता है। इसी कारण उसको खारिज किया गया है।

श्रीमती गोमती साय :- माननीय सभापति महोदय जी, मेरा इसी के सम्बन्ध में दूसरा प्रश्न है। ग्रामीण क्षेत्रों में आदिवासी भू-स्वामी को भूमि वापस दिलाने का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है ? यदि किया जा रहा है तो उसको भी बतायेंगे।

सभापति महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न है। मैं पूरे प्रदेश की बात कर रही हूं, क्या शहरी क्षेत्रों में भी धारा 170 'ख' में जिस भी किसान का मामला है, तो क्या राजस्व विभाग और हमारे मंत्री जी भी इसके लिए कोई योजना बना रहे हैं ? यदि योजना नहीं बनाये हैं तो क्या योजना बनायेंगे ? क्या उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे ? मैं आपके माध्यम से जानना चाहती हूं।

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय सभापति महोदय, हमारे अनुसूचित जनजाति, आदिवासी भाईयों के साथ अन्याय न हो, उसी के लिए धारा 170 'ख' है। अधिसूचित क्षेत्र में तो यह भी व्यवस्था है कि आदिवासी की जमीन को गैर आदिवासी खरीद नहीं सकता है। जहां मैदानी क्षेत्र है, वहां धारा..।

श्रीमती भावना बोहरा :- सभापति महोदय, इसी में मेरा एक सवाल है।

सभापति महोदय :- उनके बाद।

श्रीमती भावना बोहरा :- उनके बाद, ठीक है।

श्री टंकराम वर्मा :- सभापति महोदय, मैदानी क्षेत्रों में भी आदिवासी से गैर आदिवासी जमीन का अन्तरण करना हो तो कलेक्टर की अनुमति के बगैर नहीं होता है। शहरी क्षेत्र में धारा 170 'ख' लागू नहीं होता है।

सभापति महोदय :- श्रीमती भावना बोहरा।

श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद आपने मुझे समय दिया।

सभापति महोदय :- केवल एक प्रश्न।

श्रीमती भावना बोहरा :- जी, सिर्फ एक ही प्रश्न है, माननीय सभापति महोदय जी, कवर्धा जिला जहां पर बहुत अधिक संख्या में हमारे आदिवासी समाज रहते हैं, जिनकी जमीन वर्ष 2018 से लेकर वर्ष 2021 तक बहुत ज्यादा हस्तांतरण हुई है। आदिवासी जमीनों को सामान्य चाहे कोई से भी अन्य कास्ट के हों, उन्होंने खरीदा है और बहुत गलत तरीके से खरीदा है। उस समय जिस तरीके से वहां पर जो भी पदाधिकारी रहे होंगे, जो प्रशासन शासन में रहे होंगे, बहुत गलत तरीके से सारी जमीनों का ट्रांसफर हुआ है। आज वह व्यक्ति इस बात के लिए भटक रहे हैं कि हमारी जमीन हमको वापस मिले, लेकिन आज उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो आपके माध्यम से मैं जानना चाहूंगी और मांग भी करती हूं कि कवर्धा जिले का भी यही विषय है। तो आदिवासियों की जमीन जिन्होंने अपनी स्वेच्छा से नहीं दी है, उसकी एक बार जांच के लिए आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि क्योंकि बड़ी संख्या में वहां पर आदिवासी हैं और बहुत बड़ी संख्या में गलत तरीके से जमीन हस्तांतरण हुई है तो उसको भी क्या जांच के विषय में लेंगे क्या? वर्ष 2018 से वर्ष 2021-22 के बीच का यह प्रकरण है ।

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय सभापति महोदय, भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 170 (ख) में प्रावधान है और यह जो प्रावधान है, हमारे जो आदिवासी भाई हैं उनकी जमीन की सुरक्षा, उनके न्याय के लिए है। अगर कहीं पर गलत ढंग से आदिवासी की जमीन को गैर-आदिवासी ने क्रय किया है या छल के साथ उसकी जमीन को कब्जा किया है तो उनकी शिकायत आने पर उनकी जांच होती है, उन पर कार्रवाई होती है, उनको विधिसम्मत..।

सभापति महोदय :- श्री देवेन्द्र यादव।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, एक बात माननीय मंत्री जी ने कही है कि यह 170 (ख) केवल ग्रामीण क्षेत्र में लागू है, शहरी क्षेत्र में नहीं और मैं समझता हूं कि इसमें अभी तक के कोई संशोधन इस प्रकार से नहीं हुआ है, यह पूरे प्रदेश में है। आदिवासी की जमीन को गैर-आदिवासी नहीं खरीद सकता, चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरी हो। लेकिन आपने अभी उत्तर दिया कि यह केवल ग्रामीण क्षेत्र में है, यह बात स्पष्ट करिए क्योंकि यह बहुत गंभीर मामला है।

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैदानी क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में आदिवासी की जमीन को कलेक्टर की अनुमति से ही गैर-आदिवासी को अंतरण होता है, यहां भी धारा 170 (ख) जो है, यहां भी लागू होती है, पर उसकी अनुमति कलेक्टर से लगती है। यहां भी लागू होती है।

श्रीमती भावना बोहरा :- महोदय जी, ये दिक्कतें जो हम भी बता रहे हैं, जो आदरणीय सदस्या ने चर्चा की है, वही विषय है कि कलेक्टर के माध्यम से बहुत सारी ऐसी जमीनें किसी कारणवश जो सदन

में शायद कुछ चीजों को हम नहीं बोल पाएंगे, तो कृपया उसकी जांच करायें। महोदय जी, जिले में बहुत सारे पेंडिंग हैं।

सभापति महोदय :- मंत्री जी बता दिए हैं, यदि कोई आवेदन देंगे तो विधिवत रूप से कार्रवाई होगी। जनरल प्रश्न में नहीं आएगा। श्री देवेन्द्र यादव।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि दो प्रकरणों पर इन्होंने आदिवासी को भूमि वापस कराया। यह जनवरी में और फरवरी में आपने कराया तो इस प्रकरण का निराकरण कब हुआ और निराकरण होने के बाद समय इतना क्यों लगा?

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय सभापति महोदय, माननीय विधायक जो प्रश्न पूछ रहे हैं कि उसका प्रकरण कब समाप्त हुआ, कब निर्णय हुआ, मैं निर्णय का डेट बता दिया था और उनको कब्जा सौंपने की भी तिथि बता दी थी। और ज्यादा विस्तार से जानकारी चाहिए तो प्रकरण के लिए फिर प्रकरण मंगवा करके फिर आपको मैं आपको बता पाऊंगा। मैं जो पारित हुआ, वह डेट बता दिया और हमने कब्जा दिलाया, वह दोनों डेट बता दिया कि कब पारित हुआ और कब हमने कब्जा दिलाया।

सभापति महोदय :- श्री देवेन्द्र यादव।

<u>प्रदेश में नजूल भू-स्वामियों से भू-भाटक शुल्क की वसूली हेतु तय नियम/शर्तें</u>

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

3. (*क्र. 1549) श्री देवेन्द्र यादव(श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी) : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश में नजूल भू-स्वामियों से भू-भाटक शुल्क वसूली करने हेतु क्या-क्या नियम शर्तें तय की गई हैं? क्या राजस्व विभाग द्वारा आदेश क्र. एफ-4-47/सात-1/2013,दिनांक 12.02.2015 के द्वारा भू-भाटक वसूली के लिए मार्गदर्शिका जारी की गई है? यदि हां, तो कब-कब एवं क्या-क्या आदेश जारी किया गया है? जानकारी देवें? **(ख)** प्रश्नांश 'क' में उल्लेखित आदेश क्रमांक अनुसार कंडिका (2) की उप कंडिका (2.1) में नजूल भूमि स्वामियों द्वारा भू-भाटक निर्धारण मानक दर की वसूली के क्या-क्या प्रावधान किये गये हैं? जानकारी आदेश क्र. सहित देवें? **(ग)** क्या प्रश्नांश 'क' अनुसार दुर्ग संभाग हेतु भू-स्वामियों से भू-भाटक वसूली हेतु पृथक से आदेश जारी किया गया है? यदि हां, तो आदेश जारी करने हेतु किन-किन नियम शर्तों का पालन किया गया है एवं क्या-क्या आदेश जारी किया गया है?जानकारी आदेश क्रमांक सहित दिनांकवार, जिलेवार देवें?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) नजूल भूमि के भू-भाटक के संबंध में राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार-1 की कंडिका-30 में निर्देश दिये गये हैं, जिसके अनुसार आबंटिती द्वारा पट्टा निष्पादन दिनांक के पश्चात के 01 अप्रैल की तारीख से अथवा आबंटिती द्वारा भूमि का कब्जा लिये

जाने के दिनांक से, जो भी पहले हो, से भू-भाटक लिये जाने का निर्देश है। विभागीय अधिसूचना दिनांक 04 फरवरी 2020 में विभिन्न प्रयोजनों के लिए वार्षिक भू-भाटक के निर्धारण हेतु दरों को अधिसूचित किया गया है। विभागीय अधिसूचना दिनांक 12.02.2015 में नजूल भूमि के नवीनीकरण एवं पट्टा आबंटन प्रक्रिया के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं। **(ख)** विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ4-43/सात-1/2013, दिनांक 12.02.2015 की कंडिका 2.1 में नगरीय क्षेत्र में शामिल ग्रामों की नजूल भूमि का पट्टा आबंटन के प्रकरणों में वार्षिक भू-भाटक का निर्धारण मानक दर पर चालू वर्ष से किये जाने का निर्देश है। यदि किसी मामले में भू-धारक के द्वारा भूस्वामी होने का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे प्रकरणों में भू-धारक से प्रीमियम अथवा भू-भाटक नहीं लिये जाने का निर्देश है। **(ग)** जी नहीं।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, प्रदेश के अंदर नजूल भूमि में बहुत बड़ी संख्या में आबादी ने अपना घर बसा लिया और उसके पश्चात कई लोगों को पट्टा मिल गया, कई लोग नगर निगम क्षेत्र में राजस्व पटा कर रह रहे हैं। इनकी भूमि स्वामित्व के लिए पिछले समय आदेश पारित किया गया और जो नियम बना, वह नियम के अनुसार वर्तमान परिस्थिति में जो भूमि स्वामित्व के लिए दरें निर्धारित हुईं, वह अत्यधिक रहीं। इसको देखते हुए बहुत सारी शिकायतें और बहुत सारे आवेदन लगातार जनता के द्वारा दिए जा रहे हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से इस पूरे विषय पर यह सवाल है कि क्या माननीय मंत्री जी भू-भाटक निर्धारण वसूली हेतु कब्जा किए गए तिथि वर्ष से गणना करने से भू-भाटक की राशि जो कि बहुत अधिक हो रही है, भू-भाटक वसूली का वर्ष में कोई छूट देंगे क्या? भू-भाटक का निर्धारण करने के लिए कोई कमेटी बनायेंगे क्या और कमेटी कितने समय में इस निर्णय को करेगी?

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय सभापति महोदय, भू-भाटक के संबंध में शासन का स्पष्ट निर्देश है। नजूल भूमि के भू-भाटक के संबंध में राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड चार-1 की कंडिका 30 में निर्देश दिए गए हैं, जिसके अनुसार आवंटिती द्वारा पट्टा निष्पादन दिनांक के पश्चात् 01 अप्रैल की तारीख से अथवा आवंटिती द्वारा भूमि का कब्जा लिए जाने के दिनांक से, जो भी पहले हो, से भू-भाटक लिए जाने का निर्देश है। विभागीय अधिसूचना दिनांक 4 फरवरी, 2020 में विभिन्न प्रयोजनों के लिए वार्षिक भू-भाटक के निर्धारण हेतु दरों को अधिसूचित किया गया है, जिसकी विभागीय सूचना दिनांक 12.02.2015 में नजूल भूमि के नवीकरण एवं पट्टा आवंटन प्रक्रिया के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से बहुत साफ प्रश्न है। मैं फिर से उसको दोहरा देता हूँ और आपके सामने कुछ उदाहरण भी रख देता हूँ। कलेक्टर, जिला राजनांदगांव द्वारा दिनांक 04.10.2024 को विभाग से पत्र व्यवहार किया गया था और उसमें यह बताया गया कि जो भू-भाटक का निर्धारण हो रहा है, वह आज के समय के अनुरूप जमीन की कीमत से ज्यादा

हो जा रहा है। जैसा कि कलेक्टर द्वारा विभाग को पत्र प्रेषित किया गया है, उसमें जो उदाहरण दिया गया है, मैं उसको आपके सामने रखना चाहता हूँ। श्री गोविंद राम, पिता श्री चंदनमाल डागा, उम्र 47 वर्ष। पहले इन्होंने जो पट्टा लिया था, उसका भू-भाटक निर्धारण लाखों में हो रहा है। वैसे ही 74 वर्ष पहले का कब्जा है, उसका भू-भाटक निर्धारण करोड़ों में हो रहा है। ऐसे समय में वहाँ पर जो परिवार 50 साल से, 60 साल से, 70 साल से रह रहे हैं, जो गरीब परिवार हैं, आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं, उनको भू-स्वामी बनाने का काम सरकार ने शुरू किया था। उसके लिए जो मानक दर है, उसका निर्धारण आप उचित तरीके से करेंगे तब जाकर इन लोगों को न्याय मिलेगा। मेरा बहुत साफ और प्वाइंटेड प्रश्न है कि क्या आप भू-भाटक के वर्ष की गणना छत्तीसगढ़ की स्थापना के वर्ष के अनुरूप करेंगे? या आप इसके लिए कोई उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर इसके नियम में और भू-भाटक वर्ष को पुनः निर्धारण करने के लिए कार्रवाई करेंगे?

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय सभापति महोदय, माननीय विधायक की जो मंशा है, उसको मैं स्पष्ट रूप से समझ रहा हूँ। यह विषय राजनांदगांव जिले के संबंध में आया है। वर्ष 2015 के आदेश में जो निर्देश हैं, उसमें थोड़ी-सी स्पष्टता नहीं थी। actual में यह 01 अप्रैल की स्थिति या पट्टा निष्पादन की तिथि से लागू होती है। राजनांदगांव जिले में कई गाँव ऐसे हैं, जहां बहुत पुराने रहवासी थे। वे वहाँ शामिल हुए और उनका भू-भाटक का निर्धारण बहुत पहले से किए जाने का विषय आया है। माननीय सभापति महोदय, हमारे विभाग के द्वारा इसका स्पष्ट ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, ताकि किसी के साथ अन्याय मत हो और उनका भू-भाटक निर्धारण उनके पट्टा निष्पादन की तिथि से, वित्तीय वर्ष या कब्जा दिलाने के तिथि से हो। क्योंकि माननीय सदस्य बता रहे हैं कि 10 साल, 15 साल का उसके अधिभार नहीं आएगा, इसके लिए हमारा राजस्व विभाग ड्राफ्ट तैयार कर रहा है।

सभापति महोदय :- श्रीमती चातुरी नंद।

श्रीमती गोमती साय :- माननीय महोदय जी, मेरा एक विषय और रह गया है क्योंकि विषय हमारा था। मुझको एक बार थोड़ा और क्लियर करने दीजिए। मंत्री महोदय जी, यह आदिवासियों के जमीन की सेफ्टी का विषय है इसलिए मैं...।

सभापति महोदय :- आप कौन से प्रश्न में पूछ रहे हैं?

श्रीमती गोमती साय :- मेरा पहले का ही प्रश्न है।

सभापति महोदय :- अब प्रश्न आगे बढ़ गया है।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, चूँकि मेरे सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं मिला है। मैं एक बार फिर माननीय मंत्री जी से पुनः दो विषयों पर जानना चाहता हूँ। वर्ष 2015 का जो आदेश है, क्या उसको सभी जिलों में जिला कलेक्टरों द्वारा सामान्य रूप से पालन किया जा रहा है? अगर नहीं किया जा रहा है तो क्या उसके लिए शिकायतें आई हैं? शिकायतें आई हैं तो शिकायतों में क्या कार्रवाई

हुई है? मेरा अंतिम प्रश्न है कि क्या भू-भाटक पुनर्निर्धारण करने के लिए आप कोई समयबद्ध प्रबंधन, उसके लिए कमेटी के निर्माण की घोषणा करेंगे? और उसमें कितना समय लगेगा? उसकी जांच के बाद आप नया भू-भाटक का निर्धारण करेंगे, क्या आप इसको सदन में स्पष्ट करेंगे?

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय सभापति महोदय, भू-भाटक और पट्टा के संबंध में विभाग के द्वारा कई बार निर्देश जारी हुये हैं । जैसे वर्ष 2015 में, वर्ष 2019 में, वर्ष 2020 में, वर्ष 2022 में, वर्ष 2024 में निर्देश जारी हुये हैं । माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2015 में जो भू-भाटक के निर्देश जारी हुये हैं, उसमें थोड़ा सा स्पष्टता नहीं है, जिसके कारण ...।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी यही बात लगातार बोल रहे हैं और मैं जो सवाल कर रहा हूँ उसका कोई जवाब ही नहीं आया है।

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय सभापति महोदय, ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं कि किसी के साथ विषमता न हो ।

श्री देवेन्द्र यादव :- वह कब तक कंपलीट हो जायेगा, आप उसका समय बता दें ।

श्री टंकराम वर्मा :- सभापति महोदय, उसी समय से लागू होगी ।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय मंत्री जी, कब ?

श्री टंकराम वर्मा :- जल्दी कर लेंगे ।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय मंत्री जी, गरीब जनता परेशान हो रही है । आप यह बता दें कि अगल सदन तक कंपलीट हो जायेगा या अंजोर में जायेगा, विजन 47 में जायेगा ? (व्यवधान) जो कलेक्टर महोदय, मनमानी तरीके से वर्ष 2015 के नियम को ताक में रखकर अपने हिसाब से भू-भाटक लगा रहे हैं, आप उस पर क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्रीमती सावित्री मंडावी :- सभापति महोदय, हमारे पास इसका प्रूफ भी है ।

श्री टंकराम वर्मा :-माननीय सभापति महोदय, 2-3 महीने में इसका ड्राफ्ट तैयार करके सारे जिले को स्पष्ट दिशानिर्देश दे देंगे ।

सभापति महोदय :- श्रीमती चातुरी जी । प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल में सभी का संभव नहीं है ।

श्रीमती सावित्री मंडावी :- सभापति महोदय, दोनों का प्रश्न है । संयुक्त है । (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, मुझे याद नहीं है कि एक प्रश्न में दो सदस्य के नाम हो और यह इतिहास में दर्ज हो रहा है ।

सभापति महोदय :- यह पहले भी आया है ।

श्री भूपेश बघेल :- पहले भी आया है, वर्षों बाद आया है लगता है ।

सभापति महोदय :- यह पहले आया है, मेरे को याद है ।

श्री भूपेश बघेल :- आपको याद होगा ।

श्रीमती सावित्री मंडावी :- माननीय सभापति महोदय जी, मैं प्रश्न नहीं पढ़ूँगी, बस आन्सर चाहती हूँ । आपका आदेश दिनांक 12-2-2015 के तहत चालू वर्ष से भू-भाटक का निर्धारण किया जाना चाहिये, जबकि अभी राजनांदगांव जिले में नजूल विभाग के द्वारा वर्तमान की दर से विगत वर्षों का निर्धारण हेतु आदेश प्रसारित किया जा रहा है, जो कि अनुचित है और उसका निर्धारण हर वर्ष के दर से होना चाहिये । माननीय सभापति महोदय, मेरा इसके पास प्रूफ भी है, मैं आपके पटल पर रख सकती हूँ । यदि वास्तव में ऐसा हो रहा है तो माननीय मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे क्या ?

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैं इसी विषय पर अभी और बोला हूँ कि राजनांदगांव में विषय आया है और हम उसमें जल्दी ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, वर्ष 2015 में जो निर्देश जारी किये हैं, उसके गलत व्याख्या के कारण राजनांदगांव जिले में यह प्राब्लम आया है । पूरे जिले में स्पष्ट दिशानिर्देश देंगे, ताकि कहीं पर कोई समस्या न हो ।

श्री देवेन्द्र यादव :- समयबद्ध तरीके में दो महीने या तीन महीने है ? आपने बोला है कि दो महीने में कर देंगे । सभापति महोदय, आखिरी प्रश्न है कि दो महीने या तीन महीने में करेंगे ?

श्री टंकराम वर्मा :- तीन महीने में कर देंगे ।

श्री देवेन्द्र यादव :- तीन महीने में, धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- श्रीमती चातुरी नंद ।

<u>महासमुंद जिले के जंगलबेड़ा में वृक्षारोपण एवं अवैध पेड़ कटाई</u>

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

4. (*क्र. 2514) श्रीमती चातुरी नन्द : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वर्ष 2025 में क्या महासमुंद वनमण्डल के सरायपाली वन परिक्षेत्र के अंतर्गत ग्राम जंगलबेड़ा में नर्सरी अथवा वृक्षारोपण का कार्य किया गया था? यदि हां, तो किस-किस प्रकार के कुल कितने वृक्ष कितने क्षेत्रफल में लगाए गए थे? (ख) क्या उपरोक्त नर्सरी की भूमि को उद्योग विभाग अथवा सोलर प्लांट स्थापना के लिए उपयोग करने हेतु वन विभाग द्वारा एनओसी जारी की गई थी ? यदि हां, तो किन शर्तों के तहत कब एनओसी जारी की गई थी? (ग) क्या उक्तक अवधि में जंगलबेड़ा में अवैध पेड़ कटाई के प्रकरण विभाग के संज्ञान में आए हैं? यदि हां, तो अवैध पेड़ कटाई पर विभाग द्वारा कब-कब क्या कार्रवाई की गई है ?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।(ख) जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।(ग) जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्रीमती चातुरी नंद :- सभापति महोदय, मोर मूल प्रश्न मा कोनो अवधि के उल्लेख नइ हे । लेकिन सदन के द्वारा मोर मूल प्रश्न ला संशोधित करके वोमा समयावधि 2025 कर दे गे हे । अऊ उद्भूत नहीं होता, के हे हे । माननीय मंत्री महोदय जी हा मोर प्रश्न के लिखित जवाब म बताय हावय कि जी नहीं, कोनो प्रश्न उद्भूत नहीं हो सकय । अऊ प्रश्न क, ख, ग, ये तीनों भाग के उत्तर म असनेच बताय गे हे । मोर मेर शासकीय दस्तावेज हावय, जेखर ले प्रमाणित होवत हे कि जंगलबेड़ा के खसरा नंबर 390 म वोखर रकबरा 20 हेक्टेअर हावय ।वोमा 1989-90 के एक मिसल हे, वो मिसल के अनुसार सामाजिक वानिकी वन विभाग सुरक्षित हावय । एखर ले स्पष्ट होथे कि माननीय वन मंत्री के द्वारा जो मोला लिखित में उत्तर दे गे हावय, वो जवाब सही नहीं हावय ।

सभापति महोदय :- आप प्रश्न करव ना ?

श्रीमती चातुरी नंद :- मैं पहली बता देथंव ना । काबर कि कोनों प्रश्न उद्भूत नइ होवत हे कहाथ ए । वोखर कारण बता दव ?

श्री भूपेश बघेल :- सभापति महोदय, एक मिनट चातुरी जी । सभापति महोदय, माननीय सदस्या ने बहुत गंभीर बात कही है । वह पहली बार चुनकर आई है और उनका मूल प्रश्न बदल गया है । मतलब यह है कि विभाग ने [XX][2] यह बहुत गंभीर मामला है, यदि इस प्रकार से हो रहा है तो इसमें कड़ी कारवाई होनी चाहिए और आसंदी से यह निर्देश होना चाहिए कि [XX] तो इसमें कड़ी कारवाई होना चाहिए। [XX] क्योंकि विभाग उन्होंने...। (व्यवधान)

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- नहीं-नहीं आप आरोप लगा रहे हैं लेकिन आप वास्तविक प्रश्न एक बार देख लीजिएगा। आप प्रश्न के आधार पर बोलिए।

श्रीमती चातुरी नंद :- मोर मूल प्रश्न मोर पास हावए। (व्यवधान)

श्री केदार कश्यप :- उन्होंने जो प्रश्न किया है, उसी के आधार पर उत्तर दिया गया है। (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- उनका मूल प्रश्न उनके पास है। उसका स्वरूप बदल गया है। यह बहुत गंभीर बात है। (व्यवधान)

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, व्यवस्था दे दीजिए।

श्री उमेश पटेल :- माननीय मंत्री जी, सिर्फ वर्ष डालने के कारण पूरे प्रश्न का भाव बदल गया है। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, [XX] (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, हमारे वरिष्ठ सदस्य जो उठा रहे हैं, ये बहुत गंभीर बात है। (व्यवधान)

---

[2] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, ये बहुत गंभीर बात है। [XX] [3] (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- सभापति महोदय, उनका मूल प्रश्न बदल गया है।

श्री रामकुमार यादव :- सरकार जवाब नई दे सकत हे। (व्यवधान)

श्री केदार कश्यप :- आसंदी से व्यवस्था आ जाए।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, चूंकि यह मामला सदन में आ चुका है और माननीय सदस्य ने कहा उनका मूल प्रश्न बदल गया है तो आपसे निवेदन है कि इसकी जांच करा लें और सही पाया जाता है तो फिर आप आधे घंटे की चर्चा कराएंगे। ये आपसे निवेदन करते हैं।

सभापति महोदय :- इसमें जो प्रश्न है, क्या वन विभाग महासमुंद वनमंडल के सरायपाली वन परिक्षेत्र के अंतर्गत ग्राम जंगलबेड़ा में नर्सरी अथवा वृक्षारोपण कार्य किया गया था? यदि हां तो किस-किस प्रकार के कुल कितने वृक्ष क्षेत्र लगाए गए? अब आप उसका कुछ न कुछ समय अवधि करेंगे न।

श्रीमती चातुरी नंद :- नहीं समय अवधि करिहा..।

सभापति महोदय :- आप 1947 से पूछेंगे, इसमें तो वही हुआ न कि क्या वन विभाग महासमुंद वनमंडल सरायपाली वन परिक्षेत्र, आपने कब से पूछा ? कोई समय अवधि रहेगी ?

श्रीमती चातुरी नंद :- सभापति महोदय, मैं समय सीमा नई पूछेव। वहां ओ नर्सरी रहिस हे कि नहीं। लेकिन अभी ओ नर्सरी ला खत्म करे गे हावए।

सभापति महोदय :- आपका जो प्रश्न है, आप उसमें प्रश्न कीजिए।

श्री भूपेश बघेल :- सभापति महोदय, उन्होंने जो प्रश्न पूछा है उसमें नर्सरी था या नहीं था। यह 2025 अपने आप कहां से आ गया ?

सभापति महोदय :- कहीं न कहीं उसको सुनिश्चित करना पड़ेगा।

श्री भूपेश बघेल :- नहीं-नहीं, कहीं न कहीं कैसे सुनिश्चित करेंगे? जब नर्सरी है नहीं तो नर्सरी 1947 का भी तो हो सकता है।

सभापति महोदय :- कब का ?

श्री भूपेश बघेल :- अंग्रेजों के समय का भी हो सकता है। रिकॉर्ड तो नहीं बदलेगा। यदि आपके राजस्व रिकॉर्ड में लिखा है, यदि 1947 के पहले भी कलेक्ट्रेट बना है तो राजस्व में तो यही लिखा गया है कलेक्ट्रेट भवन 1947 के पहले बना है।

सभापति महोदय :- लिखेंगे ना? कहीं न कहीं तो उसको लिखेंगे ना ?

श्री भूपेश बघेल :- लिखेंगे ना? क्या [XX] पूरा प्रश्न का स्वरूप ही बदल गया।

सभापति महोदय :- नहीं-नहीं, हम भी प्रश्न करते हैं, आप भी प्रश्न करते हैं उसमें लिखा रहता है, उसमें 5 साल, 10 साल, 20 साल जो भी है, उसमें समय अवधि लिखा रहता है।

---

[3] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

श्री भूपेश बघेल :- यदि आप वन लिखे हैं, पंचवन लिखे हैं, कभी भी हो सकता है।

सभापति महोदय :- [XX] [4] मैं उसको विलोपित करता हूं।

श्री भूपेश बघेल :- सभापति महोदय, [XX] इसकी जांच होनी चाहिए।

सभापति महोदय :- जो भी आया है, मैं उसको विलोपित करता हूं। आप प्रश्न पूछिए।

श्रीमती चातुरी नंद :- माननीय सभापति महोदय, ये शासकीय रिकॉर्ड हे, ये शासकीय रिकॉर्ड में स्पष्ट तौर पे कहे गे हे कि नर्सरी की अवैध कटाई बंद हो के संबंध में मौका जांच किया गया जिसमें खसरा नंबर 390 रकबा हेक्टेयर 20 मिसल 1889-90 के अनुसार सामाजिक वानिकी नर्सरी वन विभाग सुरक्षित है, जेमे मौके में आंवला, खैर इत्यादि वृक्ष लगाया गया पाए गिस जिसमें से कुछ भाग पर सोलर प्लांट के बाउंड्री वाल कर घेराव किया जाना पाया गया। उक्त खसरा नंबर 390 का आबंटन गोदावरी सोलर प्लांट को उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार नहीं हुआ है। (शेम शेम की आवाज)

श्री अटल श्रीवास्तव :- पूरा जल जंगल जमीन सब बेच देंगे।

श्रीमती चातुरी नंद :- सभापति महोदय, समय सीमा के बंधन करे जाना मतलब सीधा-सीधा गोदावरी सोलर प्लांट ला बचाए जाए के साजिश होवत हे। (शेम शेम की आवाज) माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहत हंव कि ओ जंगलबेड़ा गांव के मनखे मन हर पिछले डेढ़ महीना से अनिश्चितकालीन हड़ताल में हावे लेकिन शासन प्रशासन ओकर तरफ ध्यान नई देवत हे और भी दस्तावेज है जेमे माननीय तहसीलदार के जांच रिपोर्ट है, मैं मूल प्रश्न पूछना चाहत हंव। अतः माननीय मंत्री जी से मैं मांग करत हंव कि मोर प्रश्न के असत्य जवाब तैयार करके भेजने वाला वन विभाग के अधिकारी के विरुद्ध कड़ा से कड़ा कारवाई करे जाए और नर्सरी ला उजाड़ने वाला तथा वृक्षों के अवैध कटाई करने वाला जिम्मेदार सोलर प्लांट के ऊपर कानूनी कारवाई करे जाही का? (मेजों की थपथपाहट)

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, एक तो माननीय भूपेश बघेल जी ने जो विधान सभा सचिवालय पर प्रश्न उठाया है। (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं। मैं यह पहले स्पष्ट कर चुका हूं। मैंने विधान सभा सचिवालय पर आरोप नहीं लगाया है। यह बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, यह गलत परंपरा है। (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- मंत्री जी, आप गोदावरी सोलर प्लांट को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मैंने सचिवालय पर कोई आरोप नहीं लगाया है। (व्यवधान)

श्री केदार कश्यप :- आपका जो प्रश्न आया, उस प्रश्न का उत्तर हमने दिया है। आपने जो प्रश्न किया है, उस प्रश्न का उत्तर हमने दिया है। (व्यवधान)

---

[4] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

श्री भूपेश बघेल :- सभापति महोदय, हम वही प्रश्न कर रहे हैं। आपको गलत जानकारी दी गई है। (व्यवधान)

श्री केदार कश्यप :- सभापति महोदय, हम आपको वही तो बता रहे हैं। आपने इसमें प्रश्न पूछा है कि वर्ष 2025 में वृक्षारोपण हुआ या नहीं हुआ तो मैंने उसका उत्तर दिया है।

श्रीमती चातुरी नंद :- माननीय सभापति महोदय, मोर मूल प्रश्न मोर हाथ में हे। मैं एला आप तक भेजना चाहत हो। मोर मूल प्रश्न मा वर्ष 2025 के उल्लेख ही नहीं हे। (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, यह विभाग के अधिकारियों को बचाने का काम कर रहे हैं। यह मिलीभगत कर रहे हैं। मंत्री जी, आप यह बताइये कि उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे? (व्यवधान)

सभापति महोदय :- भूपेश जी, आप बैठिये। आप मेरी बात सुनिये। यह प्रश्न अनिश्चित समय अवधि व प्रकृति का प्रश्न होने के कारण सचिवालय द्वारा नियमों के अंतर्गत अवधि अंकित कर ग्राह्य योग्य किया गया है ताकि प्रश्न ग्राह्य हो सके। अन्यथा नियम अंतर्गत न होने के कारण प्रश्न ग्राह्य ही नहीं हो पाता, इसलिए उसमें तारीख दी गयी है क्योंकि आप अनिश्चित काल के लिए प्रश्न नहीं कर सकते, इसलिए उसमें तारीख दी गयी है और जो प्रश्न आया है, आप उसमें प्रश्न पूछें और मंत्री जी जवाब देंगे।

श्रीमती चातुरी नंद :- माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय जी से यह पूछना चाहत हो कि वन विभाग के नर्सरी मा गोदावरी सोलर प्लांट के द्वारा जो अतिक्रमण करे गे हवे, का ओला तत्काल हटाये जाही?

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, मैंने अपनी जानकारी में स्पष्ट किया है कि जो जमीन है, वह इस प्रश्न से उद्भूत नहीं होती है। लेकिन जो जमीन वहां पर इस संयंत्र को दी गयी है, वह वन विभाग की नहीं है। (व्यवधान)

श्रीमती चातुरी नंद :- माननीय सभापति महोदय, मोर कना सरकारी दस्तावेज हे अउ वहां वन विभाग के नर्सरी । (व्यवधान)

श्री अटल श्रीवास्तव :- भाई, आप क्या बात कर रहे हैं? 89 में बता रहे हैं कि सामाजिक वानिकी का नर्सरी था।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, हम माननीय मंत्री जी के जवाब से असंतुष्ट होकर इस सदन से बहिर्गमन करते हैं।

समय :

11.58 बजे

<u>बहिर्गमन</u>

<u>भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में.</u>

(नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये)

सभापति महोदय :- श्री भूपेश बघेल।

श्री रोहित साहू :- आप बहिर्गमन वापस कीजिये। माननीय जी आ गये हैं।

कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- सभापति जी, बहिर्गमन वालों का क्या प्रश्न?

श्री रोहित साहू :- सभापति महोदय, अभी बहिर्गमन वापस हो गया है।

सभापति महोदय :- समय नहीं है। आप उनको प्रश्न करने दीजिये।

<u>तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर (क्रमश:)</u>

<u>रायपुर संभाग की सहकारी सोसायटियों में धान शॉर्टेज</u>

[सहकारिता]

5. (*क्र. 2566) श्री भूपेश बघेल : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वर्ष 2024-25 की धान खरीदी में रायपुर संभाग की कितनी सहकारी सोसायटी में धान शॉर्टेज बताया गया? (ख) वर्ष 2024-25 में रायपुर संभाग में धान शॉर्टेज बताने वाले कितने सहकारी समिति प्रभारी इस वर्ष 2025-26 में भी सोसायटी में धान खरीदी करवा रहे हैं? (ग) रायपुर संभाग में वर्ष 2025-26 में कितने राइस मिलर्स और समिति प्रभारी पर धान खरीदी में अनियमितता पर FIR दर्ज हुई है?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) वर्ष 2024-25 के धान खरीदी में रायपुर संभाग की 161 सहकारी सोसायटियों के 200 धान उपार्जन केंद्रो में धान शॉर्टेज पाया गया। (ख) वर्ष 2024-25 में रायपुर संभाग अंतर्गत धान शार्टेज बताने वाले 71 समिति प्रभारी एवं 26 उपार्जन केन्द्र प्रभारी द्वारा वर्ष 2025-26 में भी धान खरीदी का कार्य किया गया है। (ग) रायपुर संभाग में वर्ष 2025-26 में 03 राईस मिलर्स, 03 समिति प्रभारियों एवं 09 उपार्जन केन्द्र प्रभारियों पर धान खरीदी में अनियमितता पर FIR दर्ज कराया गया है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर में आप मुझे यह बताइए कि वर्ष 2024-25 में कितना धान शॉर्टेज हुआ और उसकी कीमत क्या है? दूसरा प्रश्न, आप इसी में यह बता दीजिए कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तीसरा प्रश्न, आप यह बता दीजिए कि जितनी सोसाइटियों और जितने कर्मचारियों को आपने आरोपी बनाया है, उनको आपने फिर से वर्ष 2025-26 में धान खरीदने की अनुमति क्यों दी?

श्री रोहित साहू :- माननीय सभापति महोदय, पहले आप यह भी पूछ लीजिये कि उनका बहिर्गमन हुआ है या नहीं हुआ है?

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2024-25 में जितने धान का शॉर्टेज हुआ तो मीट्रिक टन के आधार पर टोटल 15,772.21 मीट्रिक टन धान का शॉर्टेज हुआ और लगभग 3,627.95 लाख रुपये की राशि के धान का शॉर्टेज हुआ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, कुल कितनी समितियां हैं और वर्ष 2025-26 में धान खरीदने के लिए आपने कितनी समितियों को फिर से काम दे दिया?

श्री केदार कश्यप :- सभापति महोदय, रायपुर के अंतर्गत टोटल 526 समितियां हैं और उसमें उपार्जन केंद्रों की संख्या लगभग 677 है और जो शॉर्टेज वाली समितियां हैं, उसकी संख्या 161 है और 200।

श्री भूपेश बघेल :- सभापति महोदय, आपने कितने के खिलाफ FIR की और बचे हुए में FIR क्यों नहीं की?

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, FIR की गयी है और 58B के तहत भी जो दो समिति प्रभारी हैं, उनको भी नोटिस जारी किया गया है।

श्री भूपेश बघेल :- आपने कुल कितने लोगों के खिलाफ FIR की?

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, मैंने आपको FIR की जानकारी दी है। यदि आप कहेंगे तो मैं आपको अलग से उपलब्ध करवा दूंगा।

सभापति महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त।

(प्रश्नकाल समाप्त)

समय:

12.00 बजे

पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त छत्तीसगढ़ राज्य के वर्ष 2024-25 के वित्त लेखे खण्ड 1 एवं 2 तथा विनियोग लेखें छत्तीसगढ़ शासन।

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- माननीय सभापति महोदय, मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त छत्तीसगढ़ राज्य के वर्ष 2024-25 के वित्त लेखे खण्ड 1 एवं 2 तथा विनियोग लेखें छत्तीसगढ़ शासन पटल पर रखता हूं।

(2) छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005)

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- माननीय सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार बजट अनुमान वर्ष 2025-2026 के संदर्भ में तृतीय तिमाही की आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा पटल पर रखता हूं।

पूच्छा

श्री कवासी लखमा (कोंटा) :- माननीय सभापति महोदय, मैंने एक सूचना दी है। कल बीजापुर के गंगालूर में बच्चियों के बारे में बहुत-सी चर्चा हुई थी और आज हमारे सुकमा जिला के कोंटा नगर पंचायत में कस्तूरबा आश्रम में पढ़ने वाली बच्ची गर्भवती हो गई। उसको अधीक्षक ने शक में हॉस्पिटल ले गया और हॉस्पिटल में जाने के बाद उसे गोली खिला दी गयी और वह बच्ची वहीं मर गई। (शेम-शेम की आवाज) उसी तरह कलेक्टर कार्यालय और जिला हॉस्पिटल के बाजू में कक्षा तीसरी में पढ़ने वाला विकलांग बच्चे ने सुबह नाश्ता नहीं किया और उसको हॉस्पिटल ले जाया गया तो वह भी वहां मर गया। इस सरकार में इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है। कल मंत्री जी का बयान आने के बाद लोग अभी-भी नहीं सुधरे हैं। मंत्री जी कल तो यह बता रहे थे कि वह बच्चियां बाहर चले गई थी लेकिन इसे तो अधीक्षक हॉस्पिटल लेकर गया है। उस बच्ची का पेट साफ करने के लिए उसको गोली लिखा दी गयी और उसी समय उस गोली को खाकर वह बच्ची मर गई। क्या उस अधीक्षक के ऊपर एफ.आई.आर. दर्ज होगी ?

सभापति महोदय :- क्या आपने इसके लिए कोई सूचना दी है ?

श्री कवासी लखमा :- सभापति महोदय, मैंने सूचना दी है। मैंने अभी जानकारी दी है। यह गंभीर मामला है। बस्तर में लगातार आदिवासी बच्चियां आश्रम में, हॉस्टल में सुरक्षित नहीं है, वहां विकलांग बच्चा सुरक्षित नहीं है। इस सरकार के आने के बाद यह क्या हो रहा है ? हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं है। वह हॉस्पिटल में जाने के बाद वहां भी सुरक्षित नहीं है। इस प्रकरण को गंभीरता से लेकर उस अधीक्षक के ऊपर एफ.आई.आर. दर्ज की जाये।

श्री अटल श्रीवास्तव :- सरकार का ध्यान तो खनिज बेचने में है।

श्री कवासी लखमा :- सभापति महोदय, इनको उसके ऊपर एफ.आई.आर. दर्ज करनी चाहिए। उस मां-बाप का क्या हाल होगा जिनके बच्चे मर रहे हैं ?

श्री भूपेश बघेल (पाटन) :- सभापति महोदय, इसमें Suo moto एक्शन लेना चाहिए और सदन में वक्तव्य देना चाहिए।

सभापति महोदय, आज हम लोगों ने स्थगन दिया हुआ है। वर्ष 2005 में दुनिया का सबसे बड़ा रोजगार देने वाला कानून बना और उसके तहत प्रदेश में लाखों गरीब मजदूरों का रजिस्ट्रेशन हुआ और लाखों परिवार को महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत रोजगार मिलता था। आज सरकार ने उसे बंद कर दिया है, उसका नाम बदल दिया है और उसका जो मूल स्वरूप है, उसका परिवर्तन कर दिया गया है। सरकार ने उसका नाम बदला है, वह एक अलग विषय है लेकिन उसके साथ-साथ जो मूल विषय है, उनको जो अधिकार मिला था, उसको उन्होंने बंद कर दिया। पहली बात तो यह है कि यह ऐसी योजना थी जिसमें जो मजदूर वाला कंपोनेंट था, उसमें शत प्रतिशत राशि केंद्र से मिलती थी । आज उसको बदल दिया गया है। उसमें जिस निर्माण कार्य का 90/10 रहता था, उसको बदल दिया गया और सब में 60/40 कर दिया गया है। अब सभी राज्यों को 40 प्रतिशत राशि देनी होगी तब जाकर मनरेगा शुरू हो पायेगा। "न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी"। जिस स्तर पर यह कानून बदल दिया गया। तीसरी बड़ी बात यह है कि इसमें पहले डिमांड बेस प्रोग्राम था। कोई भी मजदूर काम मांगता था तो 15 दिन के भीतर 5 कि.मी. के रेडियस में उसको काम देना अनिवार्य होता था, नहीं तो उसे मुआवजा भी देना पड़ता था। लेकिन अब इस सरकार ने उस नियम को बदल दिया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, इस सदन में कल ही नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के सदस्य बता चुके थे कि आज हम नहीं रहेंगे और इस विषय पर नहीं रहेंगे। यह पूर्व नियोजित बात को यहां बोल रहे हैं। सदन इनकी राजनीति का अड्डा नहीं है। यह कल पहले बता चुके थे कि हम नहीं रहेंगे। यह राजनीति करने के लिये आप भाषण दे रहे हैं। यह पहले से बता चुके थे। यह सदन का समय कीमती है। यह आप अपनी राजनीति बंद करें। आपने कल यहां बता दिया था कि हम नहीं रहेंगे।

श्री भूपेश बघेल :- अजय जी, कल माननीय नेता जी ने कहा कि हम 4 घंटा रात में और बैठने के लिये तैयार हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- वह अलग विषय है।

श्री भूपेश बघेल :- वह कैसे अलग विषय है? .. (व्यवधान). मुख्यमंत्री जी के विभाग में हम लोग नहीं रहेंगे।.. (व्यवधान).

श्री अजय चन्द्राकर :- यह सदन आपकी राजनीति का मंच नहीं है। यह जनता की समस्याओं को उठाने का मंच है। यह आपकी राजनीति करने का मंच नहीं है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, इसीलिये आज मुख्यमंत्री जी के विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा रखी गई है।.. (व्यवधान).

श्री सुशांत शुक्ला :- यहां सदन का समय जाया किया रहा है।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- कल हम 4 घंटा चर्चा के लिये तैयार थे।.. (व्यवधान).

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, यह सदन का समय खराब कर रहे हैं।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, यह सदन का समय खराब करने का प्रयास है।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- राजनीति आप लोग कर रहे हैं।

श्री सुनील कुमार सोनी :- सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं भाई। .. (व्यवधान).

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, हम चर्चा करने के लिये तैयार थे।

डॉ. चरणदास मंहत :- माननीय सभापति महोदय, मैंने कल कहा था हम लोग कल मनरेगा पर यहां स्थगन लायेंगे और उसके बाद बहिष्कार करके चले जायेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- यह पूर्व नियोजित है, खुद ही स्वीकार कर लिया।

डॉ. चरणदास मंहत :- पूर्व नियोजित नहीं, मैं बोल तो रहा हूं। मैं यहां असत्य बोलता नहीं हूं। न यहां बोलता हूं और न बाहर में बोलता हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, सदन इनकी राजनीति करने का मंच नहीं है। यह कांग्रेस का मंच नहीं है, यह जनता का मंच है।

डॉ. चरणदास मंहत :- कौन राजनीति कर रहा है ? .. (व्यवधान).

श्री लखेश्वर बघेल :- इसमें राजनीति वाली बात कहां से आ गई ? राजनीति तो आप लोग कर रहे हैं। .. (व्यवधान).

श्री अटल श्रीवास्तव :- आप लोग चर्चा करवाईये। हम बात करेंगे। .. (व्यवधान).

श्री रामकुमार यादव :- गरीब मन ला काम दिलाना राजनीति है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अच्छा आप यह बताईये कि इसको अपने आप स्वीकार करवाकर चर्चा करेंगे क्या ? .. (व्यवधान).

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय सभापित महोदय, आप स्थगन को ग्राह्य कीजिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- हम चर्चा करने को तैयार हैं। .. (व्यवधान).

श्री अजय चन्द्राकर :- क्या आप इस स्थगन को स्वीकार करा कर चर्चा करेंगे ? नेता प्रतिपक्ष जी बोले थे या तो आप राजनीति कर रहे हैं। .. (व्यवधान).

श्री दिलीप लहरिया :- इसमें चर्चा करेंगे, इसको ग्राह्य किया जाये। हम लोग चर्चा करने के लिये तैयार हैं। .. (व्यवधान).

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप ग्राह्य कीजिए, हम चर्चा करेंगे। हम चर्चा करने के लिये तैयार हैं।

श्री रामकुमार यादव :- तुमन तो भगवान के नाम मा राजनीति करथव।

श्री अजय चन्द्राकर :- हम स्वीकार करके चर्चा कराने के लिये तैयार हैं करके। या कल जो बोले वह सत्य है या आज जो बोले वह सत्य है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अजय जी, आप थोड़ा बैठ जायें तो कृपा होगी। अच्छी बात है, आपने कह दिया और नेता जी ने स्वीकार कर लिया कि यहां हम स्थगन लायेंगे और हम बहिष्कार करके चले जायेंगे। यदि आपने इसको स्वीकार कर लिया तो क्या हम भाग जायेंगे ? क्या बहिष्कार कर पायेंगे ?

श्री अजय चन्द्राकर :- आप कौन सी बात सच बोले थे ? आप पहले से बोले थे कि हम नहीं रहेंगे तो फिर आज ये हल्ला क्यों कर रहे हैं ? आप दिखावा क्यों कर रहे हैं ? यह कांग्रेस की राजनीति करने का मंच नहीं है। यह जनता का मंच है। यह आपकी राजनीति का मंच नहीं है।

श्री भूपेश बघेल :- अजय जी, रूक जाईये न। मेरी बात पूरी नहीं हुई है। सभापति महोदय, यह पहले से कैसे तय कर लेंगे ? यदि आपने ग्राह्यता पर चर्चा करा ली और यदि सत्तापक्ष इसको ग्राह्य करने के लिये सहमत हो गया तो क्या हम बहिष्कार कर सकते हैं ? जब स्थगन लाये हैं तो इसमें चर्चा भी हो सकती है।

श्री अजय चन्द्राकर :- जब नेता प्रतिपक्ष जी बोल चुके हैं।

श्री भूपेश बघेल :- आपमें हिम्मत है तो इस पर चर्चा कराईये। .. (व्यवधान).

श्री कुंवर सिंह निषाद :- आपने हिम्मत है तो चर्चा कराईये। .. (व्यवधान).

(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये)

श्री अजय चन्द्राकर :- यह कांग्रेस की राजनीति करने का मंच नही है। .. (व्यवधान).

(पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये)

डॉ. चरणदास मंहत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह छत्तीसगढ़ के गरीबों से काम छीनने का मामला है। यह छत्तीसगढ़ के काम करने वाले गरीब, आदिवासी से गांव से काम छीनने का मामला है।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं तो आसंदी का इंतजार नहीं किया। कल ही व्यवस्था दे थी हम नहीं रहेंगे।

डॉ. चरणदास मंहत :- उसमें हम लोग राजनीति करेंगे, बिल्कुल राजनीति करेंगे।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- माननीय सभापति जी, नेता प्रतिपक्ष जी बोल रहे हैं, उसमें वह टिप्पणी कर रहे हैं, उनको अपनी बात रखने ही नहीं देते हैं।

श्री भूपेश बघेल :- क्या आप इसको ग्राह्य करा रहे हैं?

श्री अजय चन्द्राकर :- नेता जी ने वक्तव्य दिया था, नेता जी बतायें न। आप कल की बात में नहीं थे। नेता जी उस विषय को बतायेंगे।

श्री भूपेश बघेल :- आप ग्राह्य करा रहे हैं क्या? आप जबरदस्ती अकेले मत बोलिये। माननीय सभापति महोदय, आपसे आग्रहहै कि आपसे अनुमति लेकर बोले हैं।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- राजनीति तय करत हस, ग्राह्य करा ले न, चर्चा हो जाही।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति जी, जो नेता जी बोल रहे हैं, वैसे कर दीजिये। यहां मनरेगा में क्या काम छिन रहा है, क्या नहीं छिन रहा है वह तो बात की बात है। अगर ये नहीं जायेंगे तो इनका सबका काम छिन जायेगा।

श्री भूपेश बघेल :- अरे, धर्मजीत सिंह जी, आप रहने दीजिये। किसी का काम छीनने वाला नहीं है।

श्री देवेन्द्र यादव :- आप चर्चा करा दीजिए न।

श्री अजय चन्द्राकर :- राजनीति करने के लिये वहां मंच लगा है, भाषण दीजिये और विधान सभा को बख्श दीजिये आप समझ रहे हैं। आपने कल से बता दिया है।

श्री देवेन्द्र यादव :- आप चर्चा कराईये, हमारे कार्यकर्ता हमारा इंजतार कर लेंगे।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- आपमें हिम्मत है तो चर्चा कराईये।

एक माननीय सदस्य :- हिम्मत नहीं है।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय सभापति महोदय, यह गरीबों को रोजगार देने का मामला है । हमारे राज्यों के हाथ को बांधने का मामला है, हमारे गरीब जो अपनी स्वेच्छा से काम मांग सकते थे अब वह काम नहीं मांग सकता है इस तरह से आप देखेंगे कि यह केंद्र सरकार की मर्जी का मामला हो गया है और जहां गरीबों की बात होगी, हम वहां राजनीति भी करेंगे, बहिष्कार भी करेंगे, अंदर भी जायेंगे, भाषण भी सुनायेंगे । माननीय सभापति महोदय, मैं आपको ही कह रहा हूं कि यह तो मजदूरों के पेट पर लात मारने का मामला है, क्या हम ऐसे मामलों को विधानसभा में नहीं ला सकते ? हम खड़े नहीं हो सकते ? आप हमको असत्य बोल रहे हैं । (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- पहली बात तो यह है कि नेता जी खड़े हुए हैं । (व्यवधान) यह बिल्कुल गलत बात है ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । (व्यवधान)

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- माननीय सभापति महोदय, यह व्यवस्था क्यों मांग रहे हैं ? (व्यवधान) हमारे नेता प्रतिपक्ष जी को बोलने दिया जाये । (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- जब नेता जी खड़े हैं तो यह कैसे खड़े हो रहे हैं ? (व्यवधान)

सभापति महोदय :- बैठिए । उनको बोलने दीजिये । (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मेरा पाईंट ऑफ ऑर्डर है। (व्यवधान)

श्री आशाराम नेताम :- माननीय सभापति महोदय, आप लोग 100 दिन देते थे, हम लोग 125 दिन देते हैं । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- बैठिए । पहले उनको बोलने दीजिये फिर बोलियेगा । (व्यवधान)

श्री रोहित साहू :- बिना मांगे काम देने वाली सरकार है, मजदूरों को काम मांगने की जरूरत नहीं है । (व्यवधान) मजदूरों की चिंता करने की सरकार है । (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, यह किसकी अनुमति से बोल रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- यह सरकार गरीब के नइ हे । (व्यवधान)

श्री विक्रम मण्डावी :- विपक्ष की आवाज को दबाने काम हो रहा है ? (व्यवधान)

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय सभापति महोदय, हमारे अधिकार को...।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । (व्यवधान)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा शासन विरोधी नारे लगाये गये)

सभापति महोदय :- मैं बता रहा हूं । बैठिए । (व्यवधान)

(पक्ष-प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, पहले मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- मैं आपको दे रहा हूं न । (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, उसी विषय पर है, उनकी बात पर ही व्यवस्था का प्रश्न है । (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, हमारे नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका दें । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- बैठिए । आप बोलिये । आप बैठ जायें ।

श्री रोहित साहू :- वह रोजगार गारंटी नहीं, बेरोजगार गारंटी था । (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- 12 साल फोकट में चला है । (व्यवधान)

श्री रोहित साहू :- माननीय सभापति महोदय, बेरोजगार गारंटी हमारी सरकार बिना मांगे काम देने वाली योजना बनायी है, हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है । (व्यवधान) यह विष्णु देव जी की सरकार है, मोदी जी की गारंटी की सरकार है । (व्यवधान) बिना मांगे काम देने की योजना बनायी है, मांगने की जरूरत नहीं है ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, कुछ दिन पहले ही पारित हुआ है आज ये ऐसा कर रहे हैं । (व्यवधान)

(पक्ष-प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये)

श्री अजय चंद्राकर :- दो महीने हो गये हैं, यह तत्कालिक विषय नहीं है जिस पर स्थगन लाये हैं । (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, पाइंट ऑफ ऑर्डर । (व्यवधान)

(पक्ष-प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये)

श्री अजय चंद्राकर :- किसी भी स्थगन पर चर्चा तत्कालिक विषय पर होती है। (व्यवधान) यह कानून बहुत पहले आ चुका है । यह तत्कालिक विषय नहीं है । (व्यवधान) यह केवल इसमें राजनीति कर रहे हैं ।

(पक्ष-प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये)

सभापति महोदय :- सदन की कार्यवाही 5 मिनट तक के लिये स्थगित ।

(अपराह्न 12.13 से 12.23 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)

समय

12.23 बजे **(सभापति महोदय (श्री धरमलाल कौशिक) पीठासीन हुए)**

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय सभापति महोदय, मैं जैसा कह रहा था, यह सुन नहीं रहे थे कि यह छत्तीसगढ़ के गरीबों का मामला है और हम हमेशा गरीबों के साथ रहेंगे। हम हमेशा गरीबों की राजनीति करेंगे। माननीय चन्द्राकर जी को जो करना हो, वह बड़े लोगों की राजनीति करें, उद्योगपतियों की राजनीति करें।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, अगर आपमें इतनी उत्सुकता थी तो दो महीने से यह विषय चल रहा है। बजट में पारित होने के बाद दो महीने हो चुके हैं और आज सदन को चलते हुए 20 दिन हो गये हैं तब से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी को होश नहीं आया।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय सभापति महोदय, हम सबको होश था।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, यह केवल राजनीतिक है।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय सभापति महोदय, आप लोग उद्योगपतियों के कारण बेहोश हैं।

श्री राजेश मूणत :- माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, यहां जब कोई विषय आता है

डॉ. चरणदास महंत :- आप लोग उद्योगपतियों की चर्चा करने में बेहोश हैं।

श्री राजेश मूणत :- माननीय नेता जी, आप तो सभापति रहे हैं। आप नियम-कानून और कायदे को जानते हैं।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय सभापति महोदय, आप गरीबों की बात नहीं सुनना चाहते हैं, न आप विधान सभा में सुनना चाहते हैं।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, आप किसी के कहने पर बरगलाने में आ रहे हो। कल तो आप खुद बोलकर गये। आप क्यों इधर-उधर के बरगलाने में आ रहे हैं।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय सभापति महोदय, मैं किसी के बरगलाने में नहीं आया। मैं खुद बोलकर गया था और अभी भी बोल रहा हूँ और मैं बोलता रहूंगा।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, आप नियम-प्रक्रिया देख लें। आप इतने सीनियर हैं आपको बोलते हुए, हम लोगों को अच्छा नहीं लगता है।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय सभापति महोदय, हम गरीबों के मामले में यहां राजनीति करेंगे, हम बाहर राजनीति करेंगे और हम सब जगह राजनीति करेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष का पद एक विश्वसनीयता का पद है। सदन में माननीय आसंदी, माननीय मुख्यमंत्री जी और आपसे मिलकर, विधान सभा बनता है। आप यहां के नेता हैं। आपकी बातों की विश्वसनीयता होती है। आप अपनी विश्वसनीयता को दांव पर मत लगाईये।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय सभापति महोदय, जब हमने आपको साफ-साफ बता दिया था। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि इसे आप ले लीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- कल हमने आपकी भूमिका की प्रशंसा की थी। आपने कल कुछ कहा और आज कुछ मांग कर रहे हैं। यह आपकी विश्वसनीयता का सवाल है।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय सभापति महोदय, आप जानबूझकर गरीबों के मामले में यहां चर्चा नहीं होने देना चाहते हैं।

सभापति महोदय :- माननीय नेता जी, आप अपनी बात रखिए ।

डॉ. चरण दास महंत :- सभापति महोदय, ये सिर्फ काम छीनने का मामला नहीं है, यह नीति बदलने का मामला नहीं है । गरीबों के नाम से आपकी नीयत खराब हो रही है, ये मामला है । आप हमारे काम को छीन कर केन्द्र को दे देना चाहते हैं । आप पैसा भी उतना रख नहीं रहे हैं । आप कहते हैं कि आप उनको 125 दिन का काम देंगे । उसमें कितना खर्च हुआ ? बजट में 3.8 लाख करोड़

बनेगा । आपने 95 हजार करोड़ दिया है तो कैसे आप पूरे देश में हमें 125 दिन का काम दे सकते हैं। पूरे देश में पिछले साल में सिर्फ 52 दिन का काम दिया है ।

श्री राजेश मूणत :- जब पंचायत विभाग के बजट पर चर्चा हुई, उस समय तो आप नहीं बोल पाये । आपको पूरा समय मिला था, उस समय तो आपने कुछ नहीं कहा । रिकॉड निकालकर देख लें ।

श्री भूपेश बघेल :- सभापति महोदय, मूणत जी आपके बिना अनुमति से कैसे बोल रहे हैं । सीधी सी बात यह है कि बिना अनुमति के कैसे बोल रहे हैं, यह गलत बात है । ऐसे में कैसे सदन चलेगा ।

सभापति महोदय :- मैंने नेता जी को समय दिया है ।

श्री भूपेश बघेल :- आपने नेता जी को अनुमति दी है तो बीच में कोई सदस्य कैसे टोका-टाकी कर सकता है ।

डॉ. चरण दास महंत :- सभापति महोदय, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि गरीबों के मामले में आप बार-बार खड़े होकर डिस्टर्ब करना चाहते हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं । मैं आपके पद की गरिमा को बचाए रखना चाहता हूं ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति जी, हमारे नेता जी खड़े होकर अपनी बात रख रहे हैं और चन्द्राकर जी बार-बार खड़े होकर उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं । आप बोलने ही नहीं देते हैं । (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- गरीब मन के गोठ ला बोलन देव । छत्तीसगढ़ के गरीब मन ह नहीं दिखथे तु मन ला । एक मन ला गरीब मन से कोई लेना देना नहीं ए। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- आप कितने दिन बाद इस विषय को उठा रहे हैं ।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- हमारे नेता जी का अपमान कर रहे हैं । सभापति महोदय, आप उनको बैठने बोलिए ।

सभापति महोदय :- अजय जी, आप बैठिए ।

डॉ. चरण दास महंत :- सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यहां का गरीब ऐसे ही गरीब होता जा रहा है । आप इसको स्वीकार कर लीजिए, हमें चर्चा करने दीजिए । हम सिर्फ गरीबों की बात कर रहे हैं । किसी अडानी, अम्बानी या किसी भी बड़े आदमी की बात नहीं करेंगे तो हमारी बात को सुन लीजिए । अगर सदन में गरीबों के बारे में बात नहीं किया जाये, जिनके काम छीन लिये जा रहे हैं, उनके बारे में बात नहीं आये, जिनके काम लूटे जा रहे हैं, उनके लिए बात नहीं किया जाये तो किसके लिए बात करेंगे । मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे स्थगन पर आप चर्चा कराएं, बात करें, जो आपको निर्देश देना है, दीजिए ।

श्री कवासी लखमा (कोंटा) :- सभापति महोदय, नेता जी और पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो स्थगन प्रस्ताव रखा है । यहां दो साल हो गए हैं, लेकिन लोगों को पंचायतों में काम ही नहीं मिल रहा है । लोग

पलायन कर रहे है । तेलंगाना में, आंध्रा में, महाराष्ट्र में यहां के लोग पलायन कर रहे हैं । इसलिए यह महत्वपूर्ण मुद्दा है इसलिए इस स्थगन को ग्राह्य करें और विस्तार से चर्चा कराएं । यह छत्तीसगढ़ के गरीबों का मामला है, आदिवासियों का मामला है, पिछड़ा वर्ग का मामला है इसलिए इस स्थगन को ग्राह्य करें, हम लोग इसमें चर्चा करेंगे ।

श्री उमेश पटेल (खरसिया) :- सभापति महोदय, 4000 करोड़ का प्रावधान इस बजट में इस नए योजना में किया गया है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- उमेश जी, आप बोलिए, मैं आपसे एक लाईन बस पूछ रहा हूं ।

श्री भूपेश बघेल :- बिना आसंदी की अनुमति के कैसे खड़े हो जाते हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- यह अधिनियम कब आया और आप कितने दिन बाद चर्चा शुरू कर रहे हैं । सत्र कब से चल रहा है । आपकी बात की गंभीरता कौन मानेगा, आप गरीबों की चिंता बता रहे हो ।

श्री उमेश पटेल :- अजय जी, 2005 से चर्चा करते हैं, जब से यह मनरेगा का यह अधिनियम चालू हुआ, वहां से चर्चा करेंगे, एक बार ग्राह्य करके चर्चा करा लीजिए। सारी बातें आ जाएंगी ।

श्री अजय चन्द्राकर :- नेता जी को नेता मानते हो कि नहीं ? कल नेता जी ने क्या कहा है ।

डॉ. चरण दास महंत :- सभापति महोदय, आप उस बात को कई बार बोल चुके हो ।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- माननीय सभापति महोदय, माननीय नेता जी ने यह बोला था कि कल हम स्थगन लाएंगे, फिर हम बहिष्कार करेंगे । स्थगन को पढ़ लेने दीजिए । बार-बार खड़े होकर टोक रहे हैं ।

डॉ. चरण दास महंत :- सभापति महोदय, अभी तो आपका बजट पूरी तरीके से पास नहीं हुआ है, अभी मुख्यमंत्री जी अपने बजट के अनुदान मांग को प्रस्तुत करेंगे । अभी विनियोग विधेयक आएगा फिर कैसे बोल रहे हैं कि हमारे पूछने की, बात करने की, बात रखने का समय खत्म हो गया । अभी तो बोल रहे हैं कि 4000 करोड़ दिए हैं तो बात करेंगे न, क्यों नहीं करेंगे ?

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, बजट में 4000 करोड़ का प्रावधान है ।

श्री अमर अग्रवाल :- उमेश जी, आप बजट में बोलते हो इसलिए आपको थोड़ा सा क्लीयरीफिकेशन कर देता हूं । बजट में अगर प्रावधान कम पड़ता है तो प्रथम अनुपूरक और द्वितीय अनुपूरक के प्रावधान लाये जाते हैं ।

श्री उमेश पटेल :- मैं जान रहा हूं ।

श्री अमर अग्रवाल :- तो फिर विषय को क्यों उठा रहे हो ? जब सरकार की नीयत साफ है तो बजट बीच में कहां आ गया, आप दूसरी बात करिए न ।

श्री उमेश पटेल :- आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे हैं । आप भी वित्त मंत्री रहे हैं । मैं बात कहां ले जा रहा हूं, पहले समझ तो लीजिए ।

श्री अमर अग्रवाल :- आप ही बोल रहे हैं कि बजट कम है तो मैं उसको बता रहा हूं ।

श्री उमेश पटेल :- मैं कहां, क्या बोल रहा हूं, बोलना क्या चाह रहा हूं, उसको समझ तो लीजिए ।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय अमर अग्रवाल सर, मैं अमर अग्रवाल जी को कहता हूं कि पहला मंत्रिमण्डल बन गया, दूसरा मंत्रिमण्डल बन गया। अभी तक उनका नाम नहीं आया है। उनको नीयत पता है कि केन्द्र सरकार की नीयत कैसी है ? आप क्यों परेशान हो रहे हैं।

श्री अमर अग्रवाल :- सभापति महोदय, आप नेता प्रतिपक्ष अधिकृत हो। लेकिन आपको कोई मानता नहीं है। बगल वाले बहिर्गमन करते हैं। आप अपनी स्थिति देखो, मेरी चिंता छोड़ दो।

डॉ. चरणदास महंत :- हम सब एक हैं। कोई बहिर्गमन नहीं करता है।

श्री अमर अग्रवाल :- आप नेता प्रतिपक्ष हो क्या ? हमेशा बहिर्गमन आपके बगल वाले करते है, विषय वह उठाते हैं, आपको कोई मानता नहीं है।

श्री विक्रम मण्डावी :- आप मंत्री कब बन रहे हो, यह बताईये ?

डॉ. चरणदास महंत :- वह बहिर्गमन करेंगे ही। वह हमारे उप नेता हैं, हमारे नेता है।

श्री अमर अग्रवाल :- कल आप बोले थे कि हम बहिष्कार करेंगे। फिर रात को आपके ऊपर दबाव डाले। आप नेता प्रतिपक्ष हो ..(व्यवधान)

डॉ. चरणदास महंत :- गलत बात है, मैं कहा था कि यहां आऊंगा, हम आयेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, वहां भीड़ नहीं आई है इसलिए कहा कि चलते हैं। (व्यवधान) अभी आपकी भीड़ आ गई है।

श्री भूपेश बघेल :- सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री विक्रम मण्डावी :- माननीय सदस्य को बोलने नहीं दिया जा रहा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी भीड़ आ गई है।

श्री भूपेश बघेल :- सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री विक्रम मण्डावी :- अमर साहब बोल नहीं पा रहे हैं।

श्री भूपेश बघेल :- सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आपने उमेश जी को बोलने की अनुमति दी। यह अमर अग्रवाल जी किस नियम के तहत सीधा उमेश को संबोधित करके बोलना शुरू कर दिए ?

श्री अमर अग्रवाल :- फिर वह मुझसे क्यों बात किये ?

श्री भूपेश बघेल :- ना। सवाल इस बात का है।

श्री अमर अग्रवाल :- वह भी तो मुझसे बात कर रहे थे। वह किस नियम के तहत बात कर रहे थे ?

श्री भूपेश बघेल :- मतलब, आसंदी का कोई मतलब नहीं है।

श्री अमर अग्रवाल :- दोनों खरसिया वाले हैं।

श्री भूपेश बघेल :- हां, दोनों खरसिया वाले हैं। वे आपस में बात कर लेंगे। (हंसी)

श्री अमर अग्रवाल :- मैं खड़ा हुआ।

श्री भूपेश बघेल :- आप आसंदी से पूछे नहीं, सीधा उमेश को संबोधित किया।

श्री अमर अग्रवाल :- क्या आप कई बार खड़े नहीं होते हैं ?

श्री भूपेश बघेल :- मैं तो पूछा हूं।

श्री अमर अग्रवाल :- क्या आप बिना पूछे खड़े नहीं होते हैं ?

श्री भूपेश बघेल :- मैं अनुमति लेकर पूछा हूं।

श्री अमर अग्रवाल :- नहीं-नहीं, आप भी कई बार बिना अनुमति के सीधे खड़े होते हो। आप सीधा कौन से नियम के तहत खड़े होते हो।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, आपने उमेश जी को बोलने के लिए आमंत्रित किया।

सभापति महोदय :- आप लोग बैठिये और आप भी बैठिये। प्रस्तुत सूचना का विषय केन्द्र सरकार द्वारा पारित अधिनियम से संबंधित होने के कारण तथा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 55 में निहित प्रावधानों के अनुकूल न होने व ग्राह्यता की शर्तों को पूरा न होने के कारण मैं इसे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूं।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, मैं यही तो कह रहा था।

सभापति महोदय :- ध्यानाकर्षण ।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, जब बजट में प्रावधान है तो क्यों नहीं ? इसीलिए तो हम लोग चर्चा मांग रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- भूपेश बघेल जी व्यवस्था आने के बाद उस विषय में भाषण होता है क्या ? आप यह बता दीजिये।

श्री उमेश पटेल :- मैं अनुमति मांग रहा हूं।

<u>सदन को सूचना</u>

सभापति महोदय :- आज भोजन अवकाश नहीं होगा। मैं समझता हूं कि सदन सहमत है।

(सभा द्वारा अनुमति प्रदान की गई)

सभापति महोदय :- भोजन की व्यवस्था माननीय मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, महिला एवं बाल विकास मंत्री की ओर से माननीय सदस्यों के लिए लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर पत्रकार कक्ष के समीप भोजन कक्ष में की गई है। कृपया सुविधा अनुसार भोजन ग्रहण करें।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदस महंत) :- सभापति महोदय, जो स्थान हमारे गरीबों, हमारे आदिवासियों, हमाने अनुसूचित जातियों के कामों के लिए नहीं सुना जायेगा। जहां महिलाओं की बात नहीं सुनी जायेगी, जहां हमारे काम छीन लिए जायेंगे, जहां छत्तीसगढ़ के सरकार को भी आदेश नहीं होगा कि वह हमको काम दे दें तो ऐसी जगह हम इन बातों को कैसे कह पायेंगे। आपने जो व्यवस्था दी है, उसके खिलाफ कुछ नहीं कहते। मगर आज हम सब लोग बहिष्कार करके जा रहे हैं।

(पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये)

समय
12.33 बजे

<u>बहिष्कार</u>

<u>भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा स्थगन सुनवाई न होने के विरोध में</u>

(डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा स्थगन की सुनवाई नहीं होने के विरोध में बहिष्कार किया गया)

समय
12.34 बजे

<u>ध्यान आकर्षण सूचना</u>

सभापति महोदय :- श्री कुंवर सिंह निषाद (अनुपस्थित) श्री ललित चन्द्राकर।

<u>(2) कामकाजी महिलाओं के लिए कार्यालयीन आंतरिक शिकायत समिति का गठन नहीं किया जाना।</u>

श्री ललित चन्द्राकर (दुर्ग ग्रामीण) :- सभापति महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

कामकाजी महिलाओं को कार्यस्थल पर गरिमापूर्ण कामकाजी वातावरण दिलवाने के लिए कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 एवं नियम लागू किया गया है। लेकिन कार्य स्थल के नियोक्ताओं के द्वारा इस विधि निर्देश का अनुपालन करके कार्यालयीन आंतरिक शिकायत समिति का नियमानुसार गठन नहीं किया जा रहा है और यदि इस समिति का गठन किया भी जा रहा है तो इस समिति के द्वारा प्रावधानानुसार अभिविन्यास कार्यक्रमों

एवं जनजागरुकता शिविरों का आयोजन नहीं किया जा रहा है तथा व्यथित / पीड़ित महिलाओं का नियमानुसार परिवाद भी नहीं बनाया जा रहा है। जिसका दुष्परिणाम यह हो रहा है कि, व्यथित महिलाओं का पक्ष विधि अपेक्षानुसार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं हो पा रहा है। इसीलिए आरोपी को बचने और अपने पक्ष में निर्णय करवाने का अवैधानिक अवसर मिल रहा है। इस आरोप और गंभीर आपराधिक प्रवृत्ति की कर्यवाहियों का ज्वलंत उदाहरण सी.एस.वी.टी.यू. छत्तीसगढ़ स्वामी तकनीक विश्विद्यालय भिलाई, कामधेनु विश्वविद्यालय अंजोरा, एम्स रायपुर, जैसे सार्वजनिक महत्व के शासकीय संस्थानों में पंजीबद्ध प्रकरण के तौर पर पंजीकृत होकर वर्तमान में कार्यवाही प्रक्रिया में है। जो कि सामाजिक एवं सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था को प्रश्नांकित करने वाला बेहद गंभीर मुद्दा है। कार्यालयीन आंतरिक शिकायत समिति का गठन नहीं होने से कामकाजी महिलाओं में शासन-प्रशासन के प्रति रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) :- माननीय सभापति महोदय, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कार्यस्थल पर आंतरिक समितियों का गठन नहीं किया जा रहा है, जैसे कि माननीय सदस्य ने अपने ध्यानाकर्षण में कथन किया है पूर्णतः मिथ्या एवं अनुमान पर आधारित है। माननीय सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश देश के उन गिने चुने अग्रणी राज्यों में से एक है, जहां प्रदेश के समस्त ऐसे शासकीय कार्यालय जहां 10-10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, उन सबमें सार्वभौमिक रूप से अधिनियम के प्रावधानुसार आंतरिक समिति का गठन किया जा चुका है। दिसम्बर, 2025 की स्थिति में श्रम विभाग द्वारा किये गये प्रायवेट कार्यालयों के सर्वेक्षण के अनुसार प्रदेश में 10 या 10 से अधिक नियोजन वाले कार्यालयों के कुल 10081 कार्यालयों में से 7065 कार्यालयों में आंतरिक समितियों का गठन किया जा चुका है एवं शेष कार्यालयों में भी गठन की कार्यवाही निरंतर प्रक्रियाधीन है। ऐसे निजी कार्यालय जहां आंतरिक समितियों का गठन नहीं हुआ है, उनको अधिनियम की धारा 26 के प्रावधानों के अनुरूप निरंतर दण्ड अधिरोपित करने बाबत् सूचना पत्र भेजे जा रहे हैं। राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों को शत प्रतिशत लागू कराने हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

माननीय सभापति महोदय, अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किये गये प्रकरणों के निष्पादन हेतु समय सीमा निर्धारित है। राज्य सरकार को प्राप्त जानकारी अनुसार सभी दर्ज प्रकरणों का अभिनिर्धारित समय-सीमा में निष्पादन किया जा रहा है।

पीड़ित महिलाओं को भारत सरकार द्वारा इस बाबत् SHe-Box नाम का एक डिजिटल प्लेटफार्म भी उपलब्ध कराया गया है, जहां पीड़िता पूर्णतः गोपनीय तरीके से अपनी शिकायत दर्ज कर सकती है। इसका अनुश्रवण केन्द्र सरकार से लेकर जिला स्तर तक निरंतर किया जा रहा है एवं छत्तीगसढ़ राज्य में SHe-Box पोर्टल पर कोई भी दर्ज शिकायत निराकरण हेतु लंबित नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, इस अधिनियम के तहत न्यायालय के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत करने का कोई प्रावधान नहीं है जैसा कि माननीय सदस्य द्वारा अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में लेख किया गया है। कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के लागू करने के संबंध में जारी नियम के अनुसार अधिनियम के अंतर्गत दर्ज प्रकरण पर आधिकारिक रूप से किसी भी पक्ष द्वारा विधिक समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए यह कहना कि न्यायालय के समक्ष पक्षसमर्थन नहीं हो रहा है, यह कथन पूर्णतः तथ्यहीन एवं विषय से परे है।

माननीय सभापति महोदय, यह कहना भी सही नहीं है कि अधिनियम के प्रावधानों का प्रचार-प्रसार नहीं हो रहा है, जबकि वास्तविकता यह है कि प्रदेश के सभी संभागों एवं जिलों में इस अधिनियम के संबंध में प्रशिक्षण कार्यकम का आयोजन किया गया है, जिसका पूर्णतः प्रचार-प्रसार समाचार पत्रों के माध्यम से किया गया है। प्रदेश में कार्यस्थल पूर्णतः सुरक्षित हों एवं महिलाओं को कार्य करने हेतु गरिमापूर्ण वातावरण प्राप्त हो, राज्य सरकार इस बाबत् पूर्णतः संवेदनशील एवं प्रतिबद्ध है।

श्री ललित चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न वाले अधिनियम में यह लिखा है कि आंतरिक शिकायत समिति परीक्षण तथा अभिविन्यास एवं जन-जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करेगी?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय सभापति महोदय, जी नहीं। अधिनियम में यह उल्लेख नहीं है कि आंतरिक समिति द्वारा अभिविन्यास एवं जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। नियोक्ता द्वारा ऐसे कार्यक्रम कराए जाने का उल्लेख अधिनियम में है। राज्य सरकार के मामले में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जन-जागरूकता के कार्यक्रम समय-समय पर कराए जाते हैं।

श्री ललित चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदया जी यह मानती हैं कि प्रत्येक कार्यस्थल की आंतरिक शिकायत समिति अभिविन्यास कार्यक्रम का एवं जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजन करेगी। क्या मंत्री महोदया विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों को इस अधिनियम से परिचित करवाने के लिए विभागीय मुख्यालय स्तर पर जन-जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करवाएंगी?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय सभापति महोदय, विभाग द्वारा ऐसे जन-जागरूकता कार्यक्रम पूर्व में भी आयोजित किए गए हैं। वर्ष 2025-26 में भी संचालनालय में 05 से 06 फरवरी के मध्य कार्यशाला आयोजित हुई है, मंत्रालय में भी 07 फरवरी को कार्यशाला आयोजित हुई है तथा विधान सभा में माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से शीघ्र कार्यशाला आयोजित की जाएगी। माननीय सदस्य जहाँ कह रहे हैं, वहाँ भी ऐसी कार्यशाला आयोजित करेंगे।

श्री ललित चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, आंतरिक शिकायत समिति के सदस्यों को शिकायतकर्ता महिलाओं का परिवाद तैयार कर आवश्यक सभी सुरक्षा उपाय करने की जिम्मेदारी होती है।

क्या आप आंतरिक शिकायत समिति को कानूनी कार्रवाई प्रक्रिया की जानकारी देने हेतु प्रशिक्षित करने की व्यवस्था बनाने का निर्देश जारी करेंगे?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय सभापति महोदय, आंतरिक शिकायत समिति के सदस्यों की अनुशंसा के आधार पर नियोक्ता द्वारा आवश्यक सुरक्षा और परिवाद दायर करने में सहायता की जाती है। आंतरिक शिकायत समिति को प्रशिक्षित करने की व्यवस्था दी जाती है और संचालनालय द्वारा समय-समय पर निर्देश दिए जाते हैं।

सभापति महोदय :- आप अंतिम प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री ललित चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जिला दुर्ग की स्थानीय परिवाद समिति ने अशासकीय कार्यालयों के आंतरिक शिकायत समिति द्वारा व्यथित महिलाओं का परिवाद कानूनी कार्रवाई प्रक्रिया में नहीं बनाए जाने का गंभीर आरोप लगाया गया है। क्या आप ऐसे गंभीर आरोप के विषयों पर कोई न्यायसंगत कार्रवाई करेंगे?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय सभापति महोदय, जिला दुर्ग से संबंधित ऐसे कोई भी प्रकरण हमारे संज्ञान में नहीं आया है। यदि माननीय सदस्य के पास कोई जानकारी हो तो वह हमें उपलब्ध कराएंगे। हम इसे गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ अवश्य जांच कराएंगे।

सभापति महोदय :- श्रीमती भावना बोहरा।

श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानकारी चाहती हूँ कि कार्यालयीन आंतरिक शिकायत समिति में कितने लोग सदस्य होते हैं? क्या आंतरिक कमेटी में उसी के ही डिपार्टमेंट में काम वाले उसके सदस्य होते हैं या कोई बाहरी व्यक्ति भी उस जाँच समिति का सदस्य होता है? अभी तक कितने प्रकरणों पर ठोस कार्रवाई की गई हैं? कितने लोगों को जाँच के तहत सजा मिली है? पहला, समिति के सदस्य कौन होते हैं? दूसरा, अभी तक कितने लोगों के ऊपर ठोस कार्रवाई की गई है?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय सभापति महोदय, यह जो आंतरिक समिति बनती है, वह शासकीय या गैर-शासकीय कार्यालयों पर बनती है।

श्रीमती भावना बोहरा :- मंत्री महोदया जी, उसमें संख्या कितनी होती है? हर समिति में एक प्रस्तावित संख्या होती है, उसको आप बताना चाहेंगे?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय सभापति महोदय, मैं बता रही हूँ। जहाँ 10 से अधिक महिलाएं काम करती हों, जहां न्यूनतम चार महिलाएं हैं या उससे अधिक संख्या में भी समिति बनायी जा सकती है।

श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय मंत्री महोदया, क्या जाँच समिति में सिर्फ महिलाएं होती हैं? या उन्हीं के बीच से यह जाँच समिति बनाई जाती है या बाहरी किसी जिम्मेदार पदाधिकारियों को भी उसमें

शामिल किया जाता है? क्योंकि अधिकतर यह देखा गया है कि जहाँ पर एक ही समिति के चार लोग, पाँच लोग कार्यरत हैं, वे आपस में मैटर को...। मैंने पिछले विधान सभा सत्र में भी इस विषय को उठाया था। यह विषय बहुत गंभीर विषय था। हालाँकि, वह स्वास्थ्य विभाग का विषय था, लेकिन दिक्कत वही है। उसमें भी आज तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। आज भी पीड़िता अपनी जगह पर परेशान है। इस तरीके की बहुत सारी घटनाएँ देखने में आती हैं कि उसमें जांच बैठ जाती है, साल दर साल उसकी जांच चलती रहती है, लेकिन जो पीड़िता रहती है, उनको न्याय नहीं मिल पाता है। क्या मंत्री जी कोई ठोस निर्णय बता सकती हैं? जो पिछली बार कभी हुआ हो और आंतरिक समिति में कितने बाहरी सदस्य होते हैं, कितनी महिलायें होती है, कृपया उसकी जानकारी दें ?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय सभापति महोदय जी, आंतरिक समितियों में जो सदस्य होते हैं, महिला पीठासीन अधिकारी होती है, जो सरकारी या गैर सरकारी कार्यालय होते हैं, उसके लिये महिलायें बड़े पदों पर कार्य करते हैं । वह महिलायें...।

श्रीमती भावना बोहरा :- बड़े पदों से क्या मतलब है ?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :-माननीय सभापति महोदय, बड़े पद यानी वरिष्ठ हैं ।

श्रीमती भावना बोहरा :- सभापति महोदय, पद का नाम बड़े और वरिष्ठ को अभी तक परिभाषित नहीं किया गया है । कृपया उसे थोड़ा समझा दें ?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय सभापति महोदय जी, जो आंतरिक परिवाद समिति का गठन होता है, जहां वरिष्ठ स्तर पर नियोजित महिलायें होती है, वह पीठासीन अधिकारी होते हैं । दो सदस्य और एन.जी.ओ. के सदस्य होते हैं । 4 न्यूनतम और उससे अधिक भी रख सकते हैं ।

सभापति महोदय :- ठीक ।

श्रीमती भावना बोहरा :- सभापति महोदय, मैं ध्यानाकर्षण करना चाहती थी, इसमें विषय गंभीर है और होता यही है कि महिलायें या तो विषय संस्थागत नहीं रख पाती है और उसके बाद समिति का गठन होता है, वह सिर्फ खानापूर्ति करके, कागजी कार्यवाही करके 2-3 साल प्रकरणों को लंबित करते जाते हैं । सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा निवेदन इतना ही रहेगा कि अब तक इस विषय में ठोस कदम नहीं उठाया गया है तो ऐसा एक उदाहरण प्रस्तुत करे कि आने वाले समय में अगर इस तरीके से महिलाओं को आंतरिक परेशानी हो तो समिति पर उनका विश्वास रहना चाहिये, चाहे वह ज्येष्ठ हो, श्रेष्ठ हो या वरिष्ठ हो या जो एनजीओ रजिस्टर्ड हो, मैं परिभाषा नहीं समझ पा रही हूँ, जो उत्तर आ रहा है । मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करूँगी कि जिनके द्वारा यह प्रकरण आया है, उस पर ठोस कार्यवाही होना चाहिये । मेरा यही प्रश्न है ।

श्री ललित चन्द्राकर :- सभापति जी, कामकाजी महिलाओं को गरिमापूर्ण कामकाजी वातावरण दिलवाने के लिये और कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिये आपकी कार्ययोजना से विधान सभा को अवगत करायेंगी क्या ?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय सभापति महोदय जी, कामकाजी महिलाओं को गरिमापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराने के लिये और कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिये जैसे लैंगिक उत्पीड़न, निवारण, प्रतिषेध, प्रतिकोष अधिनियम 2013 लागू है, जिसके तहत प्रत्येक विभाग में नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाती है । अधिनियम के प्रावधान अनुसार 13524 आंतरिक शिकायत के लिये 13 स्थानीय समिति का गठन किया गया है, जिनके माध्यम से महिलायें अपने विरूद्ध हो रही लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत कर सकती है । भारत सरकार के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन शिकायत दर्ज करा सकती है । इस अधिनियम के तहत सभी समितियों में वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त कर उसका विश्लेषण किया जाता है । इस अधिनियम में व्याप्त प्रचार-प्रसार के लिये महिला बाल विकास विभाग कार्यरत है और भविष्य में इसको और प्रभावी बनाने के लिये हितधारकों को प्रशिक्षण के लिये प्रतिबद्ध किया जायेगा । माननीय सभापति महोदय जी, माननीय विधायक भावना जी के भावनाओं को समझते हुये बातचीत करके उनके जो भी विषय हैं, हम आपस में मिलकर सेट-आऊट करेंगे ।

समय
12.47 बजे

नियम 267 "क" के अंतर्गत विषय

सभापति महोदय :- निम्नलिखित सदस्यों के शून्यकाल की सूचनायें पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इसके उत्तर के लिये संबंधित विभागों को भेजा जायेगा ।

1. श्री धरमलाल कौशिक
2. श्री रिकेश सेन
3. श्रीमती सावित्री मंडावी
4. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह
5. श्री रामकुमार यादव

समय
12.48 बजे

याचिकाओं की प्रस्तुति

सभापति महोदय :- आज की कार्यसूची में सम्मिलित निम्नलिखित माननीय सदस्यों की याचिकायें सभा में पढ़ी हुई मानी जायेगी ।

1. श्री विक्रम मण्डावी
2. सुश्री लता उसेण्डी

3. श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा

समय

12.49 बजे

<u>माननीय राज्यपाल द्वारा लौटाये गये विधेयक पर विचार का प्रस्ताव</u>

<u>छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 18 सन् 2006)</u>

उप मुख्यमंत्री (श्री विजय शर्मा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा दिनांक 3 अगस्त 2006 को पारित छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 18 सन् 2006) पर माननीय राज्यपाल के निर्देश के अनुसरण में विधेयक पर विचार किया जाये ।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि- छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा दिनांक 3 अगस्त 2006 को पारित छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 18 सन् 2006) पर माननीय राज्यपाल महोदय के निर्देश के अनुसरण में विधेयक पर विचार किया जाये ।

सभापति महोदय :- इस विषय पर कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे ।

उप मुख्यमंत्री (गृह) श्री विजय शर्मा :- सभापति महोदय, आपके माध्यम से समस्त सदन से इस विषय पर अनुरोध यही है, 2006 से लेकर 2026 तक 20 साल बीत चुके हैं और इसमें परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं। इस विषय को लेकर अभी तक 1968 का एक्ट लागू है। बदली हुई परिस्थितियों में अनेक चीजों को नए सिरे से परिभाषित करने की आवश्यकता है और जो विधिक संरचना हमारी है, कोई एक्ट हमारा है, वह भी नदी की तरह तरल और प्रवाहमान होना ही चाहिए समय-समय से उसमें संशोधन परिवर्तन होना ही चाहिए। अभी 2006 का जो संशोधन विधेयक आया था, उनमें अनेक विषयों को परिभाषित करते हुए अनेक प्रक्रियाओं को पुनः निरूपित करते हुए नए विधेयक की आवश्यकता महसूस हुई थी, इसलिए आग्रह है कि इस नए विधेयक को लाने की अनुमति भी प्रदान की जाए।

सभापति महोदय: श्री विजय शर्मा, उपमुख्यमंत्री।

श्री विजय शर्मा :- सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2006 को पारित ''छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 18 सन् 2006)'' को वापस लिए जाने की अनुमति चाहता हूं।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2006 को पारित '6छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 18 सन् 2006)'' को वापस लिए जाने की अनुमति प्रदान की जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुमति प्रदान की गई।

समय :

12.52 बजे

शासकीय विधि विषयक कार्य

सभापति महोदय :- मैंने विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 65 के उपनियम 1 तथा अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 24 को शिथिल कर निम्नांकित विधेयकों को सत्र की अल्प अवधि एवं विधेयकों की महत्ता तथा उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए इसे आज ही पुनः स्थापित करने की अनुमति प्रदान करते हुए चर्चा विचार एवं पारण हेतु क्रमश :

क्रमांक	**वित्तीय कार्य**	**निर्धारित समय**
(1)	छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक 2026 (क्रमांक 2 सन् 2026)	30 मिनट
(2)	छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक 2026 (क्रमांक 3 सन् 2026)	30 मिनट
(3)	छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल (संशोधन) विधेयक 2026 (क्रमांक 4 सन् 2026) का समय निर्धारित किया है।	30 मिनट

मैं समझता हूं सदन इससे सहमत है।

(सदन द्वारा सहमति व्यक्त की गई)

सभापति महोदय :- श्री टंकराम वर्मा, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री।

(1) छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 2 सन् 2026)

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री (श्री टंकराम वर्मा) :- सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 2 सन् 2026) के पुनः स्थापन की अनुमति चाहता हूं।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक 2026 (क्रमांक 2 सन् 2026) के पुनः स्थापन की अनुमति दी जाए।

अनुमति प्रदान की गई।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री (श्री टंकराम वर्मा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक 2026 क्रमांक 2 सन् 2026 का पुनः स्थापन करता हूं।

(2) छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 3 सन् 2026)

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 3 सन् 2026) के पुनः स्थापन की अनुमति चाहता हूं।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 3 सन् 2026) के पुनः स्थापन की अनुमति दी जाए।

अनुमति प्रदान की गई।

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक 2026 क्रमांक 3 सन् 2026 का पुनः स्थापन करता हूं।

(3) छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 4 सन् 2026)

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- माननीय सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 4 सन् 2026) के पुनः स्थापन की अनुमति चाहता हूं।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 4 सन् 2026) के पुनः स्थापन की अनुमति दी जाये।

अनुमति प्रदान की गई।

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- माननीय सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 4 सन् 2026) का पुर:स्थापन करता हूं।

सभापति महोदय :- वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्यय में स्वीकृत राशि के अनुदान मांगों के बारे में प्रस्ताव। मुख्यमंत्री, श्री विष्णुदेव साय जी। (मेजों की थपथपाहट)

समय :
12.56 बजे

वित्तीय वर्ष 2026-2027 की अनुदान मांगों पर चर्चा

मांग संख्या 1 सामान्य प्रशासन

मांग संख्या 2 सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय

मांग संख्या	**12**	**ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय**
मांग संख्या	**25**	**खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय**
मांग संख्या	**32**	**जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय**
मांग संख्या	**23**	**जल संसाधन विभाग**
मांग संख्या	**45**	**लघु सिंचाई निर्माण कार्य**
मांग संख्या	**57**	**जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं**
मांग संख्या	**75**	**जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं**
मांग संख्या	**60**	**जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय**
मांग संख्या	**65**	**विमानन विभाग**
मांग संख्या	**71**	**इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग**
मांग संख्या	**77**	**सुशासन एवं अभिसरण विभाग से संबंधित व्यय**

मुख्यमंत्री (श्री विष्णुदेव साय) :- माननीय सभापति महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को :-

मांग संख्या	-	1	सामान्य प्रशासन के लिये- छः सौ बारह करोड़, उनतीस लाख, बीस हजार रूपये,
मांग संख्या	-	2	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय के लिये-तीस करोड़, बयानबे लाख रूपये,
मांग संख्या	-	12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय के लिये- चार हजार दो सौ छत्तीस करोड़, एक लाख, इकसठ हजार रूपये,
मांग संख्या	-	23	जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय के लिये- एक हजार सात सौ चौरानबे करोड़, उनतालीस लाख, सत्रह हजार रूपये,
मांग संख्या	-	25	खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय के लिये- ग्यारह सौ पैंतालीस करोड़, नवासी लाख, निन्यानबे हजार रूपये,
मांग संख्या	-	32	जनसम्पर्क विभाग से संबंधित व्यय के लिये- चार सौ उनहत्तर करोड़, निन्यानबे लाख रूपये,

मांग संख्या - 45 लघु सिंचाई निर्माण कार्य के लिये- आठ सौ छियालीस करोड़, बारह लाख, पैंसठ हजार रूपये,

मांग संख्या - 57 जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं के लिये- सड़सठ करोड़ रूपये,

मांग संख्या - 75 जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिये- तीन सौ सन्तानबे करोड़, उनसठ लाख, अन्ठानबे हजार रूपये,

मांग संख्या - 60 जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय के लिये- दो सौ आठ करोड़, पचास लाख रूपये,

मांग संख्या - 65 विमानन विभाग के लिये- तीन सौ चौदह करोड़, निन्यानबे लाख, नब्बे हजार रूपये,

मांग संख्या - 71 इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के लिये- चार सौ सोलह करोड़, निन्यानबे लाख, निन्यानबे हजार रूपये तथा

मांग संख्या - 77 सुशासन एवं अभिसरण विभाग से संबंधित व्यय के लिये- सतहत्तर करोड़ तक की राशि दी जाये।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

सभापति महोदय :- चूंकि कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं, अतः कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए नहीं माने जाएंगे। श्री किरण देव जी।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मेरा एक सुझाव है। आज विपक्ष नहीं है और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत शिद्दत और समर्पण के साथ प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। हम ही-हम ही लोग हैं तो मैं माननीय सदस्यों के हित में एक बात कहना चाहता हूं कि आज हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति और उनके विभाग का थोड़ा सा लाभ उठाएं। भाषण देने के बजाय अपने क्षेत्र की मांगों को रखें। आज विपक्ष नहीं है तो मुख्यमंत्री जी उदारतापूर्वक आप लोगों को देंगे। वित्त मंत्री जी भी सदन में उपस्थित हैं, वह नोट करते रहेंगे। उनके पास 1,000 करोड़ रुपये का सी.एफ. एडवांस है। मुख्यमंत्री जी निर्देश करेंगे तो सबको तुरंत पैसे मिलेंगे। एक-एक लाइन में जोरदार बात हो जाएगी। यह मेरा सुझाव है, बाकी जिसको जो करना है, वह करें।

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- बजट से 10 गुना ज्यादा का प्रावधान है।

श्री किरण देव (जगदलपुर) :- धन्यवाद, आदरणीय सभापति महोदय। मैं मांग संख्या 1, 2, 12, 25, 32, 23, 45, 57, 75, 60 एवं 65 के समर्थन में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के विभागों की अनुदान मांगों के समर्थन में अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले तो यह कि आज जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी के विभागों की अनुदान मागों पर चर्चा हो रही है तो मैं यह कहूंगा कि ऐसे समय में विपक्ष

का पलायन कर जाना अत्यंत ही दुर्भाग्यजनक है और यह परंपरा तो ऊपर से चली आ रही है। जैसे लोक सभा में इनके नेता के द्वारा वहां पर जो स्थिति उत्पन्न की जाती है। वैसे यह कोई आश्चर्यजनक बात भी नहीं है। ऐसी संभावना भी है। हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बिना किसी जद्दोजहद के आगे बढ़ रहा है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जनता के भाव को देखते हुए इस छत्तीसगढ़ के छोटे राज्य बन जाने के फलस्वरूप इसके विकास की जो अवधारणा है, उसकी कल्पना के साथ छत्तीसगढ़वासियों को छत्तीसगढ़ राज्य दिया है। उनकी भावना के अनुरूप ही मैं यह बात बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी और उनके नेतृत्व में चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार तेज गित से छत्तीसगढ़ के चहुमुखी विकास की ओर बढ़ रही है और जब उनके विभागों की मांगों और उनके अनुदान के विषय पर चर्चा होती है तो मेरा यह मानना है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के विभागों के अंतर्गत पूरे छत्तीसगढ़ शासन के जितने भी विभाग है, वह ऑलरेडी इसमें समाहित है। फिर भी इन ढाई वर्षों में, इतने कम समय में ही जिस तेजी के साथ विकास ने अपने पंख फैलाकर पूरे छत्तीसगढ़ में समुचित रूप से उड़ान भरी है। चाहे विकास की दृष्टि से हो, समुचित व्यवस्था की दृष्टि से हो, पूरे छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता इसको देख रही है। सभापति महोदय, हम बहुत सारी बातें सुनते हैं। अभी जब अलग-अलग विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा हो रही थी तो विपक्ष ने यहां पर कई विषयों को रखा, तब मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिन लोगों ने 5 सालों में पूरे छत्तीसगढ़ में विकास के नाम पर एक लाल ईंट नहीं रखी, जब वे लोग तुलना करते हैं तो बड़ा आश्चर्यजनक प्रतीत होता है। सभापति महोदय, वर्ष 2026-27 के बजट में प्रस्तुत अनुदान मांगों के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी के अधीन और बहुत सारे विभागों में बजटीय प्रावधान किये गये हैं। उसमें प्रमुख रूप से खनिज विभाग, जल संसाधन विभाग, ऊर्जा विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा विमानन विभाग सम्मिलित हैं। यह सभी विभाग इतने महत्वपूर्ण है कि इसमें राज्य की न सिर्फ अधोसंरचना बल्कि राज्य के समग्र विकास, आर्थिक प्रगति, अधोसंरचना का डेव्हलपमेंट, तकनीकी सशक्तिकरण के माध्यम से वर्तमान में पूरा देश और पूरा विश्व तेज गति से आधुनिकीकरण की ओर समस्त व्यवस्थाओं को लेकर चल रहा है और उसमें प्रमुख आधार है। हमारा छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों से बहुत परिपूर्ण है। यदि हम बस्तर की बात करें और समुचे छत्तीसगढ़ की बात करें तो कोरबा से लेकर सरगुजा तक खनिज संसाधनों की प्रचुर मात्रा है। अब इन विभागों के माध्यम से चाहे राज्य में सिंचाई की सुविधा को बढ़ावा देने का काम हो, ऊर्जा के क्षेत्र मे सुदृढ़ीकरण करने का काम हो, चाहे डिजिटल दृष्टि से प्रोत्साहन और हवाई संपर्क की बात हो, इन सभी की कार्यप्रणाली का जो प्रत्यक्ष प्रमाण और प्रभाव है, वह राज्य की आर्थिक वृद्धि को देखते हुए परिलक्षित भी होता है। सभापति महोदय, मैं सिर्फ कुछ विभागों के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की प्रगति के संबंध में अपनी बात रखना चाहता हूं। यदि मैं सबसे पहले खनिज विभाग की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में हमारी समृद्धि का जो

प्रथम संकेत है, वह हमारे यहां के खनिज संसाधन है। हमारा सुदूर बस्तर का क्षेत्र खनिज से परिपूर्ण है। मैं बस्तर से आता हूं। हमारा खनिज हमारे राज्य की आर्थिक सशक्तिकरण का सबसे सशक्त आधार है। खनिज संसाधन विभाग के माध्यम से खनिज संसाधनों का न सिर्फ आर्थिक बल्कि वैज्ञानिक उपयोग किया जा रहा है और इसे हमारे राजस्व में वृद्धि एवं स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों को सृजन करने की दृष्टि से सुनिश्चित किया जा रहा है । इससे हमारी राज्य की आर्थिक व्यवस्था को बहुत ही सुदृढता और मजबूती प्राप्त होती है। छत्तीसगढ़ में खनिज विभाग की जो महत्वपूर्ण भूमिका है आपके माध्यम से मैं सदन में उस विषय को संक्षेप में रखना चाहता हूं। हम सभी जानते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में कोयला, लोहा, चूना पत्थर, बाक्साइट, टीन हो, डोलामाइट, हमारी स्वर्ण धातु, हीरा, कोरंडम जैसे बहुमूल्य खनिजों का जो भंडार है, राज्य के अधिकांश उद्योग इन सभी पर आधारित भी हैं। इतने सारे माइनिंग प्रोडक्ट किसी एक राज्य में एक साथ नहीं मिलते हैं। और उसका दोहन राज्य के हित में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और यह विभाग और सरकार के जो विभिन्न आयाम हैं, वह निश्चित रूप से इसको आगे बढ़ा रहे हैं। छत्तीसगढ़ का लौह अयस्क और कोयला उत्पादन में पूरे देश में तीसरा स्थान है। हम चाहे बैलाडीला, किरंदुल से इधर से ले लें, हमारे कोरबा से लेकर आगे जो मध्य छत्तीसगढ़ का कोयला की दृष्टि से भाग है, हमारा समुचा बस्तर की शुरूआत ही जहां से होती है, चारामा से लेकर और आखिरी कोने तक, भोपालपट्टनम से लेकर बीजापुर और कोंटा तक इस तरीके के प्रचुर मात्रा में खनिज अयस्क हैं। जब टीन की बात करते हैं तो सभापति जी आज मुझे आपके माध्यम से इस सदन में रखते हुए प्रसन्नता के साथ बोलता हूं कि टीन का जो उत्पाद है, वह छत्तीसगढ़ राज्य में टीन का उत्पादन हो रहा है और यह देश का प्रथम है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में खनिज राजस्व 14592 करोड़, 2025-26 में 14062 करोड़ राजस्व के रूप में प्राप्त हुए तथा 2026-27 के अंत तक लगभग इससे आगे जाकर 17 हजार करोड़ से भी अधिक राजस्व खनिज प्राप्त होने का अनुमान है।

समय

1.06 बजे **(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)**

माननीय सभापति महोदय, खनिज संसाधनों और उसके राजस्व पर पूरे एक से डेढ़ घंटा इस विषय पर बात हो सकती है। लेकिन मैंने संक्षेप में इस विषय को इसलिए रखा कि हमारा छत्तीसगढ़ खनिज संसाधनों के मामले में पूरे देश में जाना जाता है। सभापति महोदय, जल संसाधन विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। कृषि प्रधान देश भी है और हमारा छत्तीसगढ़ भी धान के कटोरा के रूप में जाना जाता है। और अब तो अलग-अलग प्रकार के, हम बस्तर से सरगुजा तक जायें तो अब तो वैकल्पिक कृषि की भी बहुत ज्यादा शुरूआत हो चुकी है। आज से 15-20 साल पहले एक समय था जब हमारा बस्तर सिर्फ धान की फसल पर और भगवान की मरजी पर ही निर्भर रहता था। अगर वहां पर

अत्यधिक वर्षा हो गई तो भी उसका नुकसान, कम वर्षा हो गई तो भी किसानों का नुकसान होता था और वर्षा नहीं हुई तो नुकसान है ही। इस बात को ध्यान में रखते हुए जल संसाधन विभाग में कहना चाहता हूं। मैं बधाई देता हूं कि राज्य में हमारे जितने भी उपलब्ध जल स्त्रोत हैं, हमारी नदियां हैं, हमारे जो बांध नहर और जलाशयों का वैज्ञानिक तरीके से भी और योजनाबद्ध तरीके से भी उसका किस तरीके से उपयोग होना है, यह पिछले ढाई सालों में और इस बजट में भी जो प्रावधान किये हैं, उससे परिलक्षित होता है। जल संसाधन विभाग की बात करें तो मैं यहां पर आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी बाजपेयी जी की सरकार में जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना नदियों से नदियों को जोड़ने की थी। इस योजना का स्वरूप साकार होते हुए जिस तेजी से छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं कि इस ओर प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे जलाशयों का निर्माण हो, सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण हो, सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण हो । नहर प्रणाली के विकास की दृष्टि से अगर हम बात करें तो हमारे जो कृषि का उत्पाद है अब वह जिस तरीके से तेजी से सुदृढ़ बनेगा और इस विभाग की यह निश्चित रूप से बहुत ही महत्वूपर्ण भूमिका है और यह विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इसको बहुत ईमानदारी और बहुत दृढ़ता के साथ आगे बढ़ा भी रहा है ।

माननीय सभापति महोदय, सिंचाई सुविधाओं का आधुनिकीकरण । किसानों की आय में वृद्धि यह सभी बातें इससे जुड़ी हुई हैं । हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है, हमारा खासकर बस्तर जिसकी हम बात करते हैं तो वहां पर एक समय सिंचाई व्यवस्था का बहुत ही अभाव, कोसारटेडा एक जलाशय का निर्माण हुआ उससे हमारे भानपुरी से लेकर कोण्डागांव-जगदलपुर के बीच में ऐसी कुछ राहत जरूर हुई है लेकिन मैं अभिनंदन करूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी करूंगा कि पहली बार, वर्षों की मांग, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे बस्तर और जगदलपुर के लिये क्योंकि यदि हम बस्तर और जगदलपुर की बात करें तो प्राणदायिनी के रूप में हम इंद्रावती नदी को मानते हैं और जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग कह लें या हम और अन्य कारणों से कह लें । नदियों का जल-स्तर बरसात के बाद, अगली बरसात आने तक के बीच में जिस तरीके से उसका स्तर कम होता चला गया यह बड़ी चिंता का विषय था । माननीय सभापति महोदय, पूरे बस्तरवासियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहर्षता से इसको स्वीकार किया और मुझे आपके माध्यम से सदन में यह बड़ा हर्ष हो रहा है कि इंद्रावती नदी के जो जगदलपुर में और जो महादेव घाट है उसमें 100 करोड़ रूपये की आपने एक बैराज स्वीकृत किया है उसके लिये जितना अभिनंदन किया जाये कम है । माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूं क्योंकि उसका वह समुचित नहीं हो पा रहा था, सभी प्रकार से उसके पानी का भी उपयोग नहीं हो पा रहा था तो पूरा एक बार जगदलपुर और उसके आसपास का क्षेत्र और यही नहीं, इस बजट में इंद्रावती नदी पर मटनार और देउरगांव में 2024 करोड़ की लागत से बैराज निर्माण और 68 किलोमीटर नहर निर्माण की स्वीकृति भी प्रदान की

गयी है । जिससे बस्तर में लगभग 32 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा का विस्तार होगा । यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है इसके लिये भी मैं बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूं । (मेजों की थपथपाहट) पूरे बस्तर क्षेत्र की बात करें तो हमारे कांकेर में संगठन के तौर पर लंबे समय तक बस्तर के विभिन्न जिलों पर प्रभारी के रूप में काम करने का अवसर भी मुझे मिला है । मैं जब बस्तर की बात करता हूं और उसमें बस्तर जिले की बात करता हूं तो कांकेर जिला में भी मैंने काफी समय दिया है, मुझे याद है कि वहां पर भी यह मांग बहुत वर्षों से रही है । पिछले करीब 15-20 वर्षों से मेढ़की बैराज हेतु 400 करोड़, बीजापुर में चूंकि बीजापुर हमारा अंतिम छोर पर है । मट्टीमरका डॉयवर्सन योजना हेतु 110 करोड़, बस्तर में महादेव बैराज फिर वही महादेव नदी का जो मैंने, वह वास्तव में महादेव घाट है उसका नाम महादेव बैराज कर दिया गया । जो इंद्रावती नदी पर 100 करोड़ का है और इतनी सारी सिंचाई और बैराज की सुविधा उससे उपलब्ध कराने के लिये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत हृदय से आभारी हूं और उनका बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूं । (मेजों की थपथपाहट) हमारे यहां गणेश बहार जैसे छोटे-छोटे नाले हैं इस पर पहले ही आपकी स्वीकृति मिल चुकी थी तो उस पर भी बैराज निर्माण का काम हो रहा है जो कि हमारा दूरस्थ ईलाका है, जो हमारे उड़ीसा प्रांत से लगा हुआ एरिया है । बहुत सालों से उसकी मांग थी, वहां के ग्रामवासियों में भी बहुत अपार प्रसन्नता है । मैं सरगुजा-जशपुर विकास प्राधिकरण में भी आ जाउं, इसके माध्यम से भी स्थानीय स्तर पर बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में विकास के कई ऐसे कीर्तिमान, मैं यह शब्द उपयोग कर रहा हूं, ऐसे कामों की शुरूआत हुई है । मैं धन्यवाद दूंगा कि हमारे जो बस्तर और सरगुजा जैसे वनांचल आदिवासी क्षेत्र हैं वहां पर विकास प्राधिकरण के माध्यम से विभिन्न कार्यों की वहां के क्षेत्रवासियों को लाभ मिल सके ऐसा आपने प्रावधान किया है । माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन है कि प्राधिकरण की राशि पहले 50 करोड़ थी और ऐसे क्षेत्रों पर समुचित रूप से विकास हो । प्राधिकरण इसका माध्यम बने इस दृष्टि से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इसको बढ़ाकर, हमारे सरगुजा विकास प्राधिकरण, जशपुर विकास प्राधिकरण और बस्तर विकास प्राधिकरण के लिए 75-75 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है, मैं उसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ एवं अभिनंदन करता हूँ।

माननीय सभापति महोदय, यहां हमारी सिंचाई की योजना की बात हो रही थी। जब मैं नहर से नहर और नदी से नदी जोड़ने की बात कर रहा था तो उसमें मैं इसको भी जोड़ना चाहूंगा इसको आगे बढ़ाने की दृष्टि से सिकासेर, कोडार नहर लिंकिंग परियोजना का लिडार सर्वे कार्य पूर्ण कर परियोजना हेतु, 3 हजार 47 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति मिली है एवं महानदी महामेला शिवपुर बैराज निर्माण हेतु 650 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है। अब यहां पर मैं यह विषय इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि आप बस्तर से लेकर सरगुजा तक देख लीजिए। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं यह हमेशा कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय

जनता पार्टी की सरकार जो कहती है, वह करती है। हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी के विभाग के द्वारा एवं अन्य विभागों में भी इस पर चर्चा हुई । यहां पर जो विकास के काम हो रहे हैं, वह सभी होंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का सूत्रवाक्य है कि सबका साथ, सबका विकास, सबक प्रयास, सबका विश्वास और इसी अवधारणा को लेकर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में लगातार विकास के कामों को आगे बढ़ा रही है, उसके लिए आपका बहुत-बहुत अभिनंदन और धन्यवाद है।

माननीय सभापति महोदय, ऊर्जा विभाग एक नई क्रांति लेकर आया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने जिस तरीके से ऊर्जा की दृष्टि से गांव को लेकर सोचा। अब मैं इसको जोड़ना चाहूंगा कि इसका प्रभाव कैसे पड़ता है। जब हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के हमारे प्राकृतिक संसाधनों की बात होती है तो उसमें ऊर्जा विभाग भी एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करता है और अगर इसका अच्छा उदाहरण देखना है तो जब हम बस्तर और सरगुजा जैसे वनवासी क्षेत्र और वनांचल क्षेत्र में जाते हैं तो मुझे अपार प्रसन्नता होती है। एक समय होता था। हम बस्तर से हैं आदरणीय हमारे संसदीय मंत्री जी भी बस्तर से हैं । मैंने दंतेवाड़ा से लेकर बीजापुर, भोपालपट्टनम तक देखा है। अब तो यह किताबों की बात रह गयी। वहां पर हमने लालटेन और चिमनी का युग देखा है। जब मैं वहां पर देखता हूँ कि वर्तमान में जिस तरीके से ऊर्जा विभाग के माध्यम से ऊर्जा के आधुनिकरण की दृष्टि से और इसमें राज्य की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की दृष्टि से यह विभाग आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, उसका भी अभिनंदन है। हमारे राज्य में विद्युत उत्पादन, संचरण एवं वितरण की सुदृढ़ व्यवस्था के माध्यम से न सिर्फ हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, जो हमारी लोकल आवश्यकताएं रहती है, घरेलू आवकश्यताएं रहती है, बल्कि अन्य राज्यों को भी ऊर्जा उपलब्ध करवाकर, राष्ट्रीय ऊर्जा व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के समक्ष इसमें भी दो-तीन योजनाओं के विषय में अपनी बात रखना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत जनरेशन कंपनी के विषय में जरूर रखूंगा। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड द्वारा 6 स्थानों पर सिकासेर, गरियाबंद, हसदेव बांगो, दनगरी, कोटपाली, रौनी में 8 हजार 300 मेगावाट क्षमता के जल विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु एम.ओ.यू. किया गया है। उसके लिए बहुत-बहुत अभिनंदन और धन्यवाद् है। (मेजों की थपथपाहट) यह आगे बढ़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य है। जिस तरीके से राज्य में विकास के कार्य हो रहे हैं। यह तो ऐसी चीज है कि बिजली की मांग भी बढ़ती है और उसकी उपयोगिता भी बढ़ती है जैसे-जैसे उसकी उपयोगिता बढ़ती जाती है वैसे-वैसे उसकी मांग पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। राज्य में बिजली की बढ़ती मांग के परिप्रेक्ष्य में उत्पादन क्षमता को बढ़ाये जाने हेतु अनुमानित 12915 करोड़ के व्यय पर कोरबा में 1320 मेगावाट के थर्मल पॉवर प्लांट की स्थापना हेतु इस बजट में 461 करोड़ रूपये

का प्रावधान किया गया है मैं आपको उसके लिए बहुत-बहुत अभिनंदन और धन्यवाद् करता हूँ । हमारे कोरबा से माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं तो जब ऐसा विषय आता है तो थोड़ा मेज भी थपथपाने की आवश्यकता रहती है। (मेजों की थपथपाहट) डॉ. खूबचंद बघेल किसान विद्युत सहायता योजना पर कहना चाहूंगा। हमारे कृषकों की हमेशा मांग रहती है कि हमारे जो 1, 2, 3, 5 एकड़ के लघु सीमांत कृषक रहते हैं, उनको डॉ. खूबचंद बघेल किसान विद्युत सहायता योजना के माध्यम से नि:शुल्क विद्युत प्रदाय की सहायता की जाती है । इस योजना के अंतर्गत स्थाई और अस्थायी, दोनों प्रकार के पम्प कनेक्शन पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के कृषकों के लिए नि:शुल्क तथा अन्य वर्ग हेतु 3 एच.पी. तक 6000 यूनिट, 3 से 5 एच.पी. तक के पम्प हेतु 7500 यूनिट प्रति वर्ष बिजली नि:शुल्क दी जा रही है । यह अभिनंदन योग्य है । मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूं । वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 8 लाख, 29 हजार कृषकों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है । इसके लिए भी 2025 तक 33323 करोड़ का अनुदान प्रदान किया गया है और 2026-27 में 5500 करोड़ रूपए बजट का प्रावधान किया गया है । इस योजना के माध्यम से 8,83,000 कृषि पम्प उपभोक्ताओं को नि:शुल्क बिजली प्राप्त होगी । हमारे स्लम का जो एरिया है, बिलो केटेगिरी के जो लोग हैं, वंचित परिवार के लोग जो आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं हैं, एकल बत्ती कनेक्शन की जो योजना है, इस योजना के अंतर्गत जो हमारे बीपीएल परिवार हैं, मैंने शुरू में बताया कि उन्हें 30 यूनिट तक नि:शुल्क बिजली प्रतिमाह प्रदान की जा रही है । प्रदेश के ऐसे 14 लाख, 79 हजार बीपीएल के उपभोक्ता इससे लाभान्वित हो रहे हैं । इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2026-27 के बजट में 354 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है । इससे निश्चित रूप से हमारे बीपीएल केटेगिरी के लोगों को काफी राहत मिलेगी । मैंने प्रारंभ में इसकी शुरूआत की थी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिस तेजी के साथ बिजली की मांग बढ़ रही है, वह तो जनसंख्या के अनुपात में बढ़ रही है धीरे-धीरे आधुनिक भारत जिस तरीके से आगे जा रहा है तो सारे काम हम ऊर्जा और बिजली के ऊपर आधारित होते जा रहे हैं तो मांग भी बढ़ रही है । मैं आपके माध्यम से इस सदन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत अभिनंदन, बहुत धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं कि महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लाई है । जब हम लोग इस बात को करते हैं तो लोग कहते हैं कि यह मुफ्त बिजली योजना कैसे हो गई ? सभापति जी, इस योजना के अंतर्गत 2027 तक भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ प्रदेश के 1,00,030 आवासीय परिसरों की छतों पर सोलर रूफ, टाप संयंत्र स्थापना का लक्ष्य निर्धारित है। वर्तमान में इसी के अंतर्गत 38,225 घरों में यह स्थापित हो चुका है और बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही है । मैं बस्तर की बात करता हूं या मेरे विधानसभा की बात करूं, वहां 4-5 एजेंसियां जब आगे बढ़कर इसको हर घर तक, गांव-गांव तक पहुंचाने का काम कर रही है तो सहर्ष स्वीकार करते हैं क्योंकि इस योजना का लाभ जिस तरीके से मिल रहा है, इसके साथ-साथ हमारे प्रदेश में 60 हजार घरों के कार्य प्रगति पर भी हैं । योजना के अंतर्गत 1 किलो

वाट, 2 किलो वाट, 3 किलो वाट के सोलर संयंत्र की स्थापना में जो अनुमानित लागत 60 हजार, 1 लाख, 20 हजार और 1 लाख, 80 हजार है । इसमें केन्द्र के द्वारा जो प्रदत्त राशि है, उसमें सब्सिडी एक किलो वाट में 60 हजार में से 30 हजार, द्वितीय में 1 लाख, 20 हजार में 60 हजार और 1 लाख, 80 हजार में 78 हजार का अनुदान मिलता है । इसी तारतम्य में राज्य सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा अपने राज्य में क्रमश: 15 हजार और 30-30 हजार तक का अनुदान दिया जाता है । इस योजना के अंतर्गत 10 किलो वॉट तक की क्षमता का संयंत्र स्थापित किया जा सकता है । इसमें मात्र 3 किलो वॉट तक का अनुदान है, लेकिन इसमें 10 किलो वाट तक की क्षमता का संयंत्र स्थापित किया जाता है । इस हेतु 2026-27 में वित्तीय सहायता हेतु 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत-बहुत अभिनन्दन करता हूं। इससे बहुत तेजी के साथ, शुरूआत में इस मामले को समझने में ग्रामीण क्षेत्रों में दिक्कतें आ रहीं थीं। लेकिन एक घर, दो घर, तीन घर से होते हुए आगे बढ़ते चला गया तो अब होड़ लग गई है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में 1 लाख 30 परिसरों में लगाने का लक्ष्य रखा गया है, इससे उनको लाभ मिलेगा। इसके अन्तर्गत जो मुख्य बिन्दु हैं, इस योजना के अन्तर्गत मुख्यमंत्री अधोसरंचना विकास अन्तर्गत 33/11 के.व्ही. के 90 उप केन्द्र सहित अन्य कार्य हेतु सौ करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। जो सार्वजनिक स्थान हैं, जो चौक-चौराहें हैं, ऐसे स्थानों में सोलर हाईमास्क की स्थापना के लिए 35 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। अब हमारे छत्तीसगढ़ में क्रेडा का महत्वपूर्ण कार्य बहुत तेजी के साथ चल रहा है। इसके लिए नये भवन निर्माण हेतु 10 करोड का प्रावधान है। घरेलू उपभोक्ताओं को घरेलू बिजली बिल में राहत देने के लिए 800 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। मैं इसके लिए भी बहुत-बहुत अभिनन्दन करता हूं। सभापति महोदय, मुख्यमंत्री बिजली समाधान योजना अन्तर्गत आर्थिक रूप से परेशान, जो गरीब परिवार हैं, उनको राहत देने के लिए यह योजना चालू हुई है। मैं इस महत्वपूर्ण योजना के लिए भी बहुत-बहुत अभिनन्दन करता हूं। निश्चित रूप से इससे गरीब परिवार के लोगों को काफी लाभ मिलेगा।

आदरणीय सभापति जी, मैं 2 विषय संक्षेप में रखूंगा फिर अपनी बात को समाप्त करूंगा। पूरे प्रदेश में ही नहीं वरन् पूरे देश में आदरणीय मुख्यमंत्री जी की हमारे भारतीय जनता पार्टी की यह बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, वह बस्तर में संचालित हो रही हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से सदन के सामने जरूर वह पक्ष रखना चाहूंगा। जिस तरीक से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आदरणीय केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी की दृढ़ इच्छाशक्ति और आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जिस तरीके से त्वरित निर्णय लेने की क्षमता है, पूरा बस्तर पूरे 4 दशक से परेशानी से जूझ रहा था, जो पूरे बस्तर के विकास में बाधक बना हुआ था, ये सारी योजनाएं, सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं। बस्तर के हमारे ग्रामीण अंचल बीजापुर, भोपालपट्टनम, नारायणपुर, बांधे से लेकर कोयलीबेड़ा, आमाबेड़ा तक नहीं पहुंच पाती थी,

ऐसी सबसे बड़ी समस्या मार्च, 2026 को समाप्त होने जा रही है। ऐसी नक्सल समस्या की समाप्ति के लिए अभिनन्दन करना चाहता हूं। (मेजों की थपथपाहट) अब बोले कि दूसरा विषय आ गया, नक्सल समस्या गृह विभाग का है। आदरणीय सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार है, उसकी तमाम कल्याणकारी योजनाएं 'नियद नेल्लानार' मेरा अच्छा गांव योजनओं के माध्यम से, जहां तक मेरी जानकारी है, ऐसे 30 से 40 ऐसी योजनाओं का क्रियान्वयन अब उन क्षेत्रों में हो रहा है, जिन क्षेत्रों में विकास की किरण नहीं तक नहीं पहुंची है। (मेजों की थपथपाहट) मैं वहीं से आता हूं। अधोसरंचना का विकास, सड़कों का निर्माण, प्राथमिक शालाएं जहां मिडिल शालाएं होना हो वहां मिडिल शालाएं, पहले प्राथमिक शाला से प्रारंभ हुआ, पहले तो वहां कुछ भी नहीं था, वहां बिजली नहीं थी, वहां पर टावर लगाने का काम, वहां के बच्चें, जिन्होंने अपने गांव से बाहर की दुनिया नहीं देखी थी, उनके यहां टावर लग जाने से तेजी के साथ विकास से जुड़ेंगे, पढ़ेंगे, शिक्षा का आधार होगा, वहां पी.एच.सी., सी.एच.सी., पेयजल की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित हो रही हैं, इसकी सराहना सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे देश में हो रही है। मैं उसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी का अभिनन्दन करूंगा, बहुत-बहुत बधाई दूंगा। यह विषय इतना छोटा नहीं है, जितने कम शब्दों में मैंने रखा है। यह बहुत बड़ा विषय है। तेज गति से विकास की योजना किनके लिए बन रही है ? हमारे वनवासी क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी परिवारों हेतु गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, जो समुचित रूप से क, ख, ग, A, B, C तक नहीं जानते थे, वे मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। एक विषय आया था, उसमें शिक्षा का विषय था। सभापति जी, हमारे जगरगुंडा क्षेत्र के विषय में सभी जानते हैं, ऐसी जगहों पर शिक्षा का हब, एजुकेशन सिटी, उसी का तो परिणाम है। आदरणीय सभापति जी, विपक्ष होता तो बहुत सारी बातें होतीं और मैंने पहले ही कहा कि इन क्षेत्रों की ओर कभी कांग्रेस के सरकार ने पांच साल तक ध्यान नहीं दिया। एक अंतिम विषय संक्षेप में ही रखूंगा और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद। किसी भी क्षेत्र का या किसी भी राज्य का विकास का जो आधार तय होता है तो वहां पर उसकी कनेक्टिविटी रहता है, ट्रांसपोर्ट या कनेक्टिविटी के आधार पर होता है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, विमानन विभाग जो आपके अंतर्गत है, उसमें पर्यटन की दृष्टि से भी हम बात करते हैं, तो हवाई सेवाओं में जो उपलब्धता है, उसमें निरंतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उसमें विस्तार हुआ है, उसके लिए मैं अभिनंदन करता हूं, बड़ा योगदान रहा है। हम बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर की बात करें तो हवाई सेवाओं से हवाई मार्ग से जुड़ा। आदरणीय सभापति जी, अब बस्तर वाले तो कभी हवाई जहाज में बैठ नहीं पाते थे। मेरे को वह दिन भी याद है, मैं उसको जरूर एक लाइन बोलना चाहूंगा, बस्तर में मैं 11वीं कक्षा में पढ़ता था, पहली बार ट्रेन आई और हम लोग उसको स्कूल से देखने गए। वैसे बहुत पुरानी बात है, जब देखने गए तो उस समय वहां के लोग ट्रेन क्या चीज है करके इस बात को बड़ी कौतूहलता से पूरी हजारों की संख्या की भीड़ में गये। अब वहां के लोग विमान

से आ रहे हैं, अंबिकापुर, सरगुजा के लोगों को इसका लाभ मिल रहा है और वहां के एयरपोर्ट को विकसित करने की दृष्टि से आपने बजट में 80 करोड़ का प्रावधान किया है, उसके लिए मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, निश्चित रूप से यह बहुत महत्वपूर्ण है। (मेजों की थपथपाहट) कोरबा में भी ऐसे ही वहां का जो एयर स्ट्रिप है, उसके उन्नयन हेतु भी आपने बजट में प्रावधान किया है, उसके लिए भी बहुत-बहुत अभिनंदन। हमारे नियमित फ्लाइट बढ़ने के संबंध में अगर मैं हमारे छत्तीसगढ़ के रायपुर की बात करूं और आज ही की बात है आदरणीय सभापति जी, आज ही एक नयी वायुयान सेवा की शुरुआत हो रही है, जो कि रीवा से रायपुर और रायपुर से रीवा की उसकी शुरुआत हो रही है, इसके लिए भी मैं बहुत-बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। (मेजों की थपथपाहट) हमारे मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री जी और काफी लोग उस फ्लाइट में आ रहे हैं, उसके लिए बहुत-बहुत अभिनंदन। अंबिकापुर, जगदलपुर और रायपुर क्योंकि जगदलपुर में हैदराबाद से जगदलपुर फ्लाइट आती है, फिर वापस चली जाती है जो कि पहले हैदराबाद से रायपुर तक आती थी, उसके लिए भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किया है। अंबिकापुर का भी वहां के फ्लाइट का रेगुलेशन कंटिन्यू हो, उसके लिए भी आगे प्रयास किया है। मार्ग का विस्तार हो, इसके लिए भी प्रयास किया है, उसके लिए अभिनंदन। आदरणीय सभापति जी, एक विषय है, यह अंतिम विषय है । सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, जिसका वर्तमान समय में आज के आधुनिक युग में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और उसके संबंध में हमारे मोबाइल की जो कनेक्टिविटी है, मोबाइल की शुरुआत हुई थी, उस समय पूरे छत्तीसगढ़ की बात न करूं तो भी मैं अपने जगदलपुर की बात करूं तो जगदलपुर में भी कई जगहों पर मोबाइल से हमारी बात नहीं हो पाती थी। कई जगहों पर, अब ग्रामीण क्षेत्रों का और बीजापुर का तो अलग विषय है, तो इस पर प्राथमिकता देते हुए डिजिटल भारत निधि योजना के तहत 751 ऐसे नए मोबाइल टॉवर चालू किए गए हैं और 2300 और टॉवरों की स्थापना का प्रस्ताव आपने भारत सरकार को भेजा है, उसके लिए भी आपका बहुत-बहुत अभिनंदन है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, बहुत-बहुत बधाई। हमारा दूरस्थ अंचल एक जगह का तो मेरा ही है, नेता नार करके एक इलाका है, ग्रामीण क्षेत्र है, हम उससे आगे जाएंगे तो तिरिया है और तिरिया के बाद फिर उड़ीसा है और वहां पर भी टॉवर न होने के कारण वहां जब मैं गया, वह जगदलपुर विधान सभा ही है तो वहां के पढ़ने वाले बच्चों ने इस बात का विषय रखा कि यहां पर एक टॉवर हो जाए, दूरस्थ अंचल है तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों में वहां पर हमारे आदिवासी क्षेत्रों में चाहे सरगुजा हो, चाहे बस्तर हो, चाहे अन्य जगह हो, वहां टॉवर लगने के कारण उनको नेटवर्क उपलब्ध हुआ, वहां के बच्चे मोबाइल से जुड़ें। टी.व्ही. से लेकर अन्य चीजों के माध्यम से वहां शिक्षा का स्तर धीरे-धीरे नहीं, बल्कि बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। शिक्षा हेतु इंटरनेट की सुविधा बहुत आवश्यक अंग है। इन टॉवरों के माध्यम से वहाँ के बच्चों को इंटरनेट मिल रहा है, वहाँ के परिवार जनों को इंटरनेट को मिल रहा है। डिजिटल साक्षरता को बढ़ाने के लिए घर-घर डिजिटल सेवाओं को पहुँचाने

हेतु 'अटल डिजिटल सेवा केंद्र' प्रारंभ किया गया है, उसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। (मेजों की थपथपाहट) आदरणीय सभापति महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपने विभिन्न विभागों के अंतर्गत संज्ञान लेते हुए जिस तेजी के साथ छत्तीसगढ़ के विकास के लिए काम किया है। चाहे वह अधोसंरचना का मामला हो, चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर के डेव्हलपमेंट का मामला हो। अब यहाँ पर मैं समापन के समय सभी विभागों की बात करूँगा। सारी नदियाँ समुद्र में मिलती हैं, इसलिए सारे विभाग भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी में निहित हैं। मेजों की थपथपाहट) चाहे वह शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो या चाहे लोक निर्माण विभाग का मामला हो। जिस तेजी के साथ वहां सड़कों के निर्माण कार्य हो रहे हैं। जहाँ टू-वे था, वह फोर-लेन बनने की दिशा से आगे बढ़ रहा है। एक समय था, जब हम लोग जगदलपुर जाते थे, तब हम लोगों को वहां पहुंचने में 9-10 घंटे लगते थे, लेकिन अब हम लोग वहां सिर्फ 4 घंटे में ही पहुँच जाते हैं। इस तरीके से हमारे विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत तेज गति से निर्माण कार्य हो रहे हैं। अब बोलने के लिए तो बहुत विषय हैं। अलग-अलग विभागों में ये विषय आ गये हैं। हमारे क्षेत्रों में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। चाहे वह महतारी सदन हो, किसान सदन हो या अलग-अलग विभागों के कार्य हों। मैं अंत में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ और उनको बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि सिर्फ इन सवा दो वर्षों में आपने अपने अंतर्गत निहित विभागों के माध्यम से जिस तेजी के साथ छत्तीसगढ़ के विकास को आगे बढ़ाने की दृष्टि से, छत्तीसगढ़वासियों के मनोरथ को पूरा करने की दृष्टि से का काम किया है। आदरणीय सभापति महोदय जी, मैं आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- श्रीमती रायमुनी भगत। आप सभी से मेरा आग्रह है। मेरे पास सूची बहुत लंबी है, बोलने वाले वक्ता बहुत हैं। इसलिए कृपया करके आप लोग समय का ध्यान रखेंगे। किरण देव जी प्रथम वक्ता थे और उन्होंने बहुत ही विस्तृत में अपनी बात कह दिया है। अब आप लोग अपने हिसाब से सहयोग करियेगा।

श्री आशाराम नेताम :- सभापति महोदय जी, आज तो पूरा सदन खाली है, हम लोग बोल सकते हैं।

सभापति महोदय :- कौन बोला कि हम लोग बोल सकते हैं? आपने बोला?

श्री आशाराम नेताम :- जी। इधर खाली है तो हम सब सदस्यों को मौका मिलेगा, उस मौके का हम पूरा उपयोग कर सकते हैं।

सभापति महोदय :- अगर इस सूची में आपका नाम होगा तो आप जरूर बोल सकते हैं, लेकिन 4.00 बजे विनियोग विधेयक को भी पेश करना है। इसलिए आपसे सहयोग की अपेक्षा है।

श्री आशाराम नेताम :- सभापति महोदय, सबसे पहली बात कि हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के विभागों के अनुदान मांगों पर बोलना है। इसलिए हमारे सभी सदस्यों को मौका मिलना चाहिए।

सभापति महोदय :- जरूर बोलिए, सबको बोलने दिया जाएगा।

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- सभापति महोदय, मेरा वही निवेदन था। थोड़ा-थोड़ा सबको मौका मिलना चाहिए क्योंकि सभी सदस्य मुख्यमंत्री जी के विभाग में बोलना चाहेंगे।

सभापित महोदय :- मंत्री जी, मैं वही कह रहा हूँ। सब लोग हैं।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- कम बोलें?

सभापति महोदय :- कम मत बोलिए। आप लोग थोड़ा अलग-अलग विषय पर बात कर लें क्योंकि सूची बहुत लंबी है। इसमें जितने लोगों का नाम है, उन सबको बोलने का अवसर मिलेगा। अब आप बोलिए।

श्रीमती रायमुनी भगत (जशपुर) :- सम्माननीय सभापति महोदय जी, मैं बहुत ही संवेदनशील मुख्यमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देती हूं और आभार भी प्रकट करती हूँ क्योंकि वित्तीय वर्ष 2026-27 में मुख्यमंत्री जी के विभाग का जो बजट पेश हुआ है, वह चहुँमुखी विकास, सशक्त भारत और डिजिटल भारत को इंगित करता है। आने वाले समय में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है कि वर्ष 2047 तक भारत कम्प्लीट रूप से विकसित भारत बनकर उभरेगा और विजन डाकुमेंट्स की जो कल्पना है, वह साकार होते हुये दिख रहा है । सभापति महोदय जी, मेरे क्षेत्र में सबसे पहले तो मोबाईल कनेक्टिविटी के लिये जो राशि दिये हैं, उसके लिये धन्यवाद देती हूँ । जशपुर विधान सभा वनों से आच्छादित विधान सभा है और सभी गांवों में मोबाईल टॉवर के काम बहुत तेजी से चल रहे हैं और डिजिटल एजूकेशन की बात करूँ चाहे डिजिटल पे की बात करें प्रधानमंत्री जी ने जब फोन-पे, मोबाईल-पे, की बात किये थे तो उसका बहुत विरोध हुआ था । आज छोटे-छोटे गांव में या छोटे-छोटे बाजार में, व्यापार करने वाली महिलायें भी गूगल-पे, फोन-पे का लाभ उठा रही है और शिक्षा के क्षेत्र में भी छोटे-छोटे गांवों में जो मोबाईल टॉवर स्थापित हुये हैं, उसका बहुत लाभ मिल रहा है । सभापति महोदय, मैं गुल्लू, झरगांव और अलोरी जैसी गांवों की बात करूँ, जहां सूरज की किरणें बहुत देर से दिखाई देती है । ऐसे क्षेत्र में भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का दौरा सघन रहा है और जब वे मुख्यमंत्री पद को सुशोभित कर रहे हैं, ऐसे समय में उन्हें धन्यवाद देती हूँ कि जितने भी दूरस्थ अंचल थे, वहां आज डिजिटल एजूकेशन संचालित हो रहे हैं । सबसे बड़ी बात जनरेशन कंपनी की उपलब्धि हमारे विधान सभा जशपुर में भी पहुंचा है । दनगरी में 1400 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने जा रहे हैं, जहां कोई जाता नहीं था । डॉ.रमन सिंह जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो वहां पहुंचे थे । उसी तारतम्य में रेवनी में भी 2100 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिये प्रपोजल गया है । मैं आपको हद्य धन्यवाद देती हूँ, आपको बहुत ज्यादा नहीं कहूँगी, चूँकि बोलने वालों की बहुत लम्बी लाईन है, आपके संवेदनशील होने का परिचय

तो आपके विभाग से ही पता चलता है । आपने जिस प्रकार से बजट दिया है, आपने एकलबत्ती कनेक्शन हेतु 354 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान किया है, आपको इसके लिये भी धन्यवाद । (मेजों की थपथापहट) प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लिये बजट में 400 करोड़ का प्रावधान है । चूँकि उर्जा का भार दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जिस प्रकार से खनिज और उद्योग आ रहे हैं, इसमें प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना आप ला रहे हैं, दूरस्थ अंचलों में रहने वाले लोगों को लाभ होगा, मैं इसलिये आपको पुन: धन्यवाद देती हूँ । तीसरी बात, आप खुद भी एक किसान परिवार से हैं और किसानों के दु:ख-दर्द को समझते हैं, जब कृषि पम्प खरीदने जाते हैं तो कितनी तकलीफ होती है, जब कृषि पम्प खरीदने जाते थे तो पहले लोन लेना पड़ता था और अब छूट का प्रावधान आपने कर दिया है । कृषकों कोक कृषि पम्पों के उर्जीकरण हेतु 50 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया है, इसके लिये भी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद । धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष योजना, विशेष पिछड़ी जनजाति के तहत 5-6 जो जनजाति हैं, वहां यह चल रही है। जहां धरती आबा उत्कर्ष योजना के तहत गरीबों के लिए मकान बन रहे हैं, चाहे वह बैगा हो, पण्डो हो, पहाड़ी कोरवा हो। ऐसे लोग जिनका मकान बन रहा है, इस योजना के तहत वहां तेजी से विद्युतीकरण हो रहा है । इस योजना में आपने 12 करोड़ रूपये का बजट में प्रावधान किया है, इसलिए आपको पुनः धन्यवाद। सभापति महोदय, नियद नेल्लानार योजना, बस्तर क्षेत्र में जो कैंपों में रह रहे हैं, जो नक्सलवाद हिंसा से पीड़ित लोग हैं, उनकी आवास व्यवस्था में लगातार विद्युतीकरण का काम हो रहा है, इसके लिए भी हमारे गांव के छोटे-छोटे भाई-बहनों की ओर से आपको पुनः बधाई देती हूं। मुख्यमंत्री मजरा टोला विद्युतीकरण योजना में भी आपने 50 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है, शहरी विद्युतीकरण में भी 50 करोड़ रूपए का प्रावधान है। आजकल बड़ा प्रचलन है, जहां विद्युत नहीं पहुंच रहा है वहां सोलर हाईमास्ट लगा रहे हैं। जशपुर जैसे बीहड़ जंगलों में रहने वाले हमारे भाई-बहनों को सोलर हाईमास्ट का बहुत फायदा हो रहा है। बगीचा में अभी-अभी पिछले साल बरसात में हाथी के आने से एक साथ चार लोगों की मृत्यु हुई थी लेकिन आपकी उदारीकरण, सूझबूझ और संवेदनशीलता से वहां हाईमास्ट लगने से आज शहर में हाथी प्रवेश नहीं कर रहे हैं, इसके लिए भी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट) मैं अब सीधे अपनी मांग पर आऊंगी। सभापति महोदय, मैं बहुत ही निवेदनपूर्वक संवेदनशील मुख्यमंत्री जी से अपने क्षेत्र की मांग रखती हूं। जशपुर विधानसभा में बादलखोल अभ्यारण्य है, मैं आपसे निवेदनपूर्वक मांग करती हूं कि बादलखोल अभ्यारण्य के किनारे-किनारे बगीचा नगर पंचायत में, बगडोल में, मैनी चौक में जो बस्ती है, वहां हाईमास्ट लाइट की बहुत जरूरत है। पहाड़ी क्षेत्र में जहां विद्युतीकरण आज भी नहीं पहुंची है, काम तो बहुत द्रुत गति से हो रहा है, दनगरी के ऊंचाई वाले क्षेत्र में बसे बसाहटें जहां पहाड़ी कोरवा रहते हैं, वहां भी हाईमास्ट की बहुत जरूरत है। माननीय सभापति महोदय, चूंकि मैं शुरू में ही बता चुकी हूं कि जशपुर वनों से आच्छादित क्षेत्र है। वहां मां खुड़िया रानी देवी का पर्यटन स्थल है, कैलाश गुफा है, वहां

दराव फाल है और छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पर्यटन स्थल वॉटरफॉल मक्करभंजा है, वहां भी तीनों-चारों जगह हाईमास्ट की जरूरत है। चूंकि पाठ क्षेत्र में आज खेती-किसानी बहुत तेजी से चल रही है, पाठ क्षेत्र में मैं दो बड़े बांध की मांग करती हूं, एक नीचे क्षेत्र में सूर्या नदी में बांध की मांग करती हूं, वहां बड़ा बांध होने से लगभग 20 गांव को सिंचाई सुविधा मिलेगी और पेयजल भी उपलब्धता होगी। दूसरा, पाठ में गायबूढ़ा में बड़ा बांध होने से नीचे दनगरी, सुलेसा, महनई तक पूरा पानी आएगा। मैं यशस्वी मुख्यमंत्री जी के विभाग में थोड़ा सा बोली हूं। सम्माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री नीलकंठ टेकाम (केशकाल) :- धन्यवाद, सभापति महोदय और बहुत जल्दी बोलने का मौका मिला, इसके लिए आपको दो बार धन्यवाद। सभापति महोदय, विधायक के रूप में मेरे लिए तो यह पहला ही अनुभव है। पहले मैं प्रशासनिक अधिकारी के रूप में काम कर रहा था। मैं ऐसा मानता हूं कि चाहे सतयुग की बात हो, चाहे द्वापर युग की बात हो या वर्तमान समय की बात हो, ऐसा कोई भी प्रशासन, ऐसा कोई भी राजा नहीं है जो 3,100 रूपये में लोगों का धान खरीदे और मुफ्त में चावल बांटे। ऐसा किसी भी युग में देखने को नहीं मिलता है। (मेजों की थपथपाहट) मैं मानता हूं कि यह हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे मजबूत पक्ष है, जिसके कारण आज पूरा देश हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की ओर देखता है कि आखिर यहां पर दंगे-फसाद क्यों नहीं होते? दंगा-फसाद नहीं होने का एक महत्वपूर्ण कारण है कि हम लोगों की जरूरतों को जानते हुए उनके लिए प्लान तैयार करते हैं। राज्य बनने के बाद लगातार हमने लोगों की इच्छाओं को समझने का काम किया, चाऊर वाले बाबा ने समझा और उसके बाद हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी के द्वारा इतने कम समय में मोदी की गारंटी को लागू करने का काम यदि कहीं पर हुआ है तो वह छत्तीसगढ़ राज्य है। (मेजों की थपथपाहट) मैं तो बस्तर से आता हूं। बस्तर में 40 सालों से हम नक्सलवाद को झेल रहे थे। कैंसर से ज्यादा खतरनाक बीमारी के रूप में नक्सलवाद फैला हुआ था और ऐसा लगता था कि न जाने और कितनी पीढ़ियां इस दर्द को झेलती रहेंगी? लेकिन आज मुझे दुष्यंत कुमार की यह कविता याद आती है कि शायद उन्होंने बस्तर के लिए यह कविता बनायी होगी कि -

हो गई है पीर पर्वत-सी पिघलनी चाहिए,
आज किसी हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए।

सभापति महोदय, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मैं देश के गृह मंत्री जी के लिए बोल रहा हूं कि -

सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं,
सारी कोशिश है कि तस्वीर बदलनी चाहिए। (मेजों की थपथपाहट)

समय :

1.53 बजे

(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए)

सभापति महोदय, आज बस्तर की तस्वीर बदलने लग गई है। अभी जब हम बस्तर के विधायक मिलते हैं तो आपस में बैठकर यही बात करते हैं कि अब कौन सी सड़क बनने के लिए बच गयी है? काश कि यह आजादी के तुरंत बाद सोच लिया गया होता तो हमें यह 40 साल का दर्द झेलने को नहीं मिलता। सभापति महोदय, बहुत सारे वक्ता हैं, समय की भी मर्यादा है और मैं अपने विधान सभा क्षेत्र के बारे में अपनी बात कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ के लिए अब सबसे बड़ी जरूरत जो है, वह रोजगार को लेकर है और रोजगार की जरूरत किसको है? यहां के एस.टी. वर्ग या एस.सी. वर्ग या ओ.बी.सी. वर्ग के जो गरीब लोग हैं और वह लोग कहां हैं? या तो वह मितानिन का काम कर रहे हैं या तो वह आंगनबाड़ी में काम कर रहे हैं या रसोइया का काम कर रहे हैं या स्वीपर का काम कर रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा मैन पॉवर यहां पर मौजूद है। उनके मैनेजमेंट के लिए हमारा जो सुशासन का दृष्टिकोण है, उसको इस तरफ ले जाना बहुत आवश्यक है। इसके लिए समयबद्ध तरीके से एक कार्यक्रम निर्धारित करके और एक निश्चित समय सीमा में इन लोगों की जो अपेक्षा है कि उनकी आवाज आखिर कौन बनेगा? उनकी आवाज सरकार को बनना पड़ेगा और सही समय में उनकी मांगों को समझते हुए उसे पूरा करना पड़ेगा। मुझे पक्की उम्मीद है कि हमारी सरकार ने जिस तरीके से एक माइलस्टोन का काम किया है। कांग्रेस के जमाने में हम 500 रूपये देंगे कहकर उन्होंने महिलाओं को धोखा दिया, लेकिन एक पैसा नहीं दिया। बेरोजगारी भत्ता देंगे कहकर युवाओं को धोखा दिया, लेकिन लास्ट में जब चुनाव आया तो उस समय दिया गया था। उन बातों को आज भी लोग याद रखते हैं। आज हमारे सामने सबसे बड़ी चिंता का विषय है। जैसे हमारे सबसे पहले वक्ता ने बोला था कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी खनिज संपदा है, हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी वनोपज है, हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी कृषि है। इसमें व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जैसे–लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। वर्ष 2047 को ध्यान में रखते हुए विजन डॉक्यूमेंट के माध्यम से एक तात्कालिक व्यवस्था, एक मध्यकालिक व्यवस्था और एक दीर्घकालिक व्यवस्था के माध्यम से हम पहुंचने का प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, वह लगातार बढ़ते जा रही हैं। लोगों ने 15 साल के शासनकाल को देखा। अब 15 साल के शासनकाल में जो व्यवस्थाएं थीं, उसको लोग आज दोगुना अपेक्षा के साथ देख रहे हैं। उन 15 सालों में छत्तीसगढ़ राज्य बाहर के राज्यों में चर्चा का विषय होता था कि एक सेकंड के लिए छत्तीसगढ़ में बिजली गुल नहीं होती है। इसको स्थापित कर लिया गया था। लेकिन अभी कहीं न कहीं यह समस्या हमारे सामने यह चुनौती के रूप में खड़ी हो गयी है। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र का अपनी विद्युत व्यवस्था को लेकर कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था। हमको 132 के.व्ही. की बिजली कांकेर से

लेनी पड़ती थी, 132 के.व्ही. का ट्रांसफार्मर कोण्डागांव में हुआ करता था। लेकिन माननीय विष्णु देव साय जी की सरकार बनते ही मेरे विधान सभा क्षेत्र में 132 के.व्ही. के ट्रांसफार्मर स्थापित करने का काम चालू हो गया है जो आने वाले कुछ ही समय में पूरा हो जायेगा और उससे लोगों को फायदा भी होने लग जायेगा।

माननीय सभापति महोदय, केशकाल विधान सभा क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से देखा जाता है। क्योंकि जैसे ही हम कांकेर को क्रॉस करते हैं, वैसे ही हम लगभग 4,000 फीट की ऊंचाई पर चले जाते हैं। यह हमारे लिए एक प्लस प्वाईंट है कि यदि हम लोगों को वहां के पर्यटन के माध्यम से, संस्कृति के माध्यम से, जंगल के माध्यम से, जल जीवन के माध्यम से आकर्षित करते हैं तो वहां के स्थानीय नौजवानों को रोजगार और स्वरोजगार के बहुत सारे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में मांझिनगढ़ है। मांझिनगढ़ का इतिहास यह है कि हम जो बेल मेटल देखते हैं, वह बेल मेटल देश और दुनिया में झिटकू और मिटकी से जाता है। वह झिटकू और मिटकी हमारे विधान सभा क्षेत्र के रहने वाले हैं। मांझिनगढ़ में आज से हजारों हजार साल पहले यह प्रेम गाथा प्रचलित हुई, जहां पर उस युवा प्रेमी को मिटकी के भाइयों ने मारकर जमीन में गाड़ दिया था। झिटकू के लिए वह उसकी प्रेमिका थी, जिसको झिटकी के नाम से जाना जाता है, उसने अपना बलिदान दे दिया, अपना जीवन त्याग कर दिया। यहां संस्कृति मंत्री जी भी बैठे हुए हैं। मैं यह चाहता हूं कि मांझिनगढ़ को उस रूप में विकसित किया जाये ताकि झिटकू और मिटकी की जो प्रेम गाथा है, उसको लोग दूर दराज से आकर देखें, उसको समझे। सभापति महोदय, हमारे यहां टाटी मारी की बड़ी-सी धरोहर है। यह वही टाटा मारी है, जहां पर पहली बार टाटा ग्रुप ने माईनिंग सर्च करने के लिए चॉपर उतारा था। इसलिए इसको टाटा मारी के नाम से देखा जाता है। वह पाषाणकालीन युग की जगह है। आज भी वहां की मिट्टी, वहां का पत्थर, वहां की वनस्पति पाषाणकालीन है, क्योंकि वहां पर न कभी भूकंप के अवशेष मिलते हैं न कभी ज्वालामुखी का अवशेष मिलता है। उस जगह से एक बड़ा सा View Point बनता है, जिसको विकसित करने की जरूरत है। माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र मतें कुयेमारी का एक विशाल पहाड़ है, जहां से तीन-तीन नदियां एक साथ निकलती है। वहां कांकेर की दूध नदी निकलती है। वहां से हमारे क्षेत्र में बहने वाली 152 कि.मी. बारदा नदी निकलती है, जो इंद्रावती में जाकर मिलती है। इसके अलावा हमारे अंतागढ़ में जो नदी बहती है, वह भी उसी पहाड़ से निकलती है। उसके निकास प्वाईंट को, जो उसका उद्गम स्थल है, उसको हमें एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में पर्यटन के क्षेत्र के रूप में विकसित करने की जरूरत है। वहां हजारों की संख्या में वैसे भी लोग जाते हैं। अगर अभी लोग केवल चित्रकोट के जलप्रपात को जानते हैं, कोटमसर के गुफा को जानते हैं, तीरथगढ़ के जलप्रपात को जानते हैं लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा रहस्यमयी जगह बस्तर के अनेक इलाकों में छिपी हुई है, जिनको बाहर लाने की आवश्यकता है। मुझे पक्का उम्मीद है कि हमारी सरकार इस मामले में जरूर काम करेगी। सभापति महोदय, आखिरी में मेरी

केवल एक ही मांग रही गयी है। अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी ने बिल्कुल दिल खोलकर इतनी सारी सड़कें स्वीकृत कर दी है कि यदि यह काम समय से पूरा हो जायेगा तो नजारा ही बदल जायेगा। सभापति महोदय, मेरी केवल एक ही मांग रह गयी है कि हमारा जो केशकाल शहर है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लोग चाहे आंध्रा से आये, चाहे उड़ीसा से आ आये या फिर पूरे बस्तर के बीजापुर से आये, चाहे भैरमगढ़ से आये, उनका केशकाल से जरूर वास्ता पड़ता है। अभी केशकाल की सड़क निर्माण का कार्य जो हो रहा है, वह 8 करोड़ रूपये की लागत से हो रहा है।

समय

2.00 बजे

माननीय सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र की जनता चाहती है कि इस सड़क की चौड़ाई लगभग पौने 4 किलोमीटर की है, यह सड़क 60 फिट की होनी चाहिए और 60 फिट की चौड़ाई की सड़क बनाने के लिये लगभग 24 करोड़ रुपये की जरूरत है और 24 करोड़ रुपये में से 8 करोड़ रुपये मिल चुके हैं। सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को और लोक निर्माण विभाग के जो भी अधिकारी हैं, मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि यह पौने 4 किलोमीटर की जो सड़क है, उसको फोरलेन बनाने के लिये हमको कम से कम 16 करोड़ रुपये की सहायता राशि मिल जाये। उससे आने वाले दिनों में भारतमाला से जुड़ने वाली जो सड़क है, उसका जो लोड है, वह सब के सब इसी रोड में आयेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइपास बन जाने से भी इस रोड का महत्व कम नहीं होगा क्योंकि सारा लोड इसी रोड के ऊपर रहेगा। तो मेरी इस मांग को पूरा कर लिया जाये। माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कार्यकाल है, उनके जो काम करने का तरीका है, उन्होंने जो अमिट छाप इस राज्य के लिये छोड़ी है, आदिवासीयों के लिये, गरीबों के लिये जो छोड़ा है, कृषि के क्षेत्र में, जल संसाधन के क्षेत्र में और सबसे ज्यादा आई.टी. के क्षेत्र में वर्तमान की जरूरत को ध्यान में रखकर के जो मांग उनके द्वारा रखी गई है, मैं उनका समर्थन करते हुए अपनी बातों को समाप्त करता हूं। माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

सभापति महोदय :- चूंकि विनियोग विधेयक का पुर्नस्थापन 4.00 बजे किया जाना है। अत: सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि अपनी बातें संक्षेप में रखें और सहयोग करेंगे। श्री प्रेमचंद पटेल।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय सभापति महोदय, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के विभागों की अनुदान मागों पर महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है और विपक्ष जिस तरीके से बहिष्कार करके चला गया है। मैं संसदीय कार्य मंत्री के नाते उनसे आग्रह भी किया कि वह सदन में आकर इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लें। लेकिन उन्होंने एक सिरे से इस बात को मना कर दिया। वह इस सदन की पवित्रता को नहीं समझते। यहां पर उनको राजनीति का अखाड़ा बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उनको जनता की बातों को रखना चाहिए। लेकिन जनता के प्रति उनकी जवाबदारी बिल्कुल नहीं है।

इसलिए उनको हमेशा जिस तरीके से जनता बहिष्कृत करती है, मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में जितने भी चुनाव आयेंगे, उसमें उसका पूरी तरीके से जवाब यहां की जनता उनको देगी। हमारे विपक्ष के साथियों से अभी भी आग्रह है कि वह सदन में आ करके इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेवें।

श्री प्रेमचंद पटेल (कटघोरा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णु देव साय जी की सभी विभागों से संबंधित अनुदान मांग संख्या 1, 2, 12, 25, 32, 23, 45, 57, 75, 60 और 65 के समर्थन मे बोलने के लिये खड़ा हूं। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णु देव साय जी, हमारे प्रदेश के वित्त मंत्री माननीय ओ.पी. चौधरी जी ने जो विजन डाक्यूमेंट पेश करके हमारे छत्तीसगढ़ के चाहे वह सरगुजा क्षेत्र हो, बस्तर क्षेत्र हो, मैदानी इलाका हो, सभी क्षेत्र का सामान रूप से विकास हो और हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के जितने भी विभाग हैं, उन सभी विभागों में सामान रूप से कार्य करना और हमारे प्रदेश के विकास का विजन डॉक्यूमेंट पेश करके पूरे छत्तीसगढ़ का विकास करना हम सब लोगों का उद्देश्य रहा है और निश्चित ही आने वाले 2047 का जो विजन डॉक्यूमेंट पेश किये हैं उस विकसित छत्तीसगढ़ के उसमें निश्चित रूप से आने वाले समय में सफल होंगे और मैं कुछ विषयों पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की बातें रखूंगा ।

माननीय सभापति महोदय, जल संसाधन विभाग । हमारे जीवन में जल का कितना महत्व है यह आप सब जानते हैं कि जल के बिना जीवन अधूरा है और जल का संवर्धन एवं संरक्षण करना, हम सबका लक्ष्य होना भी चाहिए, जिम्मेदारी भी है और हम सब छत्तीसगढ़ में जितने भी तालाब हैं, डभरी, कुंएं, एनीकट, स्टॉपडेम, बड़े-बड़े बांधों का निर्माण भी किया गया है, इन सबका संरक्षण सही तरीके से हो । निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के किसान और इन सभी में उनकी सिंचाई का साधन भी होता है और कहीं न कहीं हम गांव के लोग इन सभी में आश्रित होते हैं । कृषि के क्षेत्र में चाहे वह धान की फसल हो, गेहूं की फसल, मक्का, कोदो-कुटकी जितने भी प्रकार की फसल लेते हैं, प्रमुख रूप से उद्यानिकी सब्जी, फल-फूल की खेती भी करते हैं तो हमारी सरकार कुछ अनाजों पर एम.एस.पी. का रेट भी तय करती है और खासकर हमारा छत्तीसगढ़ धान का कटोरा भी है और धान का जो केंद्र सरकार का समर्थन मूल्य है उस रेट पर धान भी खरीदती है और हमारे इस प्रदेश में 3100 रूपया जो मोदी जी की गारंटी में हम लोगों की सरकार ने निर्णय लिया था, संकल्प पत्र में था, घोषणा-पत्र में था । वहां लगातार 3 वर्षों से इस रेट से सरकार और हम सब लोग इस रेट पर, मूल्य पर धान खरीद रहे हैं निश्चित रूप से इससे किसानों का, जो मोदी जी का सपना है कि किसानों की आय कैसे दुगूनी हो यह बहुत जरूरी है और आय भी दुगूनी होने की दिशा में बढ़ रही है । सबसे बड़ी बात, जब हम जल संसाधन की बात करते हैं तो सिंचाई के क्षेत्र में हमारे किसानों का रकबा बढ़े, किसानों को खेतों तक पानी मिले इसके लिये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय वित्तमंत्री जी लगातार काम कर रहे हैं । हमारे छत्तीसगढ़

में सबसे बड़े बांध केलो परियोजना, बांगो डेम, गंगरैल डेम यह बड़ी परियोजनाएं हैं । यह किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने के साथ-साथ उद्योगों को पीने के पानी का भी हम सब लोगों को सुविधा दे रहे हैं । हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी बाजपेयी जी सदा नदियों को जोड़ने पर जोर दिया करते थे इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए सिकासार केडार नहर लिंकिंग परियोजना का अत्याधुनिक लिडार सर्वे का कार्य पूर्ण किया तथा इस परियोजना के लिये 3047 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति दी है । इस परियोजना का लाभ मैदानी छत्तीसगढ़ को प्राप्त होगा । इसके अतिरिक्त नदी पर मोहमेला, सिरपुर बैराज निर्माण हेतु 690 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है । जल संसाधन के पूंजीगत प्रावधान में ऐतिहासिक वृद्धि करते हुए, 3500 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, बांगो डेम का निर्माण कोरबा जिले में किया गया है, लेकिन इसका लाभ कोरबा जिले के किसानों को सिंचाई के क्षेत्र में नहीं मिलता है। वहां इससे उद्योग घरानों को पानी मिलता है साथ ही पीने के पानी के लिए यहां के जल का उपयोग होता है और कोरबा जिला आकांक्षी जिले में शामिल है। हम अन्न के क्षेत्र में तो आत्मनिर्भर हैं, लेकिन दलहन और तिलहन के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर नहीं हैं। आगे हमको दलहन और तिलहन के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, इसके लिए सिंचाई बहुत जरूरी है। कोरबा जिले के लिए भी ऐसी परियोजना लेकर आएं हैं कि बांगों डेम से हमारे किसानों को सिंचाई की सुविधा मिले । निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी एवं हमारे माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा। जो जल संसाधन विभाग से मेरे गांव की दो प्रमुख मांगे हैं, मैं उसको बताना चाहूंगा । ग्राम लोटनापारा व्यपवर्तन में नहर निर्माण हुआ है, अभी वहां के किसानों को उसका मुआवजा नहीं मिल पाया है। यह बहुत दिनों से लंबित है, इसको दिलाने की कृपा करेंगे। दूसरा, उदरदा जलाशय बीच से टूट-फूट चुका है उसका निर्माण भी जल्दी से करवाने की कृपा करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, हमारे कोरबा जिले की बात करूं तो उसे पूरे छत्तीसगढ़ में ऊर्जा नगरी के नाम से जानते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के विकास में ऊर्जा का भी बहुत बड़ा योगदान है। हमारे प्रदेश में कई बड़े-बड़े ताप विद्युत क्षेत्र हैं इसमें कोरबा में सी.एस.ई.बी., चांपा में मड़वा, कोरबा में बालको, लेमको, एन.टी.पी.सी. और भी छोटे-छोटे पॉवर प्लांट हैं, जो ऊर्जा पैदा करते हैं। ऊर्जा समस्त मानव गतिविधियों का केन्द्र बिन्दु है और हम सब ऊर्जा के घरेलू उपयोग के साथ ही साथ बड़े-बड़े उद्योग धंधों का संचालन, चलाने का काम भी ऊर्जा, बिजली के माध्यम से होता है। यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि छत्तीसगढ़ देश का पॉवर हब है तथा राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा आपूर्ति में अहम भूमिका निभा रहा है। इसमें अग्रणी बने रहने हेतु निवेश के लिए हमारे प्रदेश में माकूल माहौल बनाने के उद्देश्य से हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा एनर्जी सबमिट का आयोजन किया गया, जिसमें 3 लाख 50 हजार रूपये का निवेश प्राप्त हुआ है। इस बजट में मुख्यमंत्री विद्युत अधोसंरचना विकास

अंतर्गत 33/11 के.व्ही के 90 नये उप केन्द्र सहित अन्य कार्यों हेतु 100 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

सभापति महोदय :- माननीय पटेल जी, थोड़ा संक्षेप करिये।

श्री प्रेमचंद पटेल :- माननीय सभापति महोदय, मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। सार्वजनिक स्थानों तथा चौक चौराहों में सोलर हाईमास्ट की स्थापना के लिए 36 करोड़ रूपये का प्रावधान है। क्रेडा के कार्य विस्तार को देखते हुए नये भवन के निर्माण के लिए 10 करोड़ रूपये का प्रावधान है। घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत देने के लिए 800 करोड़ रूपये का प्रावधान है । बी.पी.एल. उपभोक्ताओं को नि:शुल्क बिजली देने हेतु 354 करोड़ रूपये का प्रावधान है। नियद नेल्लानार योजना में विद्युतीकरण करने हेतु 50 करोड़ रूपये का प्रावधान है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी जो आगे आने वाले समय को देखकर, चलते हैं। हमारे देश में बिजली की आवश्यकता इतनी बढ़ेगी कि आने वाले 10 सालों में 40 हजार मेगावाट बिजली की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि हम इतनी बड़ी मात्रा में बिजली न तो ताप विद्युत केन्द्र से, न तो ताप विद्युत केन्द्र से, न तो हाईड्रो पॉवर से, न तो हम पवन चक्की से प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि हम सोलर प्लांट की स्थापना करके इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं । इस दिशा में हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी सोच भी रहे हैं । इसलिए प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजनांतर्गत केन्द्रीय अनुदान के साथ-साथ इस प्रदेश के द्वारा अतिरिक्त अनुदान हेतु 400 करोड़ रूपए का भी प्रावधान किया गया है । हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं । छत्तीसगढ़ को भी सोलर प्लांट की दिशा में आगे बढ़ाने का काम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी करेंगे ।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो बड़ा खदान है, खनिज के क्षेत्र में बात करेंगे तो निश्चित रूप से किसी भी राज्य के विकास में खनिज सम्पदा का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है, भूमिका होती है । खनिज सम्पदा को कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं, साथ-साथ इंधन के रूप में भी उसका उपयोग होता है । खनिज के मामले में प्रदेश में 25 सालों में 34 गुना राजस्व में वृद्धि हुई है । खनिज संपदा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ देश का आदर्श राज्य होगा ।

सभापति महोदय :- पटेल जी, अपने क्षेत्र की कुछ मांग रख लें, काफी वक्ता हैं, बहुत से लोगों को बोलना है । समय का ध्यान रखिए ।

श्री प्रेमचंद पटेल :- मैं विषय को रख रहा हूं । हमारे प्रदेश में कई प्रकार के खनिज है, लेकिन मैं मेरे जिले, मेरे क्षेत्र के बारे में बात करूंगा तो कोरबा जिला में प्रमुख कोयला खदान है । एशिया की सबसे बड़ी खान गेवरा के खान को कहते हैं । निश्चित रूप से ऐसे बड़े खदान चाहे दीपका की खदान हो, कुसमुंडा की खदान हो, चाहे गेवरा का खदान हो, हम कोयले का उत्पादन तो करते हैं, लेकिन हम उन

क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की ओर माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यानाकृष्ट करना चाहूंगा कि उस क्षेत्र में काम करने वाले जो स्थापित हैं और रोजगार के पुनर्वास, बसाहट जैसी समस्या उनके बीच में बनी रहती है, जिसका सही समय पर निराकरण हो, यह भी बहुत जरूरी है । पुनर्वास नीति में कई प्रकार की विसंगतियां होती है । मुआवजा में भी विसंगतियां होती है । पूर्व में जैसे 2004, 2010 में जैसे अधिग्रहण कर चुके भूमि का मुआवजा अभी के वर्तमान रेट में दिया जाता है । निश्चित रूप से इस दिशा में हमारे मुख्यमंत्री महोदय एवं वित्त मंत्री महोदय एसईसीएल के सीएमडी को या सीजेएम को इस विषय की ओर ध्यानाकृष्ट करेंगे । कभी-कभी तो कुसमुंडा क्षेत्र में ऐसा भी समय आया था कि क्षेत्र में हमारे किसान धान बो चुके थे, उस धान को भी नष्ट करके वहां भी खदान खुलवाया गया । निश्चित रूप से खदान तो खुलते हैं, देशहित में हम सब जमीन देते हैं, लेकिन किसानों के साथ न्याय भी होना चाहिए। हमारे किसान न्याय की आस में रहते हैं । कभी-कभी उनको रोजगार के अवसर भी नहीं मिलते तो वे अपना सर्वस्व खेत भी देते हैं, उनके पास खेती के लायक जमीन भी नहीं होती है । हमारे वित्त मंत्री जी सदन में उपस्थित हैं तो मैं उनका ध्यानाकृष्ट करना चाहूंगा कि हमारे प्रभावित क्षेत्र में एक बार जाकर जरूर मुआयना करेंगे तो और अच्छा होगा ।

सभापति महोदय, मैं विमानन क्षेत्र की बात करूंगा तो हमारे कोरबा की हवाई पट्टी के भूमि अधिग्रहण के लिए भी लगभग 15 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी कहते हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में चढ़ेगा । इसी सपने को पूरा करने के लिए हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री जी हमारे जगदलपुर, बिलासपुर, अम्बिकापुर की विमान क्षेत्र की सेवाओं के विस्तार, घरेलू विमान सेवाओं को बढ़ाने की दिशा में भी आने वाले समय में निश्चित रूप से काम करेंगे। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय, मैं सुशासन की बात करूं, अभिसरण की बात करूं, तो निश्चित रूप से पिछले साल गर्मी में 8 अप्रैल से 31 मई तक सुशासन त्यौहार का आयोजन किया गया था, 3 चरणों में आयोजित किया गया था। हमारे ग्राम पंचायतों, नगरीय निकायों में विशेष शिविर आयोजित करके उनकी समस्याओं का निराकरण करने काम हुआ था। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी द्वारा लगभग 35 जिलों में आकस्मिक निरीक्षण भी किया गया था। उनके समक्ष उपस्थित होकर जिन्होंने अपनी मांग रखा था, उन मांगों को समय पर भी पूरा किया गया है। निश्चित रूप से ऐसे शिविरों का आयोजन से, चाहे वह राशनकार्ड की मांग हो, जॉब कार्ड की मांग हो, पेंशन की मांग हो, फौती, नामान्तरण का काम हो, बहुत से ऐसे काम हुए है। निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी की जो सोच है, वह उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम अभिसरण की बात करें, सुशासन सप्ताह दिसम्बर, 25 में प्रशासन की ओर से ग्राम

सभापति महोदय :- पटेल जी, अब समाप्त करें।

श्री प्रेमचन्द पटेल :- सभापति महोदय, एक मिनट।

सभापति महोदय :- आप सहयोग करें। पूरे सदन को सहयोग करें। आपने 20 मिनट से ज्यादा समय ले लिया। समाप्त करिये।

श्री प्रेमचन्द पटेल :- सभापति महोदय, प्रशासन की ओर से ग्राम सुराज अभियान किया गया था। इस अभियान के माध्यम से जिला, जनपद, ग्राम स्तर पर शिविर लगाकर समयबद्ध सेवा वितरण, शिकायत निवारण तथा जनसम्पर्क सुदृढ़ीकरण पर विशेष बल दिया गया है। निश्चित रूप से मैं अपनी मांग को आकृष्ट किया हूं, यहां वित्त मंत्री जी उपस्थित हैं। मेरे क्षेत्र की एक बहुत बड़ी मांग है कि अविभाजित बिलासपुर जिले के चाहे जी.पी.एम. हो, मुंगेली हो, जांजगीर-चाम्पा हो, सक्ती हो, सभी को जिला बना दिया गया है, उसमें सिर्फ कटघोरा बाकी है। भविष्य में कटघोरा जिला बने, मैं इसकी मांग करता हूं। हमारे कटघोरा क्षेत्र की जनभावनाओं को देखते हुए कटघोरा को जिला बनाने की कृपा करेंगे। मैं मुख्यमंत्री महोदय और हमारे वित्त मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। सभापति महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री प्रणव कुमार मरपची (मरवाही) :- धन्यवाद सभापति महोदय। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के विभागों से संबंधित मांग, मांग संख्या- 1, मांग संख्या-2, मांग संख्या-12, मांग संख्या-25, मांग संख्या-32, मांग संख्या-23, मांग संख्या-45, मांग संख्या-57, मांग संख्या-75, मांग संख्या-60, मांग संख्या-65, के समर्थन में अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं।

माननीय सभापति महोदय, हमारे मुख्यमंत्री जी खेती-किसानी वाले परिवार से जुड़े हुए हैं। काफी कम उम्र से ही घर की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं इसलिए वह एक किसान की तकलीफ समझते हैं। यही वजह है कि उन्होंने किसानों के हित में बड़े निर्णय लिए हैं। उन्होंने होली के पहले किसान भाईयों के खाते में मुख्यमंत्री किसान उन्नति योजना की राशि दी है। इससे होली में गांव वालों का बहुत उत्साह का माहौल रहा है। सिंचाई में लगभग साढ़े चार हजार करोड़ रूपये का काम करवाने वाले हैं। इससे डेढ़ लाख हैक्टेयर से अधिक जमीन सिंचित होगी। हमारे किसान भाईयों के लिए इससे बढ़कर खुशी की क्या बात होगी। वह इन्द्रावती और महानदी जैसे नदियों को जोड़ने के विचार पर काम कर रहे हैं, उससे प्रदेश में खेती का परिदृश्य बदल जायेगा। माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार विष्णुदेव साय जी की सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी के सहयोग से पूरे छत्तीसगढ़ में तेजी से काम हो रहा है। हमारी सरकार बस्तर और सरगुजा के लिए, जनजातियों के लिए एक विशेष पैकेज की व्यवस्था की है, जिसके तहत बस्तर और सरगुजा का विकास बड़ी तेजी से हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, अभी हमारे सामने केशकाल के विधायक जी बोल रहे थे कि बस्तर में इतना काम हुआ है कि अब हम क्या मांगे ? मांगने के लिए भी उनके पास जो काम होना चाहिए, वह नहीं है। इतना विकास बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में हुआ है। निश्चित ही जनजातीय क्षेत्र का उन्होंने जिक्र किया और जनजातियों के क्षेत्र में इतना बड़ा काम हुआ है। मैं भी जनजातीय क्षेत्र का रहने वाला हूं,

जनजातीय विधायक हूं। मेरी आत्मा को बहुत सुकून मिलता है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा, आपके माध्यम से माननीय विष्णु देव साय जी को अवगत कराना चाहूंगा, वित्त मंत्री जी को अवगत कराना चाहूंगा और पूरी कैबिनेट को भी अवगत कराना चाहूंगा कि जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही भी बस्तर और सरगुजा की तरह ही पूर्ण रूप से अनुसूचित क्षेत्र है। वहां विकास की अत्यंत आवश्यकता है। जिस प्रकार बस्तर और सरगुजा में शिक्षा का स्तर है, वहां के रहवासियों की जो संख्या है, उसी प्रकार से मेरे क्षेत्र के ग्रामों में भी क्षेत्र में भी उतनी ही लगभग संख्या है। बहुत विरल जनसंख्या है और क्षेत्र लगभग 80 से 90 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है। अगर विधान सभा की बात करें, तो सिर्फ सवा विधान सभा का क्षेत्र है और क्षेत्र का एकमात्र विधायक होने के नाते मैं पूरे जिले की बात करता हूं। चूंकि मेरा जो जिला है, वह पूर्ण रूप से अनुसूचित जिला है, तो जिस प्रकार से बस्तर और सरगुजा के लिए पैकेज की जो व्यवस्था हमारी सरकार के द्वारा किया गया है, मैं माननीय वित्त मंत्री जी को भी ध्यान दिलाना चाहूंगा। क्योंकि सरकार का लगभग ढाई साल गुजर गया है और वह जनजातीय क्षेत्र जो जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में रहते हैं, अगर वे वंचित रह जाएंगे तो प्रदेश का जो हम बस्तर और सरगुजा की बात करते हैं, उसमें पूर्ण रूप से अनुसूचित क्षेत्र जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही कहीं न कहीं पिछड़ जाएगा। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा, माननीय विष्णु देव साय जी को ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जिला गौरेला के लिए भी विशेष पैकेज की व्यवस्था की जाए। मैं अंत में यह कहना चाहूंगा, मेरी भी मांग बहुत सारा आवेदन के माध्यम से सभी विभागों को गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी गया है, माननीय पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री को गया है और माननीय पंचायत मंत्री को गया है। इसी प्रकार से और मेरी छोटी-छोटी मांग है, जो सभी मंत्रियों के पास गयी है। जो भी आवश्यकता मुझे महसूस होगी, मैं उसकी मांग लेटर के माध्यम से रखूंगा। मेरी मांगों पर ध्यान देंगे और मैंने विशेष पैकेज की जो बात कहा, जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जो अनुसूचित क्षेत्र है, उसके लिए विशेष पैकेज का हमारे माननीय वित्त मंत्री जी बड़े ही दयालु हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि मेरी तरफ एक बार नजर मिलाकर देख लेंगे तो मैं आश्वस्त हो जाऊंगा कि माननीय वित्त मंत्री जी आगे भविष्य में जरूर चिंता करेंगे। सभापति महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय :- श्रीमती भावना बोहरा जी।

श्रीमती भावना बोहरा (पंडरिया) :- धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय जी। सभापति महोदय, आज बहुत महत्वपूर्ण विभाग जो हमारे आदरणीय यशस्वी हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय विष्णु देव साय जी के विभागों से संबंधित है। मैं इसमें अपनी सहमति इन विभागों पर जो बजट आया है, बहुत खुशी के साथ हम सभी सदस्य इसमें अपनी सहमति इसलिए व्यक्त करते हैं क्योंकि जितने भी विभाग हैं और मुख्यमंत्री जी के विभाग के अलावा जितने अन्य विभाग हैं, जिस पर इसके पूर्व भी जो चर्चाएं हुई

हैं, सभी विभागों का बजट बहुत ही प्रशंसनीय है, क्योंकि लगभग-लगभग हर क्षेत्र चाहे वह जनजातीय बाहुल्य हो, चाहे वह मैदानी क्षेत्र हों, पहाड़ी क्षेत्र हों, हर जगह को और वहां की प्राथमिकता को देखते हुए इस बजट में सबका लगभग-लगभग प्रावधान किया गया है। तो मैं सबसे पहले आपके माध्यम से आदरणीय वित्त मंत्री जी का और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करती हूं कि बहुत सारी ऐसी मांगें जो सालों साल लंबित पड़ी थीं, चाहे वह जल से संबंधित हों, चाहे वह ऊर्जा से संबंधित हों, विद्युत से संबंधित हों, बहुत सारे विभागों में बजट को इसमें शामिल किया गया है। महोदय, जब जल संसाधन की बात आती है, इस विभाग की जब बात आती है तो हम जानते हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान है। लगातार इस विषय पर अन्य सदस्यों ने भी चर्चा की, हमारे छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में धान के अलावा जो अन्य खेती होती है, तो किसी भी खेती में चाहे आप बागवानी करें, उद्यानिकी करें या किसी धान की अन्य कोई खेती करें, सबसे पहली प्राथमिकता किसी किसान की होती है या किसी व्यक्ति की होती है तो वह है पानी। अगर व्यवसाय और अन्य चीज़ों को छोड़ दें तो दिनचर्या के लिए, रोजमर्रा के लिए, सुबह से लेकर रात तक के लिए जो सबसे पहली किसी व्यक्ति की जीने के लिए जो प्राथमिकता होती है वह है जल। जिस तरीके से बहुत क्षेत्रों को इस विभाग में इसमें समाहित किया गया है तो बहुत प्रशंसनीय है। एनीकट और बांध जैसे बहुत सारी सिंचाई परियोजनाओं के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है । सभापति महोदय, बहुत अधिक दूर ना जाके अगर मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की ही बात कहूँ तो वहां बहुत सारी ऐसी योजनाएं थीं, जो पिछले 5 से 10 सालों से लंबित थीं। उसको इस बजट में शामिल किया गया है, उसके लिए मैं आपके माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करती हूँ। इस विधान सभा क्षेत्र में एक बहुत ही संवेदनशील विषय है, जिसके लिए इसके पहले भी बहुत आंदोलन हुए हैं। वह सुतियापाट नहर विस्तारीकरण का विषय है, जिसके लिए मैंने लगभग हर बार कोशिश की कि सत्र के दौरान उस विषय को मैं उठा सकूँ। उसमें इस बार दो परियोजनाएं हैं। पहला, नहर को लेकर लगभग 40 करोड़ की हमें राहत मिली है, उसके लिए मैं अभिनंदन करूँगी। दूसरा, सुतियापाट नहर विस्तारीकरण पेयजल के लिए एक बहुत बड़ी योजना बनाई गई, जिसमें लगभग 54 गांव प्रभावित हो रहे थे, जहाँ पीने की पानी की व्यवस्था नहीं थी। सुतियापाट जल विस्तारीकरण के लिए पण्डरिया विधान सभा को बजट में लगभग 74 से 75 करोड़ की स्वीकृति मिली है, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करती हूँ। दोनों विषय योजनाओं पर 74 करोड़ और लगभग 40 करोड़ बांध के लिए हमें स्वीकृति मिली है, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करती हूँ। यह हमारी एक बहुत पुरानी मांग थी। किसानों ने लगातार कई बार धरना, कई बार चक्का जाम, कई बार अलग-अलग तरीके से अपनी दिक्कतें कांग्रेस सरकार के शासनकाल में भी प्रस्तुत की थी, लेकिन उस समय कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। लेकिन हमारे विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में उनके बहुप्रतीक्षित मांग को दिशा मिली है। इसके अलावा मैं धन्यवाद करूँगी कि

मेरे ही विधान सभा क्षेत्र में हाफ नदी परिवर्तन योजना के लिए लगभग 82 करोड़ रूपये लागत है। रेंगाबोड़ परियोजना के लिए मैं अभिनंदन करूँगी, जिसकी लागत लगभग 63 करोड़ रूपये है। इसी तरीके से चाहे मैं पुटपुटा परिवर्तन योजना की बात करूँ, चाहे और बहुत सारे विषय हो, उन सभी के लिए मैं हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करती हूँ। इसके साथ-साथ जिस तरीके से मैं बार-बार इस विषय को संज्ञान में लाती हूँ। अगर मैं कहूँ कि पण्डरिया विधान सभा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा विधान सभा तो शायद यह गलत नहीं होगा। पण्डरिया विधान सभा का क्षेत्रफल लगभग 150 से 180 किलोमीटर तक है। यहां बहुत सारे मैदानी क्षेत्र हैं, वहीं बहुत सारे वनांचल क्षेत्र हैं, जो पूरे जंगल से घिरे हुए हैं। आज भी पण्डरिया विधान सभा क्षेत्र की कुकदूर और दुल्लापुर मंडल जैसे कई ऐसी सरहदें हैं, जो मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र राज्य को Touch करती हैं। जैसे-जैसे हम मैदानी क्षेत्र पार करके पहाड़ी क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं। विशेष तौर पर जो गांव ऊंचाइयों पर स्थित हैं, अगर मैं उनकी बात करूँ तो आज भी वहां पीने के पानी की बहुत दिक्कतें होती हैं। स्थिति यह है कि वहां के लोग छोटे-छोटे गड्ढे कर-करके यह कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से हम पानी का संचय कर पाएं। सिंदूरखार हमारे विधान सभा क्षेत्र का सबसे पहला मतदान केंद्र है, वहाँ से लेकर के भुरभुसपानी, छिंदीडीह, पोलमी, कांदावानी, चांटा, भाकुर, अमनिया, दमगढ़, पुटपुटा, पण्डरीपानी, बदना जैसे करीब 30 से 40 ऐसी ग्राम पंचायतें हैं, जहाँ आज तक पीने के पानी की व्यवस्था नहीं पहुँची है। हम हर बार कोशिश करते हैं कि हम कहीं कुआँ खुदवा दें या कोई उसका Alternate Option निकाल लें। स्थिति यह है कि पिछले साल गर्मी के समय में मेरे माध्यम से ही वहाँ पर लगभग 10 से 12 टैंकर उन गांवों में पहुंचाया गया कि किसी तरीके से उन पंचायतों में ये टैंकर पहुँच जाए, जिससे उनके पीने की पानी की किल्लतें दूर हो पाएं। लेकिन समस्या अभी भी जटिल इसलिए है कि टैंकर को भरने के लिए भी पानी की व्यवस्था चाहिए। जितनी पहाड़ियों पर, जितनी ऊंचाइयों पर ये गांव स्थित हैं, ये पंचायत स्थित हैं, वहां तक नीचे मैदानी क्षेत्र से टैंकर से पानी ले जाना संभव नहीं हो पाता है। समस्या कुछ तो सुलझी है, लेकिन इसका कोई Permanent Solution नहीं मिल पा रहा है। सभापति महोदय, इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करूँगी कि ऐसे जगहों पर हमारे जो आदिवासी भाई-बहन वनांचल क्षेतों में हैं, जो बैगा आदिवासी भाई-बहन निवासरत हैं, जो सिर्फ पीने के पानी के लिए तीन-तीन, चार-चार मटके अपने सिर पर रख कर न जाने अभी भी 5 से 7 किलोमीटर दूर से चल कर लाते हैं। घर पहुँचते-पहुँचते कुछ मटके टूट जाते हैं या तो उनके पैर ही मोच आ जाती है या कभी यह होता है कि स्लिप खा करके वह नीचे गिरने की उनकी स्थिति बन जाती है। यह बहुत ही गंभीर समस्या है। कल काफी लोग मेरे विधान सभा क्षेत्र से आए थे। उन्होंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से व्यक्तिगत तौर पर निवेदन भी किया कि उनको पानी की किल्लत से निजात मिल सके, इस परेशानी से वे दूर हो सकें। सभापति महोदय, इसलिए मैं आपके माध्यम से सदन का इस ओर ध्यानाकर्षित करना चाहूँगी कि ये जो समस्याएं हैं, उसका कोई Permanent Solution निकले। जिस

तरीके से सभी जगह पर लोगों को हमारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उससे हमारे आदिवासी भाई-बहन भी वंचित न रहें। इसलिए विशेष तौर पर मैं आपके माध्यम से अपने विधान सभा क्षेत्र की इस बहुप्रतीक्षित मांग को रखना चाहूँगी। दूसरा, आज हम जिस क्षेत्र सदन में बैठे हैं। आप सोचिये कि अगर यहां की यह लाइट नहीं रहेगी तो क्या यहाँ पर कार्यवाही हो पाएगी? यहाँ जितने भी सिस्टम काम कर रहे हैं, क्या वह काम कर पाएंगे? इसलिए ये सारे सिस्टम को जिस तरीके से चाहे हम नए सोलर प्लांट के जरिए संचालित होने की बात करूँ या फिर नई-नई ऊर्जा की तकनीक हैं, मैं उसके बारे में बात करूँ। निश्चित ही सरप्लस बिजली वाला हमारा छत्तीसगढ़ रहा है और हमें खुशी है कि आज लोगों तक की बिजली की सुविधाएं पहुँच रही हैं। अनेक सोलर प्लांट, चाहे रायपुर की बात करें, चाहे रायपुर के आसपास के विभिन्न क्षेत्रों की बात करें। रायपुर के आसपास के विभिन्न क्षेत्रों की बात करें, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे ऐसे सोलर प्लाण्ट लग भी चुके हैं और लगातार सरकार से एम.ओ.यू. करके अलग-अलग तरीके से सोलर प्लाण्ट बहुत अच्छे तरीके से वर्किंग भी कर रहे हैं और बहुत अच्छा उसमें सब्सीडी का प्रावधान भी रखा गया है । यह न केवल बिजली देने के लिये बल्कि अनुदान देने से काफी ज्यादा संख्या में जो व्यवसाय की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, उससे भी सोलर का बिजनेस निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में आगे बढ़ेगा । सभापति महोदय, इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि आज भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, जहां आज तक बिजली नहीं पहुंची है । मैंने अपने प्रश्नों के माध्यम से, ध्यानाकर्षण के द्वारा, इस पर चर्चा की थी, मैं अपने वनांचल क्षेत्र में आना चाहूँगी कि ऐसे क्षेत्र जहां पर आज तक बिजली नहीं पहुंची है । बैटरी से एक-एक घण्टे, आधे-आधे घण्टे बिजली का उपयोग हो पाता है, अगर बैटरी चली गई है तो उनको बिजली भी नहीं मिल पाती है । ऐसे बहुत सारे गांव हैं, पिछले वर्ष मेरे क्षेत्र की तीन बैगा आदिवासी महिलाओं को आदरणीय राष्ट्रपति जी से मिलने का सौभाग्य मिला था । तीन महिलाओं का चयन हुआ था, वह उनसे मिलने को गई थी । मैं जहां पर शाम को 5 से 6 बजे के बीच उनसे मिलने पहुंची । ठण्डी का समय था, 5 बजे वहां इतना अंधेरा था कि उनके छोटे से घर में एक छोटी सी कंडिल जलाकर बैठी थी । इतना अंधेरा और इतना मच्छर, जंगल क्षेत्र है उतना ही सांप बिच्छू का डर होता है, उनको इस स्थिति में देखकर बड़ी तकलीफ हुई । जहां हम रहते हैं वहां बिजली की सुविधायें रहती है, वास्तविकता में उनको भी अधिकार है, किसी न किसी कारण से आज बिजली नहीं पहुंच पाई है, मैं आपके माध्यम से बहुत विनम्र आग्रह करती हूँ कि वहां तक बिजली की व्यवस्था पहुंचे । मैंने इसके पहले भी ध्यानाकर्षण के माध्यम से अलग-अलग विषयों पर चर्चा की थी और जवाब में यह आया था कि बिजली लग चुकी है । चूँकि अतारांकित प्रश्न था, मुझे चर्चा करने का विषय नहीं मिला था, मैं आपको माध्यम से ध्यानाकर्षण करना चाहूँगी, विशेषतौर पर विभाग से जुड़े हुये हैं । उस समय जवाब में यह आया था कि बिजली मिल चुकी है और सिर्फ सर्वे हुआ था । उन गांवों में आज तक बिजली नहीं पहुंची है । अगर गांव का नाम हो पाये तो जरूर नोट कर लें, जिसमें से तीनगड्डा, सकरीपानी,

मराडबरा, सरहापथरा, तेलियापानी, लेदरा, जामुलटोला जैसे 7-8 गांव हैं जहां आज तक बिजली नहीं पहुंची है । मैं आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि यह मुख्यमंत्री का विभाग है और हमारे मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं, ऐसे बहुत सारे विषय हैं, चाहे महतारी वंदन योजना हो, कृषक नीति योजना हो, धान की अंतर राशि का मामला हो, इसे समय पर किसानों के खाते में डालने की बात कर रहे हैं । चाहे वह सोलर प्लाण्ट की बात करें चाहे अलग-अलग उद्योगों का एम.ओ.यू. हुआ हो, मैं उनकी बात करूँ, चाहे शिक्षा की बात करूँ, चाहे स्वास्थ्य की बात करूँ, हर चीज का बहुत अच्छे से इस बजट में प्रावधान किया गया है । सभापति महोदय, हम जिस पार्टी से आते हैं, हमारे वरिष्ठों ने सिखाया है और अंतिम व्यक्ति के विकास की जो बातें होती है, हमारे शासन और प्रशासन के जरिये उन तक सहयोग पहुंच सके । मेरा विनम्र निवेदन है कि जल के बारे में जिन गांवों का नाम चिन्हांकित है, उर्जा विभाग से संबंधित जिन गांवों का नाम चिन्हांकित करके जो बताया है, मुझे विश्वास है कि सदन में इन बातों को रखने के बाद यह जो परेशानी है, वह निश्चित रूप से दूर होगी । सभापति महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विभाग में बोलने का अवसर दिया है, मैं आपका अभिनंदन करते हुये हमारे वित्त मंत्री जी का भी बहुत अभिनंदन करती हूँ और इसके साथ ही हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से हमारी सरकार निरन्तर काम कर रही है तो निश्चित ही हमारी योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति को मिलेगा और इसी विश्वास के साथ आपका पुन: अभिनन्दन करते हुये आपको धन्यवाद देती हूँ । (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते ।

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते (प्रतापपुर) :- आदरणीय सभापति महोदय, आपने मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी के संबंधित विभागों पर बोलने का मौका दिया है, अत: मैं आपका हद्य से आभार व्यक्त करती हूँ । सभापति महोदय, हमारे मुख्यमंत्री सरल, सहज और एक किसान पुत्र हैं इसलिये वह गरीब जनता के दुख-दर्द को भली-भांति समझते हैं । हमारे मुख्यमंत्री जी एक सुशासन की सरकार चला रहे हैं और हम सब उनके पुण्य काम में सहभागी बने हैं, यह हमारे लिये भी बहुत ही सौभाग्य की बात है । माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिये दो लाईन समर्पित करना चाहती हूँ कि-

सियासत में सेवा का इरादा लेकर निकले हैं
हम छत्तीसगढ़ को महान बनाने का वादा लेकर निकले हैं

माननीय सभापति महोदय, हमारे मुख्यमंत्री जी को देखकर हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आती है, क्योंकि वह बहुत ही सरल और सहज हैं । हमने पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी इस विधानसभा में बैठते देखा है। हर समय चेहरे से आक्रोश दिखते हैं लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और हम लोगों को अपना पूरा आशीर्वाद दे रहे हैं। उनको देखकर ये लगता है :

न सत्ता का घमंड, न कुर्सी का अभिमान,

न सत्ता का घमंड, न कुर्सी का अभिमान,
हमारे लिए, उनके लिए सबसे पहले छत्तीसगढ़ का सम्मान।
जनता का विश्वास हमारी ताकत है,
जनता का विश्वास हमारे मुख्यमंत्री जी की ताकत है।
छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा हमारा सबसे बड़ा अभिमान,
हमारा सबसे बड़ा अभिमान। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय, मैं सबसे पहले मुख्यमंत्री जी को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने दिनांक 12 मार्च, 2026 को मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना लाई है। पिछली कांग्रेस सरकार में कोविड महामारी के दौरान हमेशा उनका बहाना रहा कि हम कोविड के चलते काम नहीं कर पाए और वास्तव में जब कोविड महामारी आई थी तो हमारे बहुत सारे गरीब, मजदूर जो रोज काम करके अपना जीवन यापन करते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गयी थी, उनका सारा रोजगार ठप्प हो गया था, इसके कारण वे बिजली बिल नहीं भर पाए। कांग्रेस का ही कार्यकाल था, जब हम लोग क्षेत्रों में जाते थे, गांव वालों के द्वारा हमें बहुत लंबी-लंबी बिजली बिल दिखाया जाता था, वे सारे आरोप हम पर लगाते हैं। लेकिन उनके कार्यकाल की ही देन है कि हमारे गरीब बिजली बिल की संकट से घिरे हुए थे लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी बिजली बिल माफ योजना लाई है, मैं उसके लिए उनका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूं। मुख्यमंत्री बिल समाधान योजना 31 मार्च, 2023 की स्थिति में बकाया राशि के कारण स्थायी रूप से कट गये अथवा बकाया राशि वाले सक्रिय BPL घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं की बकाया कुल राशि, आंशिक एवं सरचार्ज राशि में से शत-प्रतिशत माफी का प्रावधान किया गया है। इस योजना से प्रदेश के 28 लाख 42 हजार उपभोक्ताओं को लाभ होगा, जिन्हें अनुमानित 758 करोड़ की राहत मिलेगी एवं विद्युत कंपनी को बकाया राशि की लगभग 900 करोड़ की राशि प्राप्त हो सकेगी। हमारे प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने न गरीबों को पक्का मकान दिया बल्कि उस पक्के मकान पर प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना लाकर उनके जीवन में एक नया उजाला लाने का काम किया है। इस प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार की वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है। आज गांवों में पता चलता है कि बहुत सारे लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं और बहुत ज्यादा इस योजना से प्रसन्न भी हैं, क्योंकि उन्हें सब्सिडी भी मिल रही है और हमारी सरकार की तरफ से भी छूट मिल रही है। इस योजना के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूं। हमारे कुछ लोग इस काम में लगे हैं, मैंने पूछा कि आप लोग ये सौर ऊर्जा प्लेट तो पक्के घरों में लगाते होंगे तो ये गांव में कैसे लगेगा ? उन्होंने कहा गांव में प्रधानमंत्री आवास पर भी लगेगा और गांव के लोगों को इसका बहुत लाभ मिलेगा, जो शीट के घर होते

हैं, उन पर भी इस योजना का लाभ लिया जा सकता है। हमारे प्रदेशवासियों की जो बिजली बिल की समस्या है, उसे कम करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योजना काम आएगी।

सभापति महोदय, मैं इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रावधानों पर अपनी विचार रखना चाहती हूं। इस विभाग की मांग संख्या 71 में 417 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है, मैं इसका हृदय से समर्थन करती हूं। सूचना एवं प्रौद्योगिकी राज्य की विकास की महत्वपूर्ण आधार बन चुकी है, इस विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज मोबाइल कनेक्टिविटी की बात करूं तो गांव-गांव में, शहर-शहर में मोबाइल का उपयोग है, हमारे क्षेत्र में भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता है, जब मैं अपने क्षेत्रों में जाती हूं तो लोगों के द्वारा ये मांग रहती है। इस विषय पर भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ध्यान देते हुए मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना लाई है, उसमें क्षेत्रवासियों को बहुत बड़ी सुविधा मिलने वाली है। इस योजना के तहत 751 मोबाइल टावर चालू भी हो चुकी है। इसके द्वारा वनांचल क्षेत्रों में नेटवर्क की उपलब्धता में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा लगभग 2300 नए मोबाइल टावरों की स्थापना का प्रस्ताव भी दूरसंचार विभाग को भेजा गया है। इसके आ जाने से हमारे प्रदेश में जो मोबाइल टॉवर की समस्या है, उससे भी छुटकारा मिलेगा। मुख्यमंत्री जी किसान परिवार से हैं। मैंने देखा है कि इतने महत्वपूर्ण दायित्व के बावजूद कृषक परिवार से जुड़ी परंपराओं को निभाने से वह कभी नहीं चूकते। बीज बोने की रस्म में वह अपने गांव भी गये थे। एक किसान की बीज बोने के बाद सबसे बड़ी चिंता होती है कि यदि वर्षा समय पर नहीं होगी तो हमारी फसल कैसे हो पाएगी? मुख्यमंत्री जी ने किसानों की इस बड़ी चिंता को दूर करने के लिए भी प्रयास किया है। सिंचाई को लेकर इस बजट में जो दूरदर्शिता दिखाई गई है, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूं। इसी योजना के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे प्रतापपुर विधान सभा में कई कार्यों को स्वीकृति दी है, जिसमें हमारे यहां खोरमा में एनीकट रिटर्निंग के लिए 3 करोड़ रूपये, मानी में तालाब जीर्णोद्धार के लिए लगभग 2 करोड़ रूपये, जजावल एनीकट निर्माण के लिए लगभग 3 करोड़ रूपये, भेड़िया जलाशय बांध निर्माण के लिए लगभग 2 करोड़ रूपये का कार्य कराया गया है। इससे आम जनता को बहुत बड़ी सुविधा मिलने जा रही है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापन करती हूं। (मेजों की थपथपाहट) पिछली कांग्रेस की सरकार में युवाओं के सपनों को कत्ल करने का बहुत अच्छा इंतजाम किया गया था। इसमें आप देखेंगे-पी.एस.सी. घोटाला, जिसमें अधिकारी-कर्मचारियों के बच्चों और बड़े नेताओं के बच्चों ने पी.एस.सी. में फर्जी तरीके से अपना पद प्राप्त किया था, जिसे कैंसिल करके हमारे मुख्यमंत्री जी ने वास्तविक जो गरीब लोग थे, उनके लिए पुन: इसका एग्जाम हुआ और उसमें अच्छे और गरीब लोग चुनकर आए। इसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूं। इस समय इस तरह की कोई भी भर्तियां बिल्कुल निष्पक्ष हो रही हैं और बिल्कुल ईमानदारी से हो रही हैं। जितनी भी भर्तियां अभी हो रही हैं, उसमें इस तरह का कोई भी

भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। सभापति महोदय, भगवान की कृपा से हम सबको पद भी प्राप्त होता है और समय भी मिलता है, जो पद उन्हें मिलता है यदि लोग अपने उस पद का अच्छे से निर्वहन करें तो एक सुशासन की सरकार बनती है। मैं देखती हूं कि हमें यह लोग कहते हैं कि यह नये सदस्य हैं, लेकिन हम लोग वर्ष 2003 से राजनीति में काम कर रहे हैं। बहुत सारे छोटे-मोटे पदों पर काम करते हुए हम यहां आये हैं। मैंने भी देखा है कि 15 साल तक हमारे डॉ. रमन सिंह जी की सरकार थी, उसकी तुलना यदि हम चंद्रगुप्त मौर्य के स्वर्ण युग से करें तो कम नहीं होगा। यह मैं इसलिए कहना चाहती हूं कि जब मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी की 15 साल की सरकार थी तो तमाम योजनाएं लागू की गईं। सन् 2000 में हमें हमारा छत्तीसगढ़ जिस तरह से भूख, भय और भ्रष्टाचार से युक्त होकर मिला था, उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई और सन् 2003 में भा.ज.पा. की सरकार आई थी, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी का काम अच्छा था। लेकिन 15 साल के बाद जब 5 साल के लिए कांग्रेस की सरकार आई तो ऐसा क्या हो गया कि लोगों ने उन्हें 5 साल में ही नकार दिया और पुन: हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे मुखिया विष्णुदेव साय जी की सरकार आई। इसीलिए कहते हैं कि नीयत में फर्क होता है और हमारी सरकार की नीयत बहुत अच्छी है जो हमारी जनता को पसंद आ रही है और इसीलिए 15 साल के बाद 5 साल तक उनका कार्यकाल रहा और पुन: भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में आई। आज छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा काम हो रहा है।

सभापति महोदय :- शकुंतला जी, संक्षेप करेंगे। आप अपने क्षेत्र की मांग वगैरह रख दीजिये।

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :- ठीक है। सभापति महोदय जी, कांग्रेस की सरकार में अवैध रेत खनन और तमाम भ्रष्टाचार हुए। हम लोगों ने रेत खनन का विरोध किया था तो हम लोगों के ऊपर फर्जी केस में एफ.आई.आर. की गयी थी। उन्होंने हमारे क्षेत्र के 18 लोगों पर फर्जी एफ.आई.आर. की थी। जो सड़कें मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी ने बनवायी थीं, उन्हें अवैध रेत खनन से इन्होंने तोड़ दिया था। लेकिन आज पुन: विष्णुदेव साय जी की सरकार है और अब ऐसा कुछ नहीं होता है। सारी प्रक्रियाएं ऑनलाइन हो रही हैं और इसमें कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता है। हमारी सरकार बहुत बेहतर काम कर रही है और मैं माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को और हमारे वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूं। तमाम विभागों में बहुत बेहतर काम हो रहा है। मैं पूरे मंत्रिमंडल को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं। मुख्यमंत्री जी, मेरे क्षेत्र की कुछ मांगें हैं। मैं आज अपने क्षेत्र की कुछ मांगों को भी रखना चाहूंगी। मेरे यहां जरही नगर पंचायत में बनारस हाईवे, बनारस रोड है, वहां पर अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। मैं वहां पर एक ट्रॉमा सेंटर की स्थापना की मांग करती हूं। हमारे प्रतापपुर विधान सभा में बगड़ा से बंशीपुर तक एक मार्ग है, जो बनारस मुख्य मार्ग को जोड़ता है। उसमें जो 5 कि.मी. सड़क है, वह फॉरेस्ट लैंड के अंतर्गत आता है, इसकी वजह से लंबे समय से उसका निर्माण नहीं हो पा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूं कि उसके कारण

25 गांवों के लोगों को 20 कि.मी. घूमकर जाना पड़ता है लेकिन इस सड़क के बन जाने से उन्हें मुख्य सड़कों या विकासखंड या जिला कार्यालय जाने के लिए 20 कि.मी. घूमकर नहीं जाना पड़ेगा, उन्हें थोड़ी निकटता प्राप्त होगी। मैं इस सड़क की भी मांग करती हूं। नगर पंचायत वाड्रफनगर में स्टेडियम ग्राऊंड में डे-नाईट मैच हेतु फ्लड लाईट एवं ड्रेसिंग कक्ष की व्यवस्था हो जायेगी तो वाड्रफनगरवासियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो जायेगी। मैं नगर पंचायत वाड्रफनगर में हाईटेक बस स्टैंड की भी मांग करती हूं और मैं प्रतापपुर में 100 बिस्तरों के सिविल अस्पताल की मांग करती हूं। सभापति महोदय, मैं यह सारी मांग इसलिए कर रही हूं कि यहां पर हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी भी हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगी और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि विष्णु है तो वह सारी मांगें पूरी कर सकते हैं।

सभापति महोदय, हमारे यहां शक्कर फैक्ट्री में अभी तक भुगतान की व्यवस्था नहीं हो पायी है। माननीय मुख्यमंत्री जी, वहां पर बहुत दिक्कतें हो रही है। पिछली कांग्रेस सरकार में उस केरता शक्कर फैक्ट्री में लगभग 12 करोड़ रूपये का घोटाला हुआ था, जिसको सारे क्षेत्रवासी आज तक भोग रहे हैं। मैं चाहूंगी कि उसके भुगतान की व्यवस्था की जाये। मैं अंत में मात्र दो लाइनें कहकर मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूं।

"तू मसीहा है जिन्दगी की जीत पर यकीन कर,
अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर"

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- आगामी 6 वक्ताओं को अपनी बात रखनी है। मैं सभी वक्ताओं से आग्रह करना चाहूंगा कि सभी 5-5 मिनट में अपने क्षेत्र के बारे में बात रखेंगे।

श्री मोतीलाल साहू (रायपुर ग्रामीण) :- माननीय सभापति महोदय, मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के विभिन्न विभागों की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की अनुदान मांगों पर मुझे बोलने का अवसर मिला, यह मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। माननीय महोदय, पूरे प्रदेश की जनता में माननीय मुख्यमंत्री जी की सहजता और उनकी कार्यप्रणाली को देखते हुए यह चर्चा हो गयी है कि विष्णु देव साय जी सुशासन और कार्यों को साय-साय करते हैं। इन दो सालों में छत्तीसगढ़ का जो विकास हुआ है, उसको सभी देख भी रहे हैं और महसूस भी कर रहे हैं कि अब छत्तीसगढ़ विकास की पटरी में आगे दौड़ने लगा है। आज जिन विभागों की अनुदान मांग है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण, जनजीवन को प्रभावित करने वाले और लोगों के रोजगार से लेकर सभी क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ को गढ़ने वाले विभाग हैं, जिसमें लोग बड़ी संख्या में आश्रित हैं। हमारे छत्तीसगढ़ की किसानी, खेती बाड़ी और उसके लिए सिंचाई की योजना और उसमें वृद्धि करते हुए विभिन्न जलाशयों

को और सिंचाई से संबंधित सभी योजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए उन्होंने जो बजट लाया है, वह बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में लोग बड़ी संख्या में कृषि पर आधारित है। हम इसको धान का कटोरा भी इसीलिए कहते हैं। हमको खेती के लिए खासतौर पर ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। जो प्रावधान शुरू से चले आ रहे हैं, उसका और आधुनिकीकृत ढंग से उपयोग करके हम जो कृषि पंपों में कनेक्शन देते हैं, उसमें एस.टी., एस.सी. वर्गों के लिए 5 एच.पी. तक का नि:शुल्क कनेक्शन और सामान्य एवं अन्य वर्गों के लिए 3 एच.पी. के लिए 6,000 यूनिट प्रतिवर्ष और 5 एच.पी. के लिए 7,500 यूनिट प्रतिवर्ष की जो छूट दे रहे हैं, यह किसानों के लिए और जो लोग कृषि पर आश्रित हैं, उनके लिए बड़ा वरदान साबित होगा। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। प्रदेश में 8.83 लाख पंप का इंस्टालेशन हो चुका है। और इसमें सोलर पंप में भी छूट के साथ में हमारी सरकार प्रावधान लाई है, इससे किसानों के जनजीवन में खुशहाली आयेगी और कृषि करने में हमें और अच्छी सुविधा हो जायेगी। इसी प्रकार से ऊर्जा विभाग में बहुत सी बातें विपक्ष के लोगों के द्वारा की जाती हैं जिसमें बिजली बिल हाफ का विषय बार-बार आता है। लेकिन अब हमारा छत्तीसगढ़ पी.एम. सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से मुफ्त बिजली की ओर आगे बढ़ रहा है और इस क्षेत्र में माननीय विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में अब बड़े पैमाने पर लोगों के घरों में सोलर सिस्टम लग चुका है। पहले उपभोक्ता सोचते थे कि अब कैसे बिजली बिल भुगतान करेंगे, लेकिन अब वही उपभोक्ता बिजली बेचने की स्थिति में है। उनकी आमदनी आने की स्थिति मे है। ये बड़ी बात है। और सिस्टम भी इतना आसान और सुविधाजनक है कि आप अपने घर में बिजली उत्पादित करिये और उसको बिजली विभाग को दे दीजिये और उसमें आपकी जितनी खपत होगी, वह खपत उसमें समन्वय हो जायेगी और बाकी की जो अतिरिक्त बिजली आप उत्पादित करेंगे, वह पैसा भी आपके खाते में पहुंच जायेगा। यह बड़ी उपलब्धि है। हमारी माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में ये पी.एम. सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना बड़ी कारगर भी हो रही है। इसी प्रकार से अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दो दिन पहले ही मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना लागू की है। ऐसे पीड़ित परिवार जिनके यहां बिजली बिल की बड़ी राशि आ चुकी है और उसको पटाने में असमर्थ हैं। उनकी बिजली लाइन भी कट चुकी है। उनके लिये एक योजना लाकर के, उनको राहत दे करके, उसमें छूट प्रदान करके बहुत बड़ा न्याय का काम और बडी राहत देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। यह बहुत बड़ी बात है। इसी प्रकार से पी.एम. कुसुम योजना के तहत सोलर प्लाण्ट लगने हैं, इसमें पी.एम. कुसुम योजना से किसानों को बड़ा लाभ होने वाला है। सोलर प्लाण्ट लगायेंगे और उससे बिजली उत्पादन करेंगे। क्योंकि समय के साथ-साथ यहां पर बिजली की मांग बढ़ती जा रही है। और उस दृष्टिकोण को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जल विद्युत परियोजना का भी 6 जगहों पर स्थापित किये जाने का प्रावधान लाये हैं। क्योंकि बिना बिजली के जीवन अब ऐसा लगता है कि संभव नहीं होगा। 5 मिनट भी लाइन बंद

होती है तो ऐसा लगता है कि अब हमारा क्या होगा ऐसी परिस्थितियों में पहले से ही हमारी तैयारियां हैं कि किसी प्रकार आपूर्ति में कमी न हो और हमारा छत्तीसगढ़ विद्युत के क्षेत्र में सरप्लस हो चुका है। तो ये ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी कारगर पहल माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई है। हमारे छत्तीसगढ़ की धरती जिसको हम रत्नगर्भा कहते हैं, लौह अयस्क, बाक्साइट से लेकर, चूना पत्थर, कोयला, टीन अयस्क हमारे छत्तीसगढ़ की पहचान बन चुका है और पूरे राष्ट्रीय स्तर में विभिन्न राज्यों में जो उत्पादन होता है उस दृष्टिकोण से हम देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में इन अयस्कों का उत्पादन 18.4 प्रतिशत है। यानि हमारे यहां इन खनिज पदार्थों का बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है और यह हमारे छत्तीसगढ़ के लिये नई पहचान है और यह गौरव की बात है।

माननीय सभापति महोदय, डी.एम.एफ. फंड का सभी इंतजार करते हैं। सभी विधायक सोचते हैं कि हमें कुछ मिल जाये तो हमारे क्षेत्र में हम विकास का कार्य कर लें। और डी.एम.एफ. फंड ऐसा हो गया है कि पूरा 33 जिलों में खनिज न्यास बनाकर के सब के लिये कुछ न कुछ, खास तौर से स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य क्षेत्र पेयजल, ऊर्जा, वृद्धजन, नि:शक्तजन, कौशल विकास, आजीविका, इन क्षेत्रों में इस डी.एम.एफ. फंड का सदुपयोग हो रहा है, डी.एम.एफ. फंड से जिला खनिज न्यास के माध्यम से बड़ी राहत हो रही है। इससे हमारा विकास भी दिख रहा है और लोगों को समयानुसार उनकी सुविधायें भी उपलब्ध हो पा रही हैं। तो ये बड़े कार्य सिंचाई से लेकर के, ऊर्जा, खनिज के क्षेत्र में कार्य हो रहे हैं। इसी प्रकार अगर किसी प्रकार का उत्पादन होता है और छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाना है तो सुशासन बहुत जरूरी है। इसके लिये सुशासन अभिसरण विभाग ला करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना बड़ा जनता के साथ न्याय किया है ।

समय :
3.00 बजे

माननीय सभापति महोदय, कभी जनता ऑफिस के चक्कर काटते-काटते परेशानी हो जाती थी लेकिन अब सुशासन के चलते, ई-ऑफिस के चलते अब सारी सुविधाएं उनको घर बैठे मिलने वाली हैं वह ऑनलाईन भी अपना आवेदन कर सकता है, उसका निराकरण प्राप्त कर सकता है तो यह बड़ी उपलब्धि ई-ऑफिस और सुशासन, अभिसरण के माध्यम से अब लोगों को मिलने जा रहा है । हर बार इस बात का जिक्र होता था, जब भी कोई शासकीय खरीदी का जिक्र होता था तो उससे पहले यह दिमाग में आता था कि अब पता नहीं इसमें कितना भ्रष्टाचार होगा लेकिन इन सबसे निजात पाने के लिये शासकीय खरीदी की प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिये एकीकृत ई-प्रोक्योरमेंट की जो प्रणाली लागू किये हैं तो इससे भ्रष्टाचार भी रूकेगा और गुणवत्तापूर्ण जो शासकीय खरीदी होगी उसमें भी हमें बड़ा लाभ होने वाला है । यदि हम किसी भी क्षेत्र के यातायात की बात करें तो यातायात एक ऐसा उस क्षेत्र का आर्थिक व्यवस्था से लेकर के जन-जीवन को प्रभावित करने वाला होता है । हमारे माननीय मुख्यमंत्री

जी के पास विमानन विभाग भी है और उड़ान के तहत् माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको जो सौगात दी है, अंबिकापुर, बिलासपुर और बस्तर-जगदलपुर में यह किसी से छिपा नहीं है । उसको और भी ठोस आधार देने के लिये, पर्यटकों को व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिये एयरपोर्ट को अपग्रेड करने का जो निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है यह भी हम सबके लिये स्वागतेय है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र की एक छोटी सी मांग है, चूंकि मेरा क्षेत्र शहरी क्षेत्र है, वहां सिंचाई की उतनी आवश्यकता नहीं है । 14 ग्राम पंचायत हैं उतने में ही खेती का काम होता है, मेरे पास रहने के लिये 5 सोसायटी भी है लेकिन मेरी एक छोटी सी मांग है, मेरा बोरियाखुर्द में एक गजराज बांध है । यह बांध शहर के मध्य में आ चुका है, कमल विहार से लगा हुआ है । इसको हमने पर्यटन के उपयोग के लिये सौंदर्यीकरण की मांग की थी और बजट में भी आ चुका है । पिछली बार भी बजट में आया था, इस बार भी बजट में है । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इसको प्राथमिकता से लेकर के चूंकि जगह इंक्रोचमेंट हो रहा है, लोगों को बार-बार बेदखल करना पड़ता है और यह सवा 200 एकड़ है, कोई छोटा-मोटा भी नहीं है तो रायपुर शहर में, शहर के मध्यम में यह बड़ा एक पर्यटन का स्थल बन सकता है तो 25 करोड़ रूपये का बजट में जो प्रावधान आया है । उसको बहुत जल्दी स्वीकृत कराकर बांध का सौंदर्यीकरण करवायेंगे यह आग्रह करते हुए, अपनी वाणी को विराम देता हूं । माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये समय प्रदान किया इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और माननीय मुख्यमंत्री जी को इस मांग का समर्थन करते हुए, मैं उनको भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं ।

सभापति महोदय :- माननीय सदस्यों से आग्रह है कि संक्षेप में अपने क्षेत्र की बात रखेंगे । श्री आशाराम नेताम जी ।

श्री आशाराम नेताम (कांकेर) :- धन्यवाद । माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा में खड़ा हूं । पहले तो मैं राम जी को प्रणाम करता हूं और माननीय विष्णु जी को प्रणाम करता हूं कि इस छत्तीसगढ़ के बारे में दोनों भगवान रूपी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोचा और हमारे राम जी ने हमारे दीन-दुखियों को नि:शुल्क चावल योजना, एक रूपये चावल देने की योजना लागू की उसी तर्ज में हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने किसानों की आय कैसे डबल हो ऐसी चिंता करते हुए किसानों को 3100 रूपये में धान खरीदने का प्रावधान किया और हमेशा हमारे विष्णुदेव साय जी चिंता करते हैं और जैसे ही होली आयी उन्होंने पूरा एकमुश्त 3100 रूपये दिये जिससे हमारे किसान भाईयों के चेहरे में बहुत ही खुशी आयी और गुलाल से उनका जीवन रंगा इसके लिये भी मैं माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं ।

माननीय सभापति महोदय, माननीय विष्णुदेव साय जी किसानों की आय कैसे डबल हो, उसी तारतम्य में जल का बहुत बड़ा उसने हमारे बस्तर क्षेत्र में एक नदी से दूसरी नदी को जोड़ने का बहुत बड़ा निर्णय लिया, हम जो बस्तरवासी होने के साथ-साथ वहां पानी की बड़ी समस्या होती थी और किसानी करने के लिये ऊपर के जल के भरोसे में हमारी किसानी होती थी लेकिन हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी ने चिंता की और हम किसानों के लिये एक नदी से दूसरी नदी को जोड़ना, बांध को नहरों से जोड़ना और जैसे ही सरकार में आयें।

सभापति महोदय :- माननीय श्री आशाराम नेताम, आप अपने क्षेत्र की कोई मांग रखिये।

श्री आशाराम नेताम :- माननीय सभापति महोदय, मैं वही बोल रहा हूँ। जिन्होंने हमारे किसानों की चिंता को दूर किया, मैं उसी बात को बोल रहा हूँ। जिन्होंने किसानों की डबल आय हो, ऐसा करके जल संसाधन विभाग के कार्यों के माध्यम से बस्तर को पानी से तर बतर करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे किसानों के जीवन में बहुत खुशहाली हो, ऐसी चिंता करते हैं। हम किसान भाईयों के लिए खूब चंद बघेल किसान विद्युत सहायता योजना में 3 एच.पी. और 5 एच.पी. की जो नि:शुल्क बिजली योजना प्रदान कर रहे हैं। हम उस पानी का उपयोग कर रहे हैं। हम मशीन का बटन दबाते हैं और हमारे खेतों में पानी आता है, उसके भी बिजली बिल का पूरा-पूरा श्रेय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी की सरकार को जाता है। अगर हमारी कोई चिंता करता है तो राम करते हैं और भगवान विष्णु करते हैं। मैं इसी को कह रहा था और हमारे पूर्व में जो सरकार थी जिसने हमारे अंतिम व्यक्ति की आवाज को छिनने का प्रयास किया और जैसे ही यहां हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी की सरकार आयी, उन्होंने उन किसानों को आवास दिया और आवास देने के साथ-साथ इस बात की चिंता की कि इनके घरों में लाईट कैसे हो, उसकी व्यवस्था कैसे हो, उनका घर कैसे जगमगाये। ऐसी चिंता करने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी हैं। जिन्होंने उनके घरों में एकल बत्ती कनेक्शन अनुदान में दिया, उसके साथ-साथ जो हमारे प्रधानमंत्री आवास में घर बने। वहां हमारे गरीब परिवार, किसान परिवार के लोग बिल नहीं पटा पाते थे उन्होंने उसकी भी चिंता करके, उसको समाप्त कर दिया। हमारी सरकार ऐसी है। यहां पर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लागू की कि यहां के किसानों को कैसे मुफ्त में बिजली मिले । इसलिए सोलर पैनल के माध्यम से जो प्रधानमंत्री आवास की छत में सोलर प्लेट लगे और उनको मुफ्त बिजली मिले और उनके घरों में उजाला हो। ऐसी चिंता करने वाली हमारी माननीय विष्णु देव साय जी की सरकार है। अधोसंरचना के माध्यम से...।

सभापति महोदय :- माननीय आशाराम जी, आप सभी सदस्यों से मेरा आग्रह है कि केवल दो-दो मिनट में अपनी मांगें रख दें। माननीय मुख्यमंत्री जी के जवाब के पश्चात् विनियोग विधेयक 4.00 बजे प्रस्तुत किया जाना है। अत: कृपया सहयोग करेंगे।

श्री आशाराम नेताम :- माननीय सभापति महोदय, क्या है आज हमारे सदस्य भाई लोग ही हैं इधर तो पूरा साफ है।

सभापति महोदय :- नहीं। नियम के अनुसार विनियोग विधेयक 4.00 बजे प्रस्तुत करना अनिवार्य है इसलिए मैं आपसे सहयोग की अपेक्षा रख रहा हूँ

श्री आशाराम नेताम :- माननीय सभापति महोदय, मैं सहयोग कर रहा हूँ। मैं अपने क्षेत्र की कुछ मांग कर रहा हूँ, जो छोटी-छोटी हैं । हमारे कांकेर जिले विकासखण्ड अंतर्गत जो टूरी डायवर्सन है वह वर्ष 2014 से बाढ़ से बह गया है। जल संसाधन के माध्यम से उसको कम से कम हजार हेक्टेयर में पानी मिलेगा, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से उसकी स्वीकृति करने हेतु मांग करना चाहता हूँ। हमारे कांकेर जिले में कांकेर शहर है जिसका पानी का डायवर्सन और जल स्त्रोत नीचे की ओर है उस शहर के बीचों बीच जो अन्नपूर्णा पारा है, वहां पर एनीकट की मांग करता हूँ। वहां एनीकट बनने से शहर का पूरे जल स्त्रोत अच्छा ऊंचा होगा और वहां सभी को पानी मिलेगा। मैं इसकी मांग करता हूँ। जल संसाधन पर ही बोलना चाहूंगा कि वहां पर ग्राम ब्यवर्ती में जो तालाब है वह डेढ़ सौ एकड़ है तो वह कब से बना है, यह पता नहीं है, मैं भी नहीं जानता हूँ। मेरा गांव ही है वहां भी मैं मांग करता हूँ कि उनको जीर्णोद्धार, गहरीकरण एवं सौन्दर्यीकरण हो क्योंकि वह वर्षों से बना तालाब है, आज हम तालाब नहीं बना सकते हैं, न हम नहर बना सकते हैं और अगर हम बना सकते हैं तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी की सरकार बना सकते हैं। मेरी यही मांगें थीं। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री ललित चन्द्राकर (दुर्ग ग्रामीण) :- माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगातार छत्तीसगढ़ के विकास के नये आयाम हम लोग लिखते जा रहे हैं। लगातार छत्तीसगढ़ माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में नई ऊचाईयों पर चल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा चाहे वह धान की बात हो, चाहे वह कृषि की बात हो, चाहे मजदूरों की बात हो, चाहे पढ़ने वाले बच्चों की बात हो, इन सभी क्षेत्रों में हमारे मुख्यमंत्री जी ने सभी के लिए बजट में प्रावधान किया है । जो भूमिहीन मजदूर हैं, उनके लिए भी बजट में प्रावधान रखा गया है । मेरे क्षेत्र के लिए भी बजट में बहुत सारी राशि स्वीकृत की गई है । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि हमारे क्षेत्र में खरखरा नदी पर ग्राम तिरगा के मरेभांट में तटबंध में एवं सीढ़ी निर्माण कार्य के लिए 424.55 लाख रूपए की स्वीकृति करें । दुर्ग जिला के जंजगीरी व्यपवर्तन धार लाईनिंग एवं पक्के निर्माण कार्य के लिए 7775.27 लाख रूपए स्वीकृत करें । दुर्ग जिले के विकासखण्ड दुर्ग में तांदूला नदी पर ग्राम अछोटी के पास तट पर लगभग 1200 मीटर तटबंध निर्माण करने के लिए 1092 लाख रूपए स्वीकृत करें । साथ ही साथ हमारे दुर्ग रिसाली निगम में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 130 करोड़ रूपए स्वीकृत करें । हमारे क्षेत्र में बहुत सारे स्कूलों का उन्नयन करना है, उसके लिए भी राशि स्वीकृत

करें । माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री के द्वारा हमारे यहां बहुत से कार्य स्वीकृत किए गए हैं । लेकिन क्षेत्र में विकास के लिए राशि की जरूरत है । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से चाहूंगा कि हमारे जितने भी कार्य बजट में आये हैं, उनके लिए राशि स्वीकृत करें और दुर्ग ग्रामीण के विकास में हमने जो मांग रखी है, उसको पूरा करें । धन्यवाद ।

श्री धर्मजीत सिंह (तखतपुर) :- माननीय सभापति महोदय, मैं अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और बहुत ही संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी के समस्त विभागों के पूरे मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं यहां मांग करने के लिए बिल्कुल खड़ा नहीं हुआ हूं । मैं तो उस संवेदनशील मुख्यमंत्री जी की तारीफ करने के लिए खड़ा हुआ हूं, जिनके नेतृत्व में हमारा प्रदेश पिछले दो वर्षों में प्रगति के अनेक सोपानों को चढ़ते हुए कई कीर्तिमानों की स्थापना माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है । मैं अपनी बात को उनके विभाग तक सीमित भी नहीं रखना चाहता क्योंकि वे तो प्रदेश की सरकार के मुखिया हैं । उनके पीछे जितने मंत्री बैठे हैं, उन सबका विभाग भी उन्हीं के पास है इसलिए पूरे शासन की बागडोर उनके हाथ में है तो शासन की जो उपलब्धियां हैं, जिनके बारे में हम सदन में चर्चा कर चुके हैं, उसका कुछ-कुछ रिफ्रेंस देना चाहता हूं । पहली बात तो यह है कि जब कांग्रेस की सरकार थी, उस समय आबकारी विभाग में भयंकर भ्रष्टाचार हुआ और उस वक्त कांग्रेस की सरकार के समय में आबकारी में सिर्फ 5000 करोड़ रूपए के राजस्व की प्राप्ति होती थी, लेकिन जब से श्री विष्णु देव साय की सरकार बनी, उन्होंने तमाम लीकेज़ भी रोके । उन्होंने कड़ाई बरती, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया और आपको सुनकर अच्छा लगेगा कि वह 5 हजार करोड़ के स्थान पर अब लगभग 11 हजार करोड़ का राजस्व हमारे छत्तीसगढ़ को इन दो वर्षों में लगातार मिल रहा है । उसी पैसे के कारण हम गरीब जनता के कल्याण के लिए यह बजट यहां पर लेकर आये हैं, जिसमें मुख्यमंत्री जी का भी विभाग है ।

माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री आवास श्री नरेन्द्र मोदी जी ने दिया, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने गरीबों को उनका छत भी नहीं पाने दिया । प्रधानमंत्री आवास में एक भी निर्माण के कार्य नहीं हुए, लेकिन आज हमारे मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी ने शपथ ग्रहण के बाद मंत्रालय जाकर 18 लाख गरीबों को आवास देने का निर्णय लिया । (मेजों की थपथपाहट) हमारी माताओं और बहिनों की तरक्की एवं आत्मनिर्भरता के लिए महतारी वंदन योजना माननीय मुख्यमंत्री जी लेकर आये और एक हजार रूपए महीना हमारी माताओं और बहनों को देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। इस प्रदेश की 70 लाख माताओं और बहनों को एक हजार रूपया महीना प्रति माह दे रही है। हमारी सरकार बनने के बाद लगातार बिना कोई देरी किये उनको एक हजार रूपया महीना हमारी माताओं और बहनों को मिल रहा है। सुनने में एक हजार रूपया छोटा हो सकता है। लेकिन जब गांव की किसी माताओं और बहनों को एक हजार रूपया महीना मिलता है तो उनके चेहरे में जो प्रसन्नता दिखती हैं, हम उसी खुशी के लिए तो इस सरकार के माध्यम से इस योजना को लेकर आये हैं।

माननीय सभापति महोदय, हम अपने किसानों के बारे में चिंता कर रहे हैं। श्री विष्णुदेव साय जी के कैबिनेट में यह निर्णय हुआ कि प्रदेश के लाखों किसानों के धान को 3100 रूपया प्रति क्विंटल 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से लेंगे और उनको एकमुश्त राशि का भुगतान करेंगे। यह काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। हमने किसानों का भी ख्याल रखा, हमने महिलाओं का भी ख्याल रखा, हमने प्रधानमंत्री आवास का भी ख्याल रखा। इस प्रदेश में गरीबों को चरण पादुका भी देने का काम किया है। गांव के जंगल में कंटीली राहों पर चलकर तेन्दूपत्ता तोड़ने वाले हमारे जंगल के आदिवासी भाईयों और बहनों को चरण पादुका भी दिया, जिस पर भी कांग्रेस पार्टी के लोगों को आपत्ति होते रहती है। हमने सिर्फ चरण पादुका ही नहीं दिया बल्कि हमने सेमी कण्डक्टर के लिए भी यहां पर आधारशिला रखी है। नया रायपुर में उसकी स्थापना के लिए कार्यक्रम चल रहे हैं। जहां हम गांव के एकदम गरीब जरूरतमंद लोगों का ख्याल रखते हैं, वहीं इस प्रदेश को भी विकास की दौड़ में आगे बढ़ाने के लिए जो-जो नये उपाय हो सकते हैं, उसको करने का काम माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने किया है। सभापति महोदय, मान लीजिये हमने यह सब कुछ कर लिया, यह सब कुछ करने का प्रयास भी कर लिया, लेकिन जिस प्रदेश में शांति न हो, यह कहा गया है कि जिस प्रदेश में, जिस देश में शांति न हो तो वहां आप चाहे जितना भी विकास कर लीजिये, उसका कोई मतलब नहीं होता है। क्योंकि हर इंसान को जिन्दगी में सुख और शांति चाहिए। जब सुख और शांति मिलेगी, तभी आपको समृद्धि मिल सकती है। हमारा बस्तर पिछले 50 साल से, 40 साल से नक्सली आतंक के कारण जल रहा था। बस्तर में आम जनजीवन परेशान था। हम इस प्रदेश में रहकर वहां बस्तर नहीं जा पाते थे, एक डर और भय बना रहता था। बस्तर बहुत खूबसूरत है, बस्तर केरल प्रदेश से बड़ा है। लेकिन वहां नक्सली आंदोलन के कारण, नक्सली गतिविधियों के कारण बारूदी गंध के कारण वहां पर्यटक नहीं जाते थे। लेकिन ईश्वर ने भी इस बात के लिए भी श्री विष्णुदेव साय जी को वरदान दिया था, उनको यह श्रेय भी मिला। उन्होंने मेहनत भी की। यशस्वी गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन तथा श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में आज बस्तर जब मार्च, 2026 को डेड लाईन खत्म हो रही है, उसके पहले बस्तर में शांति का पैगाम चारो तरफ फैला हुआ है। वह जगह, जहां नक्सली इमारत हुआ करता था, वहां हमारे पुलिस की धमक पहुंच चुकी है। नक्सली इमारत हटा दिए गए, उनके डम्प किए हुए बारूद जब्त कर लिए गए हैं। करोड़ों रूपये का कैश बरामद हो रहा है। सैकड़ों नकसली आत्मसमर्पण कर दिए हैं। सैकड़ों की संख्या में नक्सली न्यूट्रालाइज कर दिए गए हैं, कई नक्सली गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मैं अपने खुद के राजनीतिक जीवन में इस बात का पहला अनुभव प्राप्त किया कि बस्तर का वह नक्सल जो मूल धारा में आकर संविधान के प्रति आस्था रखते हैं, वह बस्तर के नक्सली श्री विष्णुदेव साय जी के सरकार के इस कार्यक्रम को देखने के लिए इस सदन के दर्शक दीर्घा में बैठकर सैकड़ों नक्सली विचारधारा को छोड़कर मूल धारा में आये हैं, वे लोग यहां आकर संविधान के इस सर्वोच्च मंदिर के आगे शीश नवाकर यहां की कार्यवाही को देखे हैं। इसके लिए

माननीय मुख्यमंत्री जी, आप बहुत-बहुत बधाई के पात्र हैं। हमारी सरकार में 2 साल के अंदर कभी कोई भ्रष्टाचार का आरोप इस सरकार के ऊपर नहीं लगा है।

सभापति महोदय :- संक्षेप करेंगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- संक्षेप ही है। मेरे ख्याल से मैं तो आखिरी वक्ता हूं । दो मिनट में बोल देता हूं, ठीक है।

सभापति महोदय :- और 2 लोग हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- बोल दूंगा, ठीक है। अब सिंचाई की बात कर लें। हमारे मुख्यमंत्री जी सिंचाई विभाग का बजट भी बढ़ा रहे हैं, काम भी हो रहा है और मुझे इस बात को कहने में गौरव की अनुभूति हो रही है कि सिंचाई विभाग बहुत त्वरित और तेज गति से काम कर रहा है। मैं उसका उदाहरण अपने ही विधान सभा के दो काम से दे सकता हूं। मेरे विधान सभा में दो साल के अंदर चार एनीकट का निर्माण स्वीकृत होकर बन गया और उसका फायदा लोग उठा रहे हैं। (मेजों की थपथपाहट) हमारे विधान सभा में एक भैंसाझार योजना थी, जो साढ़े तीन सौ करोड़ की लागत से, जिसमें सिंचाई नहीं हो पा रही थी, नहरों की खुदाई नहीं हो पा रही थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर सिंचाई विभाग के प्रमुख सचिव श्री सुकुमार टोप्पो जी ने भैंसाझार के रेस्ट हाउस में एक मीटिंग लिया। श्री धरमलाल कौशिक जी, मैं, कोटा के विधायक और माननीय तत्कालीन सिंचाई मंत्री केदार कश्यप जी हम सब थे और वहां पर ठेकेदार, अधिकारी, जनप्रतिनिधि सब थे। हमारे प्रमुख सचिव जी ने रौद्र रूप में जब ठेकेदार को डांटा, कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी, तो आपको बताते हुए खुशी हो रही है, जिस नहर में कई साल से खुदाई नहीं हुई थी, वहां हम और धरमलाल कौशिक जी जाकर गांव के लोगों को समझाए-बुझाए और ठेकेदार ने फिर उसमें काम शुरू किया। (मेजों की थपथपाहट) यह होता है काम करने का तरीका, यह होता है काम को गति पकड़ाने का तरीका, जो सिंचाई विभाग कर रहा है। आप बहुत से प्रोजेक्ट लिए हैं, बस्तर-सरगुजा प्राथमिकता में है, होना भी चाहिए। जिस क्षेत्र में विकास पीछे था, उसको आगे लाने के लिए हम काम कर रहे हैं। सिंचाई विभाग के इन कामों के बारे में मैं कह सकता हूं कि आपका विभाग ठीक है। मैं बिजली विभाग के संबंध में कहना चाहूंगा। बिजली बंद है, बिजली बंद है, हम नेता लोग हैं, जाते हैं जहां जाओ तो वही बिजली कटौती, बिजली कटौती। भाई, एक लोटा पानी है तो एक ही लोटा पानी तो भरेगा न? और एक ड्रम पानी के लिए मांग होगी तो उसके लिए ड्रम बनाना पड़ेगा। मुझे इस बात को कहने में खुशी है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीन बिजली के सब-स्टेशन की स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। अब उस तीन सब-स्टेशन में कम से कम 90 से 100 गांव के लोग डायवर्ट होंगे, बटेंगे, तो बिजली की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। आपने तखतपुर के लोगों की हमारी तकलीफ को समझा और आपने एक नए डिविजनल इंजीनियर का ऑफिस भी सकरी में स्वीकृत किया है। उसका बहुत शीघ्र ही शुभारंभ हम लोग करने जा रहे हैं, तो यह काम अच्छा है। सभापति महोदय, जो काम जनता के दिल को टच

करे, वही विकास है। ये आंकड़े मैं एक भी जगह कितने करोड़ का हैं, मैं यह नहीं पढ़ रहा हूं। ये करोड़ में मेरे को बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है। मैं तो यह जानता हूं कि अगर मैं भूखा हूं, मुझे अगर आपने रोटी का एक टुकड़ा भी दे दिया, मेरा पेट भर गया, तो मैं तो आशीर्वाद दूंगा, मैं तो आपके लिए दुआ करूंगा। मैं 2000 करोड़ रूपया या 200 रुपया आपके जेब में देख ही लिया और उसमें से 2 रुपया खाने को नहीं मिल रहा है तो उसका असर नहीं होता। तो जो काम करके सरकार गरीबों को राहत दे, जो काम करके सरकार किसानों को राहत दे, जो काम करके सरकार शांति की व्यवस्था कायम करे, जो काम करके सरकार महिलाओं का ख्याल रखे, जो काम करके सरकार बच्चों को परीक्षा देने का अवसर दे, जो काम करके सरकार बेरोजगार लोगों को निष्पक्ष परीक्षा देकर अवसर दे, वही अनुभूति लोगों के दिल में होती है और वह सरकार की सफलता जनता के बीच में उसके सिर चढ़कर बोलती है और विष्णु देव साय जी, आपने इन सब कामों को किया। आपने खेल को भी प्रोत्साहन दिया, खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहन दिया। कई बड़े-बड़े खेल के आयोजन हो रहे हैं। अभी आई.पी.एल. का मैच भी होगा और यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, पहले भी हुआ है, लेकिन इस वक्त ज्यादा मैच होगा। बस्तर ओलंपिक हुआ है, सरगुजा ओलंपिक होगा, अभी ट्राइबल गेम्स होगा। तो इसी में से तो प्रतिभा आगे आएगी । सभापति महोदय, अब मैं आपके आदेशानुसार एक बात और कहते हुए अपनी बात समाप्त कर दूंगा । बिलासपुर एक महत्वपूर्ण जगह है, जहां कोल इंडिया का हेड ऑफिस है, जहां रेलवे का हेड ऑफिस है, जहां पर एन.टी.पी.सी. है, जहां पर और भी बहुत से संस्थान हैं, हाई कोर्ट है। वहां से प्लेन का सर्विस शुरू कराना बहुत जरूरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने आर्मी की जमीन को खरीदने के लिए, वापस लेने के लिए, 300 एकड़ जमीन के लिए आपने राशि मुहैया कराई है । वह जमीन वापस आने के बाद हमको वहां 4C एयरपोर्ट बनवाना है। उसके लिए runway विस्तार की जरूरत होगी। आपने उसके लिए 150 करोड़ का प्रावधान किया है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उसमें कम से कम 350 करोड़ रुपया का खर्चा है। आप बिलासपुर की चिंता करते हैं, आपका बहुत ज्यादा बिलासपुर में दौरा भी होता है, आप बिलासपुर के लोगों का ख्याल रखते हैं। मैं इस मंच के माध्यम से, इस सदन के माध्यम से आपसे अपील करता हूं कि पहले बिलासपुर के विमानन की जितनी सारी सुविधाएं हो सकती हैं, उसको आप उपलब्ध करवा दीजिए, उसके बाद हम आपके प्रभाव से महानगरों से हवाई जहाज उड़वाने के लिए प्रयास करेंगे। जब हमारे पास सारे संसाधन रहेंगे तो बिलासपुर के लोगों को भी बैंगलोर जाने का, मुंबई जाने का, चेन्नई जाने का, पूणे जाने का, बनारस जाने का और बड़े-बड़े महानगरों में जाने का भी शौक है, हमारा भी अधिकार है, हमारी भी इच्छा है। जब आप सबकी इच्छा का पालन कर रहे हैं। आपका नाम ही विष्णु देव है, इस दुनिया को पालने वाला विष्णु भगवान हैं। उस भगवान के नाम में जब आप छत्तीसगढ़ में हमको मुख्यमंत्री के रूप में मिले हैं, वैसा ही आप काम भी कर रहे हैं। आम लोगों की सेवा में आप समर्पित हैं ही, इसी तरह से आगे भी रहेंगे और प्रदेश

की जनता आपके साथ है। आपको इन छोटी-मोटी बातें करने वाले लोगों को, उंगली दिखाने वाले लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि जब आप हमारी सरकार की तरफ एक उंगली दिखा रहे हैं तो जरा ख्याल करिए कि तीन उंगली आपकी तरफ भी इशारा कर रही है कि 5 साल में इस प्रदेश में कैसे रेत माफियाओं ने [xx] किया। 5 साल में कैसे कोल माफियाओं ने इस प्रदेश को लूटा। पिछले 5 साल में कैसे शराब माफियाओं ने इस प्रदेश को लूटा। 5 साल में कैसे [xx] और गरीब भिखारी लोग करोड़ों से खेलने लगे। यह सब भ्रष्टाचार के कारण हुआ है। इसलिए आपको इस सरकार में कोई कमियां नहीं मिल रही हैं। लेकिन आप अपने राजनीतिक धर्म का पालन करिए। विष्णु देव साय सनसनाते हुए, साय-साय करते हुए अपना काम कर रहे हैं और यह प्रदेश भी साय-साय करते हुए विकास करेगा। (मेजों की थपथपाहट) सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैंने एक भी मांग नहीं किया है।

सभापति महोदय :- आपको धन्यवाद।

श्री धर्मजीत सिंह :- जो काम हुएं हैं, मैंने सिर्फ वही बताया है और हम जनता के बीच में जाएंगे तो हम सिर्फ हमारे द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा किए गए काम को ही बताएंगे और उनका आशीर्वाद मांगेंगे। जनता के आशीर्वाद को पाने से हमें इस प्रदेश की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। इसलिए हम उनका आशीर्वाद मांगेंगे और फिर से इस प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाएंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- श्री सुशांत शुक्ला जी। दो मिनट में मांग रख लीजिए।

श्री सुशांत शुक्ला (बेलतरा) :- माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद। मैं माननीय विष्णु देव साय जी के विभागों के संबंधित अनुदान मांगों के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

माननीय सभापति महोदय, इन दो वर्षों के कार्यकाल में बहुत सारे काम ऐसे हुए हैं कि अगर मैं यह कहूं कि आधुनिक छत्तीसगढ़ के आधुनिक भागीरथ के रूप में जल संसाधन विभाग के ऐसे-ऐसे ऐतिहासिक कामों के निर्णय हमारी सरकार द्वारा लिये गये हैं, जिसको विधायिका और प्रशासन के समस्त अधिकारी-कर्मचारियों के सहयोग से पूर्ण किये गये हैं, उसकी एक उपलब्धि मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। संजय गांधी जलाशय जिसे हम खूंटाघाट जलाशय कहते हैं, वहां से लगे हुए 17 गांव 70 सालों से पानी की बाट जोह रहे थे। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, जिन्होंने वर्ष 2024 के बजट में प्रस्ताव में उसे शामिल किया और वर्ष 2026 के बजट के पूर्व उसकी स्वीकृति देकर 17 गांवों के हजारों किसानों को भागीरथ स्वरूप गंगा लाकर किसान की व्यवस्था के लिए सिंचाई व्यवस्था मुहैया कराई। मैं गोंदइया एनीकट की स्वीकृति के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार ज्ञापित करूंगा कि गोंदइया जैसे अरपा नदी के बीच में रतनपुर से लेकर सेंदरी के बीच में लगभग 28 गांवों को पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से मिले, इसके लिए उन्होंने

गोंदइया एनीकट की भी स्वीकृति दी है। वहां के एक प्रतिनिधि होने के नाते उसके लिए दिल की अंतहीन गहराइयों से आपका आभार। परंतु एक आग्रह है कि आधुनिक छत्तीसगढ़ में जब सिंचाई की परियोजनाओं के विस्तारीकरण की व्यवस्था हो रही हो, तब रेत चोर एनीकट को तोड़ देते हैं, इसके लिए कठोर प्रावधान की आवश्यकता है। एनीकट के गेट को तोड़कर वे पानी निकासी की व्यवस्था बना देते हैं। सभापति महोदय, इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि एनीकट के संरक्षण और संवर्धन के लिये एक बचाव की योजना बने। मैं यह आग्रह करूँगा कि ऐसे कृत्यों के लिये आपराधिक मामले दर्ज हों और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि छोटा हूँ सदन में तो सबसे मांग भी करता हूँ कि दुलहरा टैंक लगभग 60 वर्षों से लंबित है । माननीय सभापति महोदय, दुलहरा एक ऐसी जगह है जो रतनपुर की रानी थी, उनके द्वारा बसाया गया गांव है और वहां यह टैंक दशकों से लंबित है । वहां से लगा हुआ दुलहरा तालाब है जो चांपी जलाशय से भरा जाता है और पिछले 60 वर्षो से वहां पर माइक्रो एरिगेशन के नाम पर एनीकट की योजना प्रस्तावित है तथा उसका डी.पी.आर. भी बनकर तैयार है, परन्तु योजना क्रियान्वित नहीं हो पा रही है, आपके माध्यम से आग्रह है कि उस दुलहरा टैंक के निर्माण की व्यवस्था बनेगी । माननीय सभापति महोदय, बेलतरा विधान सभा की दृष्टि से देखें तो हर गांव में लगभग 10 एकड़ से ऊपर के तालाब हैं और छत्तीसगढ़ में भी कमोवेश यही स्थिति है । मैं आपके माध्यम से आग्रह करूँगा कि आपके नेतृत्व में एम.आई.टैक के निर्माण माइक्रो एरिगेशन के लिये हो । तालाबों के लिये इसकी योजना बनो । जैसे आन्ध्र और तेलंगाना सहित महाराष्ट्र में इस पर गति से काम चल रहा है । छत्तीसगढ़ में भी माइक्रो एरिगेशन के टैंक निर्मित हो । बड़े-बड़े तालाब हैं और बहुत सारे तालाब तो निजी तौर पर है, उनके शास्तिकरण की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुये उसे बनाना चाहिये । जब हम खनिज की बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर माननीय धर्मजीत सिंह जी कह रहे थे कि रेत माफियाओं का आतंक था और मैं आपके माध्यम से धन्यवाद दूँगा कि मेरे विधान सभा में पूर्णत: रेत चोरी पर प्रतिबंध है और इसके लिये बहुत-बहुत साधुवाद की प्रशासन बहुत कठोरता से कार्यवाही भी कर रही है, परन्तु आवश्यकता इसके लिये कठोर नियम बनाने की भी है । इसमें होता यही है कि माइनिंग का जो हैबिचुअल क्रिमिनल होता है, खनिज के अवैध परिवहन में संलिप्त रहता है, माइनिंग से संबंधित क्राइम करता है, उत्खनन में संलिप्त रहता है, उसकी गाड़ी पकड़ाती है और कुछ मुआवजे के प्रावधान के साथ छोड़ दिये जाते हैं । लाभांश की अधिक राशि के कारण उस कृत्य में संलिप्त रहता है। मैं आपके माध्यम से आग्रह करूँगा कि जो लगातार अवैध माइनिंग के कार्य में संलिप्त है, उत्खनन में और परिवहन में संलिप्त है, शासन स्तर पर राजसात करने का प्रावधान उसमें स्पष्ट हो ताकि उनका एक मैसेज जा सके कि यह कार्यवाही आने वाले समय में होगी । बिलासपुर जिले में माइनिंग का कार्यालय है, लेकिन वहां पर अधिकारी पदस्थापित नहीं किये गये हैं, मैं आपके माध्यम से आग्रह करूँगा कि वहां पर कम से कम माइनिंग इंसपेक्टर के पद जो हैं, वह भरे जाये । छत्तीसगढ़ के

परिप्रेक्ष्य में विद्युत मंडल में अच्छा काम हो रहा है, 2 साल पहले जो त्राहिमाम था, अब वह स्वीकार्यता की तरफ बढ़ रहा है कि विद्युत मंडल में अच्छे काम हो रहे हैं और ऐसे अवसर पर अतिरिक्त ट्रांसफार्मर, क्षमता वृद्धि करने की आवश्यकता है, विगत 5-7 सालों में विद्युत की मांग ज्यादा बढ़ी है, लेकिन क्षमता वृद्धि और अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की व्यवस्था नहीं बनी है । फ्यूज कॉल सेंटर में सेट अप देने की आवश्यकता है और मेरे क्षेत्र बेलतरा के मंगला और खमतराई में आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूँगा कि जोन कार्यालय चूँकि बढ़ता बिलासपुर का स्वरूप है, 12 पंचायतों को 18 वार्डों में तब्दील किया गया है, यहां पर विद्युतीकरण और अवैध प्लाटिंग के माध्यम से मांग बहुत बढ़ गई है । जोन कार्यालय के माध्यम से विद्युतीकरण की व्यवस्था सरलता और सुगमता से आमजनों को मिले, अत: आपसे मांग करता हूँ कि यहां पर जोन कार्यालय की आवश्यकता है । मेरे विधान सभा मुख्यालय बेलतरा में चूँकि यह कोरबा जिले की सीमावर्ती क्षेत्र है और 19 आदिवासी जनजाति समाज के प्रभुत्व वाला गांव है, ऐसे में सब डिवीजन कार्यालय बेलतरा को यह मिले, यह आग्रह है ।

सभापति महोदय :- हो गया ? समाप्त करें ।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, रतनपुर के बाद कोरबा तक मोबाईल टॉवर और नेटवर्क की कमी दिखती है । मैं आपके माध्यम से सेलर, करमा, मजूरपैरी, बाका, अकलतरी, बामू, सरवनदेवरी और चांटीडीह में टॉवर की आवश्यकता है । सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सबसे महत्वपूर्ण मांग करने जा रहा हूँ और आग्रह है कि बिलासपुर से हैदराबाद की हवाई सेवा प्रारंभ करना बहुत आवश्यक है । बिलासपुर सरगुजा संभाग के बहुत सारे चिकित्सा लाभ लेने वाले लोग हैदराबाद सीधा जा सकते हैं, मैं आपके माध्यम से आग्रह करूँगा कि हैदराबाद की सीधी उड़ान बिलासपुर से हो । शिक्षा का केन्द्र हैदराबाद के बाद दक्षिण का भी द्वार खोलता है, हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय एअरपोर्ट की सुविधा भी उपलब्ध है, बिलासपुर और सरगुजा संभाग के दृष्टिगत बिलासपुर एअरपोर्ट पर हैदराबाद तक सीधी उड़ान हमें मिले, मैं आपके माध्यम से इसका आग्रह कर रहा हूँ । सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद और आधुनिक छत्तीसगढ़ के इस आधुनिक भागीरथ को दिल की अंतहीन गहराईयों से धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- श्री रोहित साहू। आप सी.एम. साहब से अपनी मांग रख लें, विनियोग प्रस्तुत करना है, लेट होगा, आप केवल मांग कर लें।

श्री रोहित साहू (राजिम) :- सभापति महोदय, धन्यवाद। मैं प्रदेश के पालनहार के रूप में, जो प्रदेश की हर गरीब, गांव, किसान, महिलाओं, युवाओं की चिंता कर रहे हैं।

सभापति महोदय :- रोहित जी, एक-एक मिनट में अपने क्षेत्र की समस्या के संदर्भ में सी.एम. साहब से मांग कर लें।

श्री रोहित साहू :- जी, मैं एक मिनट में ही अपनी बात रखूंगा। माननीय सभापति महोदय, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णु देव साय जी को मैं गरियाबंद जिला, राजिम विधानसभा और प्रदेशवासियों की ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं, जिनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में वाकई में एक खुशहाल और भागीरथी का प्रयास किया है। मैं इस बारे में एक मिनट बताना चाहूंगा। गरियाबंद जिले में सुशासन त्यौहार के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ, उस क्षेत्र में विद्युत समस्या को लेकर कई दशकों, वर्षों पुरानी मांग थी। जो छुरा वनांचल क्षेत्र है, वहां सुशासन के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी विद्युत समस्या को दूर करने के लिए 85 करोड़ रुपये की सौगात दी, 133 के.वी. का स्टेशन स्वीकृत किए हैं जो उस क्षेत्र के लिए वरदान साबित होगा। इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा। (मेजों की थपथपाहट) पेयजल परियोजना के अंतर्गत सिंचाई परियोजना में गरियाबंद जिले का सिकासार बांध है, जहां कई हजारों एकड़ से किसानों की खेतों तक पानी पहुंचता है, उसके अलावा जो बारिश का व्यर्थ पानी नदी में बह जाती थी, छत्तीसगढ़ प्रदेश का सबसे बड़ा बजट गरियाबंद जिला सिकासार बांध को महासमुंद कोडार बांध तक के ले जाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जल संसाधन विभाग से लगभग 3047 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है, उसके लिए भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैं एक निवेदन और करूंगा, पीपरछेड़ी जलाशय, वह छुरा क्षेत्र से ही लगा हुआ है, यह 1977 की मांग थी, उस समय हम पैदा भी नहीं हुए थे लेकिन आज विष्णु देव जी के सुशासन में, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 1977 के बाद 85 से 87 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है, इसके लिए भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। इस सुशासन सरकार में एक ही निवेदन करूंगा, जितनी बड़ी-बड़ी स्वीकृति हमारे गरियाबंद जिला, राजिम विधानसभा को मिला है, चूंकि गरियाबंद जिला वनांचल क्षेत्र है, जहां पहले नक्सलियों से भी बहुत ज्यादा प्रताड़ित होते थे लेकिन अभी हमारी सरकार में उससे भी राहत मिल रही है। उस क्षेत्र में टावर की बड़ी समस्या हो रही है, छुरा अंचल में जैसे देवरी गांव है, वहां पर चार-पांच ऐसे गांव हैं, जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं होने के कारण राशन लेने में बहुत दिक्कतें हो रही हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि छुरा क्षेत्र में दो मोबाइल टावर की व्यवस्था कर दें। दूसरी बात, आपने गरियाबंद जिला के लिए जितनी भी स्वीकृति दी है, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- माननीय मुख्यमंत्री जी। (मेजों की थपथपाहट)

मुख्यमंत्री (श्री विष्णुदेव साय) :- माननीय सभापति महोदय, आज मेरे विभागों से संबंधित अनुदान मांगों की चर्चा में यहां उपस्थित सभी सदस्यों का मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूं। आज की इस चर्चा में माननीय श्री किरण देव जी, श्रीमती रायमुनी भगत, श्री नीलकंठ टेकाम, श्री प्रेमचंद पटेल, श्री प्रणव कुमार मरपची, श्रीमती भावना बोहरा, श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते, श्री मोतीलाल साहू, श्री आशाराम नेताम, श्री ललित चंद्राकर, श्री धर्मजीत सिंह, श्री सुशांत शुक्ला, श्री रोहित साहू, सबने भाग

लिया। मैं उनका अत्यंत आभारी हूं, उनका आभार करता हूं, उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं और अपने क्षेत्र की कुछ मांगों को भी कुछ सदस्यों ने रखा है। सबको हमारे विभाग के अधिकारियों ने नोट किया है, मैंने भी स्वयं नोट किया है। निश्चित रूप से उन सुझावों और मांगों पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। माननीय सभापति महोदय, पिछले दो सालों से हम लोग संकल्पित भाव से छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा कर रहे हैं। हमने विकसित छत्तीसगढ़ की ओर यात्रा आरंभ कर दी है। इस दृष्टि से बजट प्रबंधन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। पिछले दो बजट में हमारी थीम 'ज्ञान' और 'गति' थी, इस बार हमारी थीम है 'संकल्प'। माननीय वित्त मंत्री जी ने संकल्प के अवयवों के बारे में आप सभी को विस्तार से बताया है। माननीय सभापति महोदय, मुझे कांग्रेस के कुशासन के पांच साल याद आते हैं। आज यहां पर वह मौजूद नहीं हैं। उस दौरान केवल एक ही डायलॉग चलता था–छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई सगा नहीं, जिसको भूपेश सरकार ने ठगा नहीं। (मेजों की थपथपाहट) ये लोग न्याय की बात करते थे, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता को तो छोड़िए, इन्होंने अपने लोगों के साथ भी न्याय नहीं किया। इनकी योजनाएं कागजों पर बनीं और वहीं सिमटकर रह गईं। एक नारा इन्होंने बुलंद किया था–"नरवा, गरूवा, घुरवा, बारी, छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी।" इन चारों का इनके समय क्या हाल हुआ, उससे छत्तीसगढ़ की जनता अच्छी तरह से वाकिफ है। पशुविहीन गौठानों में आम जनता की कितनी राशि फूंक दी गई, कोई हिसाब नहीं है। हमको तो बहुत पीड़ा होती थी, जब हमारी पार्टी के लोग गौठानों का निरीक्षण करके आते थे और जब हम लोग गौठानों में गौमाता की दुर्दशा देखते थे तो खून के आंसू पीकर रह जाते थे। माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शराब दुकानों में दो काउंटर खोल रखे थे। एक का पैसा विभाग को जाता था, दूसरा इनका A.T.M. था, जिसका पैसा कहां-कहां जाता था, यह सबको मालूम है। हमने डिजिटल गवर्नेंस और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर लीकेजेस समाप्त किये। इससे आम जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा जनकल्याण में खर्च हो रहा है। इनकी सरकार में आबकारी विभाग का राजस्व 5,110 करोड़ रुपये था। हमारी सरकार में इस साल इसका अनुमान 11,000 करोड़ रुपये है। यह अंतर इसलिए आया, क्योंकि हमने फर्जीवाड़ा समाप्त किया। युवाओं के साथ भी जघन्य अपराध तब हुआ, जब प्रतियोगी परीक्षाएं लेने वाली संवैधानिक संस्थाओं में ऐसे लोगों को बैठाया गया, जिनका अतीत दागदार था। उनको वहां बैठाने का एजेंडा साफ था, उन्हें जो टास्क दिया गया था, उन्होंने उसे कुशलता से निभाया भी। उन्होंने केवल खुद को नहीं तारा, बल्कि वह पूरे कुटुंब को तार गये। वैसे यह सुख उनकी किस्मत में ज्यादा टिका नहीं। यह शॉर्ट टर्म रिचार्ज था और अब मोदी जी की गारंटी के मुताबिक वह जेल की सलाखों के पीछे अपनी तकदीर को कोस रहे हैं। (मेजों की थपथपाहट) माननीय सभापति महोदय, हमने मार्च महीने तक माओवादी आतंकवाद के अंत का लक्ष्य रखा है। इस दिशा में हमने सफलतापूर्वक कार्य किया है। 120 आत्मसमर्पित नक्सली इसी सत्र में विधान सभा के अवलोकन के लिए आये। आपने भी देखा होगा कि बीते सप्ताह भी बड़ी संख्या में माओवादियों ने

आत्मसमर्पण किया और हथियार छोड़ संविधान की प्रति अपने हाथों में थामी। (मेजों की थपथपाहट) यह लोकतंत्र के लिए उत्सव का क्षण है। मुझे इस बात की सबसे ज्यादा खुशी है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एवं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में हमने माओवादी आतंक को कड़ी चुनौती दी है। हमारे बहादुर जवानों और प्रदेश के लोगों के विश्वास और सहयोग के बूते हमने लोगों को इस आतंक से मुक्त किया है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासनिक तंत्र को मजबूती देकर हम शांति के साथ पुनर्निर्माण और समग्र विकास के लक्ष्य को साकार कर रहे हैं। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय सभापति महोदय, अब मैं अपने विभागों पर आता हूं। सबसे पहले खनिज विभाग। आर्थिक विकास सुनिश्चित करते हुए लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने में प्रदेश के खनिज राजस्व की अहम भूमिका है। दुर्भाग्य से कांग्रेस के पांच सालों में इस तरक्की में ब्रेक लग गया था। ऐसा नहीं था कि हमारी धरती ने अमूल्य संसाधन नहीं दिये। हमारी धरती से तो विपुल मात्रा में खनिज का उत्पादन होता रहा। दुर्भाग्य यह था कि इसमें से बड़ी राशि पिछली सरकार के लोगों ने हजम कर ली। यह कोई साधारण भ्रष्टाचार नहीं था, यह ऐसा भ्रष्टाचार था जिसकी मिसाल आपको कहीं नहीं मिलेगी। ट्रांजिट पास को ऑनलाइन की जगह मैनुअल कर इन्होंने करोड़ों का वारा न्यारा किया। जो पैसा जनकल्याणकारी योजनाओं में लगना था, आम जनता के खाते में जाना था, वह उन लोगों के बंगले में पहुंचा जो पहले ही चांदी के चम्मच लेकर पैदा हुए थे।

माननीय सभापति महोदय, खनिज राजस्व के आंकड़े इस प्रत्यक्ष लूट की गवाही देते हैं जो पिछली कांग्रेस सरकार ने की। वर्ष 2021-22 में जहां खनिज राजस्व 12,305 करोड़ रूपये था, वहीं वित्तीय वर्ष 2024-25 में यह 14,592 करोड़ रूपये हो गया, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 11 प्रतिशत है। (मेजों की थपथपाहट) वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंत तक 17,000 करोड़ रूपये की राजस्व प्राप्ति का अनुमान है। (मेजों की थपथपाहट) यह साफ है कि कांग्रेस की सरकार ने ट्रांजिट पास में गड़बड़ी कर फर्जीवाड़ा किया। राजस्व वृद्धि की यह राशि हम अपने किसान भाइयों के लिए, माता-बहनों के लिए जनकल्याणकारी योजनाओं में खर्च कर रहे हैं।

हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने DMF के माध्यम से खनन प्रभावित क्षेत्रों में विकास की पहल की। उस पर भी कांग्रेस नेतृत्व की कुदृष्टि लग गई। DMF के काम के लिए कलेक्टरों के पास फोन जाते थे और नियमों की धज्जियां उड़ाकर गुणवत्ताविहीन खरीदी की जाती थी और DMF संहिता के विरूद्ध गैर जरूरी कार्यों में राशि खपा दी जाती थी। इसकी राज्य स्तर पर जांच हो रही है और बंदरबांट के नए-नए खुलासे सामने आ रहे हैं। हमारी सरकार ने DMF को पुनः पारदर्शी किया है। दो साल में 4,000 करोड़ रूपये से अधिक की राशि प्राप्त हुई और इससे हमने 19,000 से अधिक कार्य स्वीकृत किए हैं। हम DMF के कार्यों का सोशल ऑडिट भी करा रहे हैं। पायलट प्रोजेक्ट के तहत तीन

खनन जिलों दंतेवाड़ा, बलौदाबाज़ार-भाटापारा तथा मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर को इसके लिए चुना गया है। DMF की राशि का अनुचित उपयोग न हो इसके लिए शिकायत निवारण तंत्र विकसित किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार द्वारा खदानों के आवंटन के लिए नीलामी की जा रही है। अब तक 62 ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की जा चुकी है। इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक 16 नए खनिज ब्लॉकों की नीलामी हेतु निविदा जारी की जाएगी। देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था की तीव्र प्रगति के लिए रेयर अर्थ, क्रिटिकल स्ट्रैटेजिक व डीप सीटेड खनिजों के संबंध में आत्मनिर्भरता बेहद आवश्यक है। प्रदेश में इनके अन्वेषण और सर्वेक्षण के लिए प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थाओं से एम.ओ.यू. किया गया है। इससे क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में राज्य में नए निवेश सृजित होंगे। खनन एवं सुव्यवस्थित औद्योगीकरण के साथ पर्यावरण संतुलन का ध्यान रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य के कुल वन क्षेत्र के मात्र 0.96 प्रतिशत वन क्षेत्र में खनिज रियायतें स्वीकृत किए गए हैं। इसमें भी केवल चौथाई हिस्से अर्थात 0.24 प्रतिशत वन क्षेत्र में खनन कार्यों की अनुमति प्रदान की गई है। राज्य में विगत दो वर्षों में वन संरक्षण अधिनियम के तहत स्वीकृत खनन प्रकरणों में खनन कार्य हेतु 1,03,855 पेड़ों की कटाई की गई है जबकि इसके एवज में खनन एवं औद्योगिक क्षेत्रों के द्वारा 30 लाख से अधिक पौधे लगाए गए हैं। हमने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत दो वर्षों में करीब 7 करोड़ पेड़ लगाए हैं। (मेजों की थपथपाहट) मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में वन एवं वृक्ष आवरण में 683 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। (मेजों की थपथपाहट) पारदर्शिता को हर स्तर पर अपनाने की हमारी नीति के अनुरूप हमने खनिज विभाग में डिजिटल रिफॉर्म करते हुए खनिज ऑनलाइन 2.0 पोर्टल लागू किया है। साथ ही DMF के कार्यों की समुचित निगरानी एवं प्रबंधन हेतु केंद्र सरकार की तरह ही DMF पोर्टल 2.0 लागू किया है। पिछली सरकार के संरक्षण में रेत माफिया नदियों को छलनी करते रहे। नेतृत्व के खास चहेते लोगों ने रेत के कारोबार पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। उस समय मात्र 89 रेत खदानें लीगल रूप से चल रही थीं। रेत खनन को लेकर भी दो नियम बना दिये थे, जनजातीय क्षेत्रों में अलग और गैर जनजातीय क्षेत्रों के लिये अलग नियम था। इस तरह असमानता का बीज बोने का प्रयास भी किया गया। इससे रेत की कीमतें आसमान छूने लगीं, माफिया बेलगाम था, सरकार मस्त थी और खजाना खाली होता जा रहा था। हम आम जनता को रियायती दरों पर रेत की उपलब्धता सुनिश्चित करने और माफिया पर नकेल कसने, छत्तीसगढ़ गौंण खनिज साधारण रेत नियम 2025 लेकर आये हैं। हमने रेत की ई-नीलामी शुरू की। इससे आम जनता को आसानी से रेत उपलब्ध हो रही है। नये नियमों के तहत 178 निविदा जारी की और 166 नये रेत खदानों के लिये आशय पत्र जारी किये गये।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं ऊर्जा विभाग में आता हूं। विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ निर्माण में प्रमुख ऊर्जा प्रदाता के रूप में हमारा प्रदेश अपनी अग्रणी भूमिका निभाने पूरी तरह से तैयार है। (मेजों की थपथपाहट) हमारे प्रदेश के पावर प्लाण्ट की विद्युत क्षमता 30 हजार मेगावाट है। इसमें ताप विद्युत संयंत्रो की क्षमता 24 हजार मेगावाट है जिससे इस मामले में हमारा प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। हमारी विद्युत जनरेशन कंपनी ने दिसंबर 2024 तक बेहतर प्लाण्ट लो फेक्टर से बिजली का उत्पादन किया जो पूरे देश में तीसरे स्थान पर है।(मेजों की थपथपाहट) पिछली बार जब हम प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे थे, हमने राज्य की भविष्य की ऊर्जा जरूरतों के बारे में कांग्रेस की सरकार को बार-बार आगाह किये। भविष्य में बढ़ते औद्योगीकरण और हमारे किसान भाईयों की जरूरतों के अनुरूप और आम जनता को निर्बाध रूप से बिजली आपूर्ति के लिये यह बहुत जरूरी था। अफसोस यह है कि कांग्रेस की सरकार ने पूरे 05 साल गवां दिये। यह 36 महीने में बेहद अहम है कि ऊर्जा अधोसरंचना के निर्माण में काफी वक्त लगता है। हमारी सरकार ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में लगातार नये कीर्तिमान बना रही है। हमने एनर्जी समिट किया और इसके माध्यम से लगभग साढ़े 3 लाख करोड़ रुपये के निवेश पर प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए और इन पर तेजी से काम भी हो रहा है।(मेजों की थपथपाहट) हम प्रदेश को देश की ऊर्जा राजधानी बनाने प्रतिबद्ध हैं। इसके लिये हमने 32 हजार मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं के लिये विभिन्न संस्थाओं से एम.ओ.यू. किया है। प्रदेश सरकार अपनी जनरेशन कंपनी के अतिरिक्त एन.टी.पी.सी. एवं अन्य जनरेशन कंपनियों को प्रदेश में पावर प्लाण्ट लगाने हेतु प्रोत्साहित भी कर रही है। आगामी 10 वर्षों की ऊर्जा खपत को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार इस बात का भरसक प्रयास कर रही है कि प्रदेश ऊर्जा उत्पादन में देश का नेतृत्वकर्ता राज्य बने। इन परियोजनाओं में ताप विद्युत परियोजना के लिये 12100 मेगावाट क्षमता की परियोजना शामिल है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी द्वारा कोरबा पश्चिम में 6060 और 6060 मेगावाट की 2 सुपर क्रीटिकल इकाइयों का कार्य प्रगति पर है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का फोकस ग्रीन इनर्जी पर है ताकि क्लाइमेट चेंज के खतरों से निपटा जा सके। हम प्रदेश में इस पर सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी द्वारा 8300 मेगावाट क्षमता के पंप स्टोरेज जल विद्युत परियोजनाओं के लिये 6 स्थलों का चिन्हांकन किया गया है। माननीय सभापति महोदय, प्रदेश के उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर बिजली की सतत आपूर्ति हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिये हमने आवश्यक बजट प्रावधान किये हैं। बी.पी.एल. परिवार के लोगों को 30 यूनिट बिजली नि:शुल्क देने हमने इस बार 354 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान रखा है। इसका लाभ प्रदेश के 15 लाख बी.पी.एल. उपभोक्ताओं को होगा। घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली बिल में रियायत देने हम मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान चला रहे हैं। इस योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 400 यूनिट तक की विद्युत खपत पर प्रथम 200 यूनिट में बिल की राशि में 50 प्रतिशत की छूट दी

जा रही है। (मेजों की थपथपाहट) इससे 42 लाख उपभोक्ताओं को राहत मिल रही है। इसके लिये बजट में 800 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। (मेजों की थपथपाहट) हम बिजली उपभोक्ताओं को रियायती दर से मुफ्त बिजली की ओर ले जा रहे हैं और उपभोक्ता को बिजली उत्पादक भी बना रहे हैं। केन्द्र सरकार प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत् सौलर प्लांट लगाने में सब्सिडी देती है । हमने पिछले साल यह निर्णय लिया कि राज्य सरकार भी सौलर प्लांट लगाने वाले उपभोक्ताओं को अनुदान देगी । मार्च, 2025 तक जहां स्थापित सौलर प्लांट की संख्या मात्र 2020 थी वहीं राज्य सरकार द्वारा भी अनुदान देने से यह संख्या आज 38,000 से अधिक हो गयी है । (मेजों की थपथपाहट) इस बार बजट में इस योजना के लिये 400 करोड़ रूपये रखे गये हैं, मैं इस सदन के माध्यम से प्रदेश के सभी नागरिकों से आग्रह करता हूं कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठायें और बिजली उत्पादक बनकर रियायती बिजली से जीरो बिजली बिल की ओर बढ़ें । इस बार भी डॉ. खूबचंद बघेल किसान विद्युत सहायता योजना के तहत् 8 लाख 83,000 कृषि पंप उपभोक्ताओं को सब्सिडी प्रदान करने 5500 करोड़ रूपये रखे गये हैं । (मेजों की थपथपाहट) कोरोना काल की वजह से एवं अन्य आर्थिक कठिनाईयों की वजह से अनेक उपभोक्ताओं की बिजली बिल की राशि बकाया थी ऐसे 28 लाख 42,000 उपभोक्ताओं के लिये मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना के माध्यम से मूल राशि तथा अधिभार में छूट देते हुए बिल भुगतान की सुविधा दी जा रही है । इस योजना का लाभ राज्य के किसानों, बी.पी.एल. तथा घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगा ।

माननीय सभापति महोदय, मुख्यमंत्री मजरा-टोला विद्युतीकरण योजना के तहत् हम काम कर रहे हैं । 2 सालों में 386 मजरा-टोलों में विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो चुका है, इस वर्ष के बजट में भी इस योजना के लिये 50 करोड़ रूपये रखे गये हैं । (मेजों की थपथपाहट) माओवाद का अंधेरा छंटने के साथ ही विकास का उजाला भी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पहुंच रहा है । नियद नैल्लानार योजना के तहत् हमने अब तक 158 गांवों को शत-प्रतिशत विद्युतीकृत कर दिया है । (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- मुख्यमंत्री जी, एक मिनट । विनियोग विधेयक के पु:स्थापन हेतु 4.00 बजे का समय निर्धारित है । चूंकि अभी अनुदान की मांगों पर चर्चा जारी है अत: मांगों पर चर्चा पूर्ण होने के उपरांत विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन किया जायेगा । मैं समझता हूं सदन सहमत है ।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गयी)

श्री विष्णु देव साय :- माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस पार्टी का नारा है कि कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ। क्या यह हाथ केवल नारों में ही गरीबों के साथ दिखता है ? यह हाथ विशेष पिछड़ी जनजाति की बस्तियों में उनकी मदद के लिये क्यों नहीं पहुंचता है ? विशेष पिछड़ी जनजाति के लिये बुनियादी सुविधाओं के काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की संवेदनशीलता की वजह से संभव हो पा रहे हैं । जब भी भारत में टी.बी.टी. की बेहतरी का इतिहास लिखा जायेगा । मोदी जी का

नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जायेगा । (मेजों की थपथपाहट) हम पी.एम. जनमन योजना एवं धरती आवा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत् इनकी बस्तियों में बिजली पहुंचाने का काम कर रहे हैं । मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास योजना के तहत् हमने इस बार बजट में 100 करोड़ रूपये रखे हैं जिससे 33/11 के 90 नये उप केंद्र तथा 145 नग स्थापित पॉवर ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि तथा 33/11 के.व्ही. उप केंद्रों में 42 नग अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है । हमारे 137 अति उच्च दाब उप केंद्रों में 2 या अधिक इनकमिंग सप्लाई है जिससे एक सप्लाई बंद होने से विद्युत आपूर्ति बाधित नहीं होती । भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन 23 घंटे 50 मिनट तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 23 घंटे 20 मिनट विद्युत उपलब्धता रही है और प्रदेश के किसान भाईयों को 18 से 24 घंटे बिजली मिलती है यह देश के राष्ट्रीय औसत एवं अग्रणी राज्यों से बेहतर है । (मेजों की थपथपाहट)

माननीय सभापति महोदय, अक्षय ऊर्जा केवल परंपरागत ऊर्जा का विकल्प नहीं है । यह आत्मनिर्भरता का मार्ग भी है, मोदी जी ने यही मार्ग चुना है । अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिये हम पी.एम.कुसुम योजना के माध्यम से किसान भाईयों के खेतों में सौलर पम्प स्थापित कर रहे हैं । इस बार बजट में पी.एम.कुसुम योजना के कम्पोनेंट-बी के लिये 198 करोड़ रूपये का बजट रखा गया है जिससे प्रदेश में 10,000 सौलर पम्प की स्थापना प्रस्तावित है ।(मेजों की थपथपाहट) 2 सालों में हमने 1722 सौलर हाईमास्क लगाये हैं इस बार 700 नग सौलर हाईमास्क के लिये 35 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है । (मेजों की थपथपाहट) 7 ऊर्जा शिक्षा संस्थानों के संचालन-संधारण तथा गिनाबहार विकासखण्ड कुनकुरी जिला जशपुर में नवीन ऊर्जा शिक्षा उद्यान की स्थापना के लिए 15 करोड़ रूपये की राशि रखी गयी है। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय सभापति महोदय, अब मैं जल संसाधन विभाग में आता हूँ। छत्तीसगढ़ केवल एक राज्य नहीं है, यह धान का कटोरा है, यह किसान का पसीना है, यह नदियों की संस्कृति है, यह जल से जीवन की कहानी है। हमारे वेदों में यह कहा गया है आपो हिष्ठा मयो भुव:, जल ही समृद्धि का आधार है। पिछली कांग्रेस सरकार में ढाई-ढाई साल के मुख्यमंत्री पद का झगड़ा था। जबकि हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार है। यहां काम की गति दुगुनी हो गई है जिसकी झलक हमारी सरकार के द्वारा किसान भाईयों के लिए किये गये कार्यक्रमों और कार्यों में मिलती है जहां कांग्रेस की सरकार ने अपने 5 सालों के कार्यकाल में 5794 करोड़ रूपये सिंचाई कार्यों के लिए स्वीकृति दी, वहीं हमारी सरकार ने मात्र 2 सालों में 11107 करोड़ रूपये सिंचाई कार्यों की स्वीकृति की। (मेजों की थपथपाहट) यह दोगुना आंकड़ा सिंचाई योजनाओं की जरूरत के प्रति हमारी समझ एवं सरोकारों को दिखाने के लिए पर्याप्त है। पिछले 2 सालों में हमने 25 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन किया है। कांग्रेस के नेता बड़ी-बड़ी बातें करते हैं उनसे यह पूछ लीजिए कि अगर आपको किसान भाईयों की इतनी ही चिंता थी तो यहां बंद पड़ी सिंचाई

योजनाओं पर उनकी नजर क्यों नहीं गयी? हमें इस बात की खुशी है कि यहां बंद पड़ी सिंचाई योजनाओं को अटल सिंचाई योजना के माध्यम से पुन: आरंभ किया। (मेजों की थपथपाहट) इन 115 परियोजनाओं के पूर्ण होने से 76 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा। इस बार हमने बजट में ऐतिहासिक वृद्धि करते हुए, 4 हजार 400 करोड़ रूपये से अधिक राशि नई सिंचाई योजनाओं पर और इनके अनुरक्षणों पर रखा है। इस बार के बजट में हमने जिन सिंचाई योजनाओं को शामिल किया है उनके माध्यम से 1 लाख 60 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित है। इतने बड़े स्तर पर प्रस्तावित कार्यों से सिंचाई को लेकर सरकार का विजन स्पष्ट है। इन्द्रावती नदी बस्तर की जीवन दायिनी है। अब तक इन्द्रावती नदी की संभावनाओं का पूरा उपयोग नहीं हुआ था। इस बजट में हमने मटनार और देउरगांव में 2 हजार 24 करोड़ रूपये की लागत से बैराज तथा 68 किलोमीटर की नहर बनाने का प्रावधान रखा है, जिससे 32 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा विकसित हो सकेगी। इसके साथ ही कांकेर में मेढकी बैराज, बीजापुर में मट्टीमार्का, बस्तर में महादेवघाट बैराज, जशपुर में पमशाला एनीकट से लिफ्ट एरिगेशन, अंबिकापुर के सरगंवा में बैराज निर्माण तथा बैकुण्ठपुर में गेजडेम उन्नयन जैसे प्रमुख कार्य बजट में शामिल किये गये हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पर ड्रॉप, मोर क्राफ्ट का मंत्र देश को दिया है। उनके मंत्र के अनुरूप हम पानी की हर बूंद को सहेजने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसके लिए हमने तापयुक्त सिंचाई प्रणाली को अपनाया है। इससे परियोजनाओं की लागत काफी कम हो जाती है। तापयुक्त सिंचाई प्रणाली से 70 योजनाएं प्रस्तावित हैं, जिनसे 80 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो सकेगी। जब हमारी सरकार आयी तो हमने सबसे पहले किसान भाईयों के मुआवजा प्रकरण हल किये। मेरे पास जनदर्शन में ऐसे प्रकरण आये जिसमें किसान भाईयों ने यह लिखा है कि वह मुआवजा के लिए आवेदन देते-देते थक गये, लेकिन उनको न्याय नहीं मिला। हमने ऐसे मामलों का प्राथमिकता से निराकरण किया है। हमने जल की हर बूंद को बचाने के लिए जल सूचना विज्ञान केन्द्र स्थापित किया है। इससे जल प्रबंधन अनुमान से नहीं, विज्ञान से होगा। जल संसाधन विभाग में मानव संसाधन बढ़ाने पर भी काम हो रहा है। हमने 83 सहायक अभियंता, 96 उप अभियंताओं की नियुक्ति की है तथा 250 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। जल संरक्षण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा पुरस्कार मिला है। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय सभापति महोदय, अब मैं सामान्य प्रशासन विभाग में आता हूँ। कांग्रेस के समय काम का मूल्यांकन किस तरह से होता था। छत्तीसगढ़ की जनता इसे अच्छी तरह से जानती है। ईमानदारी और प्रमाणिकता से काम करने वाले अधिकारियों का क्या हाल किया गया, यह सब जानते हैं। अपने 5 सालों के कार्यकाल में इन्होंने मंत्रालय की सूरत 5 बार भी नहीं देखी होगी, कोविड के बाद तो शायद एक बार भी वहां नहीं गये। अधिकारियों-कर्मचारियों की उपस्थिति सुबह 10.00 बजे से कर दी गयी, लेकिन ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं बनाया, जिससे सरकारी कार्यालयों में अनुशासन सुनिश्चित किया जा सके ।

हमारी सरकार में मंत्रालय से लेकर मैदानी अमले तक कार्य संस्कृति में बदलाव साफ देखा जा सकता है । हमने बायो मैट्रिक अटेंडेंस सिस्टम और ई-आफिस प्रणाली जैसे नवाचार को अपनाया है । (मेजों की थपथपाहट) मैं कभी दौरे पर जाता हूं तो जो जरूरी फाईल होती है, उसके लिए रायपुर आने की आवश्यकता नहीं पड़ती है । हम चलते-चलते रास्ते में फाईल निपटाते हैं तो आज ई आफिस प्रणाली का लाभ हो रहा है । हमारे 50 हजार से अधिक अधिकारी-कर्मचारी ई आफिस में ऑनबोर्ड हो गए हैं और कभी भी कहीं से भी फाईल मूव करने में सक्षम हो गए हैं । हमारे अधिकारी अवकाश में हों या दौरे पर हों, कहीं से भी ई आफिस के माध्यम से फाईलों का निपटारा कर लेते हैं । बायो मैट्रिक अटेंडेंस प्रणाली को हमने जिला मुख्यालया में भी अपनाया है और निचले स्तर पर भी इसे अपनाने की तैयारी कर रहे हैं ।

सभापति महोदय, मानव संसाधन प्रबंधन के लिए हमने **e-HRMS** प्रणाली लागू किया है । इसमें 65 हजार से अधिक कर्मचारी ऑनबोर्ड हैं । इनके निष्पक्ष मूल्यांकन हेतु गोपनीय प्रतिवेदन के लिए स्पैरो प्रणाली आरंभ की गई है । इसमें भी 50 हजार से अधिक अधिकारी-कर्मचारी ऑनबोर्ड हो चुके हैं । विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का सर्वाधिक जोर प्रशिक्षण पर है। इसके लिए उन्होंने मिशन कर्मयोगी आरंभ किया है, ताकि विकसित भारत के लिए प्रशिक्षित एवं कुशल वर्क फोर्स को तैयार किया जा सके । पहले उच्च अधिकारियों को ही प्रशिक्षण दिया जाता था, अब मैदानी स्तर के अधिकारी-कर्मचारी के लिए प्रशिक्षण का कार्य आरंभ कर दिया गया है । iGOT Karmayogi के माध्यम से 6 लाख कर्मचारियों के प्रशिक्षण की कार्य योजना पर काम हो रहा है । आई.टी. तथा ए.आई. को अपनाकर कामकाज को सहज, सरल तथा गुणवत्तापूर्ण करने, अधिकारी-कर्मचारी को लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है । इससे अधिकारियों तथा कर्मचारियों के साथ ही पूरे प्रशासनिक तंत्र की दक्षता बढ़ रही है । ट्रेनिंग एवं टेक्नालॉजी से हम प्रशासनिक तंत्र को ट्रांसफार्म कर रहे हैं । इसके बल पर हम विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सफलतापूर्वक बढ़ रहे हैं । सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यों के प्रभावी संचालन के लिए 117 पदों का सृजन किया गया है, जिसके लिए 1 करोड़ रूपए का प्रावधान है ।

सभापति महोदय, अब मैं सुशासन और अभिशरण विभाग पर आता हूं । श्रद्धेय अटल जी द्वारा दिखाए सुशासन की राह पर आगे बढ़ने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं । इस पर ठोस काम करने के लिए हमने प्रदेश में सुशासन एवं अभिशरण विभाग की स्थापना की है । मुख्यमंत्री के रूप में मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि प्रदेश की जनता सीधे मुझसे सम्पर्क स्थापित कर पाएं, अपनी समस्या रख पाएं और हम इनका त्वरित निराकरण कर पाएं, इसके लिए हम मुख्यमंत्री हेल्प लाईन योजना को और प्रभावी बना रहे हैं । इसमें आवेदनों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण समाधान हो सकेगा, इसके लिए हमने 22 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है । एक ओर हमारी सरकार हमारी सुशासन की सरकार है, वहीं दूसरी

ओर कांग्रेस का कुशासन लोगों को याद आता है, जहां एक परिवार की सेवा ही सरकार और शासन का मुख्य उद्देश्य होता है । ऐसे में डिजीटल गवर्नेंस जैसी बातों का महत्व कैसे समझेंगे । हम सरकारी योजनाओं की सटीक मानीटरिंग, अटल मानीटरिंग पोर्टल से कर रहे हैं, इसके लिए हमने इस बार 5 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है । हमारी कोशिश है कि हम लोक सेवा गारंटी से मिलने वाली सेवाओं को ऑन लाईन माध्यम से ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर भी उपलब्ध कराएं । इसके लिए हम काम कर रहे हैं । कांग्रेस पार्टी के लोग अपने समय को जरूर याद करते होंगे, जब लोक सेवकों के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार तो दूर वे जब बैठकों में सकारात्मक सुझाव देते थे तो उन्हें किस तरह उलाहना झेलनी पड़ती थी । हम नई पीढ़ी के उत्कृष्ट लोक प्रशासक भी तैयार कर रहे हैं और इसके लिए हमने मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना प्रारंभ की है । इस वर्ष भी इस योजना के लिए 8 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है । सीखना सतत् रूप से चलने वाली प्रक्रिया है । विभाग द्वारा मंत्रिपरिषद के सदस्यों के लिए विविध विषयों पर अनुभव जानने और उनसे विचार-विमर्श करने के लिए पिछले 2 साल से आई.आई.एम. रायपुर में चिंतन शिविर का आयोजन भी किया गया था ।

सभापति महोदय, मैं अब इलेक्ट्रानिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग पर आता हूं। आज का युग आई.टी. और ए.आई. का है। हमारा प्रदेश इस डिजीटल क्रान्ति में अगुवा बने, इसके लिए हमने इलेक्ट्रानिक एवं संसूचना प्रौद्योगिकी विभाग के बजट में 417 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। हमने मुख्यमंत्री ए.आई. मिशन के लिए सौ करोड़ रूपये की राशि रखी है। इसके माध्यम से राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों आई.टी.आई. एवं पॉलीटेक्निक में ए.आई. डेटा और लैब तथा ए.आई. सेन्टर आफ एक्सीलेंस स्थापित किये जायेंगे, जिससे हमारे बच्चे और युवा पीढ़ी ए.आई. से जुड़कर इसका लाभ उठा पायेंगे। साथ ही इससे शासकीय कामकाज में भी ए.आई. का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा तथा नागरिकों को आसानी से शासकीय सेवाएं भी उपलब्ध हो सकेंगी।

सभापति महोदय, आपस में हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब घर में मेहमान आते हैं तो उनके सामने कभी उसे प्रगट नहीं करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ए.आई. समिट में ऐसी अभ्रदता की, जिसका इतिहास में कोई शानी नहीं है। उन्होंने अतिथियों के सामने ही अभद्र प्रदर्शन किया, जमकर हंगामा किया। इस पर उनके मुखिया ने भी माफी नहीं मांगी बल्कि ऐसे कृत्य को न्यायसंगत बताते रहे। पूरी दुनिया ने देखा कि एक तरफ हमारे नेतृत्व की शालीनता है और दूसरी ओर इनकी अभ्रदता है। दुनिया ने यह जान लिया कि क्यों पिछले 3 चुनाव से कांग्रेस सत्ता सुख के लिए पैवेलियन में बैठी इंतजार कर रही है। कांग्रेस ने वनाचंल एवं ग्रामीण क्षेत्रों को हमेशा उपेक्षित रखा। वहीं हमारी सरकार ने विकास के मामले में भेदभाव को समाप्त किया। हमने डिजीटल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में बड़ा काम किया है। डिजीटल भारत निधि से 2 साल में 936 मोबाइल टावर स्वीकृत हुए हैं तथा 751 नवीन मोबइल टावर ऑन एयर हुए हैं। इसके साथ ही 2300 अतिरिक्त मोबाइल टावरों का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के

पास भेजा गया है। ग्राम पंचायतों में हाईस्पीड इंटरनेट कनेक्टविटी के लिए 49 सौ करोड़ रूपये की स्वीकृति भारत निधि से हुई है। इससे ग्रामीणों को ई-गवर्नेंस, टेलीमेडीसिन, ऑनलाईन शिक्षा तथा डिजीटल भुगतान आदि में लाभ हो सकेंगे। कांग्रेस के 5 साल हमारे युवाओं के बुरे सपनों की तरह थे। उनके स्टार्टअप के लिए मौका देना तो छोड़िये, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इन्होंने भ्रष्टाचार का मौका नहीं छोड़ा। राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं किसी भी राज्य की प्रशासनिक प्रणाली का आधार होती है। इन्होंने सिस्टम में ऐसे भ्रष्टाचारी बैठाये, जो हमारे सिविल सेवा के ढांचे को खोखला करने में लगे रहें। हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्यवाही की और युवाओं के अवसर छीनने वाले अब अपराधी सलाखों के पीछे हैं। (मेजों की थपथपाहट) हम युवाओं को स्टार्टअप के मौके दे रहे हैं। हमने स्टार्टअप को विकसित करने के लिए विशेष नीति बनाई है। इसे प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 36 आई.एन.सी. इनक्यूबेशन सेन्टर की स्थापना करने का निर्णय लिया है।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं विमानन विभाग पर आता हूं। विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य की ओर उड़ान भर ली है। इसके लिए विमानन क्षेत्र को नई ऊंचाई दे रहे हैं। हमारा बिलासपुर एयरपोर्ट 3C आई.एफ.आर. के लिए अपग्रेड हो गया है। इसके चलते अब यहां नाईट लैण्डिग और 24 घंटे विमान सेवाओं का संचालन संभव हो सकेगा। इन्टरनेशनल कार्गो टर्मिनल के लिए भी एम.ओ.यू. किया गया है। इसके चलते हमारे कारोबारियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। पिछली बजट में रायपुर, बिलासपुर, अम्बिकापुर और जगदलपुर एयरपोर्ट में सुविधा विस्तार की दृष्टि से बड़ा काम किया है। रायपुर एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 39 करोड़ 80 लाख रूपये दिए, जगदलपुर तथा दरिमा एयरपोर्ट में भी 7 करोड़ 45 लाख रूपये के आवश्यक निर्माण कार्य किये।

सभापति महोदय, हम एक नई योजना सी.जी. वायु लेकर आये हैं। इसके माध्यम से बिलासपुर, जगदलपुर और अम्बिकापुर से हवाई सेवाओं का विस्तार होगा। इस योजना के लिए 30 करोड़ रूपये का बजट रखा गया है। (मेजों की थपथपाहट) रीजनल कनेक्टिविटी के तहत अम्बिकापुर, जगदलपुर और बिलासपुर एयरपोर्ट्स में अधोसरंचना तथा सुरक्षा मानकों के उन्नयन और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की गई है। अधोसरंचना विकास के लिए 40 करोड़ रूपये की राशि रखी गई है तथा आवश्यक सुरक्षा उपकरणों की खरीदी के लिए 30 करोड़ रूपये रखे गये हैं तथा हमारा रायगढ़ तथा कोरबा की हवाई पट्टी के उन्नयन पर भी फोकस है। रायगढ़ में हवाईपट्टी के उन्नयन के लिए 40 करोड़ रूपये तथा कोरबा में उन्नयन के लिए 3 करोड़ रूपये रखे गये हैं।

माननीय सभापति महोदय, अब हम जनसंपर्क विभाग पर आते हैं। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। मीडिया हमेशा सरकार और प्रशासन को सचेत करता है। पिछली कांग्रेस सरकार में मीडिया को दबाने की काफी कोशिश की गई। कई जगह तो पत्रकारों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए, यहां तक कि उन्हें जेल भेजा गया। कई पत्रकारों को नौकरी से भी निकलवाया गया। यह सिर्फ इसलिए किया

गया, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के काले कारनामों को उजागर किया। जब हमारी सरकार आई तो आम जनता को इस कुशासन से मुक्ति मिली, पत्रकारों को भी सुखद अनुभव हुआ और उन्होंने महसूस किया कि दूसरी इमरजेंसी जैसा दौर समाप्त हुआ। हमने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ और विशेष रूप से पत्रकारों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। समाचार संकलन और उसका प्रकाशन अत्यंत कठिन और संवेदनशील कार्य होता है। हमारे पत्रकार साथी बड़े ही परिश्रम से सामाजिक सरोकार से जुड़ा यह कार्य करते हैं। ऐसे में उन्हें हर स्तर पर प्रोत्साहित कर रहे हैं। पिछली बार बजट में हमने पत्रकारों के लिए एक्सपोजर विजिट का प्रावधान रखा था। इसके तहत पत्रकारों के विभिन्न दल देश के महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक जैसे अनेक राज्यों में गए।

खास बात यह है कि दूरस्थ क्षेत्रों के पत्रकारों को भी एक्सपोजर विजिट में शामिल किया गया। पहली बार महिला पत्रकारों का दल भी भ्रमण में गया। लौटकर आने के पश्चात इन दलों से मेरी मुलाकात भी हुई, उनका बहुत शानदार अनुभव रहा। (मेजों की थपथपाहट) हम विकास के साथ सांस्कृतिक प्रगति के पक्षधर हैं। हमने रायपुर साहित्य उत्सव का आयोजन भी किया। इस बार भी हमने बजट में रायपुर साहित्य उत्सव के लिए बजट प्रावधान रखा है। इस बार हमने प्रवासी छत्तीसगढ़िया सम्मेलन के आयोजन का निर्णय लिया है और इसके लिए बजट प्रावधान किए हैं। (मेजों की थपथपाहट) छत्तीसगढ़िया लोगों ने विदेशों में भी झंडे गाड़े हैं। प्रवासी सम्मेलन में हम उनके अनुभव सुनेंगे, यह हमारी युवा पीढ़ी के लिए विशेष रूप से प्रेरणा का विषय होगा। (मेजों की थपथपाहट) माननीय सभापति महोदय, इस तरह से मेरे पास जितने विभाग हैं, उनके संबंध में मैंने अपनी बात रखी है और मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगा, जिन सदस्यों ने आज की इस चर्चा में भाग लिया है और जो उनके महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं, उनके क्षेत्र की समस्याएं भी आई हैं, उसको हमारे विभाग के अधिकारी..।

सभापति महोदय :- एक मेरा भी सुझाव है, आपको दिया था, दे दिया हूं। (हंसी)

श्री विष्णु देव साय :- जी।

सभापति महोदय :- उसको बजट में आप करवा दीजिएगा।

श्री विष्णु देव साय :- आपका आदेश शिरोधार्य है। आप आसंदी पर हैं।

श्री दीपेश साहू :- सभापति महोदय। सभापति महोदय जी।

श्री विष्णु देव साय :- और अंत में मैं सभी सदस्यों से निवेदन करूंगा कि :-

सामान्य प्रशासन के लिये- छः सौ बारह करोड़, उनतीस लाख, बीस हजार रूपये, सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय के लिये- तीस करोड़, बयानबे लाख रूपये, जल संसाधन विभाग के लिये- तीन हजार एक सौ पांच करोड़, ग्यारह लाख अस्सी हजार रूपये, खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय के लिये- ग्यारह सौ पैंतालीस करोड़, नवासी लाख, निन्यानबे हजार रूपये, विमानन विभाग के लिये- तीन सौ चौदह करोड़, निन्यानबे लाख, नब्बे हजार रूपये, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के लिये-

चार सौ सोलह करोड़, निन्यानबे लाख, निन्यानबे हजार रूपये, सुशासन एवं अभिसरण विभाग से संबंधित व्यय के लिये- सतहत्तर करोड़ रूपये, जनसम्पर्क विभाग से संबंधित व्यय के लिये- चार सौ उनहत्तर करोड़, निन्यानबे लाख रूपये, ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय के लिये- चार हजार दो सौ छत्तीस करोड़, एक लाख, इकसठ हजार रूपये, जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय के लिये- दो सौ आठ करोड़, पचास लाख रूपये, कुल दस हजार छः सौ सत्रह करोड़ रूपये तिहत्तर लाख उनचास हजार रूपये की अनुदान मांगों को सर्वसम्मति से पारित करने का आग्रह करता हूं। धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति जी, चूंकि कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत ही नहीं हुआ, इसलिए मान लेते हैं कि सर्वसम्मत से स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय :- चूंकि कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले सदस्य उपस्थित नहीं होने के कारण कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हुए थे, अतः मैं कटौती प्रस्तावों पर मत नहीं लूंगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- सर्वसम्मत से।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि - दिनांक 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को :-

मांग संख्या	-	1	सामान्य प्रशासन के लिये- छः सौ बारह करोड़, उनतीस लाख, बीस हजार रूपये,
मांग संख्या	-	2	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय के लिये-तीस करोड़, बयानबे लाख रूपये,
मांग संख्या	-	12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय के लिये- चार हजार दो सौ छत्तीस करोड़, एक लाख, इकसठ हजार रूपये,
मांग संख्या	-	23	जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय के लिये- एक हजार सात सौ चौरानबे करोड़, उनतालीस लाख, सत्रह हजार रूपये,
मांग संख्या	-	25	खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय के लिये- ग्यारह सौ पैंतालीस करोड़, नवासी लाख, निन्यानबे हजार रूपये,
मांग संख्या	-	32	जनसम्पर्क विभाग से संबंधित व्यय के लिये- चार सौ उनहत्तर करोड़, निन्यानबे लाख रूपये,
मांग संख्या	-	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य के लिये- आठ सौ छियालीस करोड़, बारह लाख, पैंसठ हजार रूपये,
मांग संख्या	-	57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं के लिये- सड़सठ करोड़ रूपये,

मांग संख्या - 75 जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिये- तीन सौ सन्तानबे करोड़, उनसठ लाख, अन्ठानबे हजार रूपये,

मांग संख्या - 60 जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय के लिये- दो सौ आठ करोड़, पचास लाख रूपये,

मांग संख्या - 65 विमानन विभाग के लिये- तीन सौ चौदह करोड़, निन्यानबे लाख, नब्बे हजार रूपये,

मांग संख्या - 71 इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के लिये- चार सौ सोलह करोड़, निन्यानबे लाख, निन्यानबे हजार रूपये तथा

मांग संख्या - 77 सुशासन एवं अभिसरण विभाग से संबंधित व्यय के लिये- सतहत्तर करोड़ तक की राशि दी जाये।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- श्री ओ.पी. चौधरी जी, वित्त मंत्री। (मेजों की थपथपाहट)

समय :

4.22 बजे

<u>शासकीय विधि विषयक कार्य</u>

<u>छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2026 (क्रमांक 1 सन् 2026)</u>

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- माननीय सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2026 (क्रमांक 1 सन् 2026) का पुर:स्थापन करता हूं।

सभापति महोदय :- सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 18 मार्च, 2026 को 11 बजे दिन तक के लिए स्थगित।

(सायं 4 बजकर 23 मिनट पर विधान सभा बुधवार, दिनांक 18 मार्च, 2026 (फाल्गुन 27, शक संवत् 1947) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

नवा रायपुर, अटल नगर (छत्तीसगढ़)
दिनांक : 17 मार्च, 2026